

ISSN 2456-4583
Impact Factor: 5.491

A peer Reviewed/Refereed Biannual Research Journal of Multi disciplinary Researches

Volume-4

Issue-1

September 2019



GLOBAL
**MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL**

Editor
Dr. Pankaj Kumar Mishra

GLORIOUS AND MEMORABLE MOMENT

Releasing the Global Multidisciplinary Research Journal

Volume 1 Issue 1 September 2016



Smt. Archana Pandey
State Minister, Uttar Pradesh Government (Right) &
Dr. Pankaj Kumar Mishra,
Editor, GMRJ (Left)

Volume 1 Issue 2 March 2017



Dr. Arvind Kumar Dixit
Vice Chancellor,
Dr. BR Ambedkar University, Agra (Right) &
Dr. Pankaj Kumar Mishra,
Editor, GMRJ (Left)

Volume 2 Issue 1 September 2017



Dr. Nisha Agarwal
Ex-CEO Oxfam India, Ex-World Bank (Center)
Mrs. Mala Rastogi,
President, Dau Dayal Mahila (PG) College (Right) &
Dr. Pankaj Kumar Mishra,
Editor, GMRJ (Right)

Volume 2 Issue 2 March 2018



Inauguration of 4th edition by International Delegates
Mr. Eddie Maguire (UK), Ms. Rosie Miller (UK),
Ms. Julie Hodgson (UK), Ms. Mala Rastogi (UK)
and **Dr. GC Rastogi (LONDON, UK)**
on the occasion of International Workshop on
Communication & Leadership at Firozabad.

Volume 3 Issue 1 September 2018



Inauguration of 5th edition by
Dr. Arvind Kumar Padhak, BSA
and **Dr. Arzoo Mishra.**

Volume 3 Issue 2 March 2019



Inauguration of 6th edition by
Suman Chaturvedi, Member of the
Uttar Pradesh State Commission for Women.

INVITATION for Intelligentsia having rich experience and expertise in the various disciplines be a part of our system. To be the part of Editorial Board, send your resume at email or call us at 09412883495.

ISSN: 2456-4583

Volume 4 Issue 1 September 2019

Indexed by: I2OR

I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches



Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

Volume 4

Issue 1

September 2019

Editor

Dr. Pankaj Kumar Mishra



GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).

6, New Tilak Nagar, Firozabad - 283203 (UP)

Contact: 09412883495; 08077700262

Website: www.gdsfzd.org

E-mail: journal@gdsfzd.org; dr.mishrapkgds@gmail.com

Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 1 September 2019
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

The responsibility for the facts or opinions expressed in the papers in entirety of the author. Neither the Editorial Board nor the publishers are responsible for the same. Reproduction for resale is prohibited.

© **Copyright: Global Development Society, 6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India**

Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

Editor
Dr. Pankaj Kumar Mishra

ISSN: 2456-4583

Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

PUBLISHER

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).

6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

Mob. No. 09412883495/08077700262

Website: www.gdsfzd.org

E-mail: journal@gdsfzd.org; dr.mishrapkgds@gmail.com

PRINTED BY:

Victorious Publishers India

D-5, Ground Floor,

Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home

(Opposite Mother Dairy), Delhi-110092

E-mail: victoriouspublishers13@gmail.com

Mob.: +91 8826941497; 7042439222

Guidelines for the Submission of Research Paper/Manuscript

1. Article must be original and not published anywhere from (full/part).
2. **Membership:** Each and every Author must be the member of the Journal.
3. **Script:** All the Manuscript (Paper) should be sent by E-mail to the Editor (dr.mishrapkgds@gmail.com) for its publication in Times New Roman, Font Size 12 and Space – 1.5 in Sentence case and a hard copy by post/courier along with CD.
For Hindi Manuscript (Paper) should be sent by E-mail to the Editor (journal@gdsfzd.org) for its publication in Walkman-Chanakya-905, Font Size 13 and Space – 2, a hard copy by post/courier along with CD.
4. **Number:** Only one paper of any Author will be published (in each issue).
5. **Length:** Minimum – 2 and maximum 5-6 pages.
6. **Title:** It should not exceed more than 2 (two) lines. (Bold in CAPITAL Letters).
7. **Author(s):** Minimum 1 (one) and Maximum 5 (five) Authors (only in exceptional case) will be permissible in a paper along with full address (Designation, Dept., College/University and State) with E-mail and Contact number.
8. **Article:** Article must contain an Abstract (not more than 100 words, in italic form).
9. **Keywords:** Minimum 4 and maximum 10 key words (italic form) are required.
10. **Introduction:** Not more than 250 words.
11. **Materials and Methods:** Not more than 250 words.
12. **Results & Discussion:** Not more than 300 words.
13. **Table/Graph/Chart/Figure:** Not more than 2(two).
14. **Conclusion:** Not more than 150 words.
15. **Acknowledgements:** Not more than 50 words.
16. **References:** Not more than 10 in number in alphabetical series or according to number which must be depicted in the text like - 1, 2, 3, 4containing Author(s) Name, Year, Title, Book, Journal, Volume, Page number. Please never write Websites/Google/Google scholar/Facebook/E-mails/Links/Ibid/Do/So etc.

Note: it is mandatory to follow all the above mentioned instruction, failing which the Manuscript/Article/Research paper will be automatically be rejected. No any argument will be entertained.

All the comments and suggestions are most welcome for the betterment of the Journal.

Editor's Message

It is with a sense of great delight that we are presenting to you the September issue of your favourite GMRJ Research Journal. As usual the present issue of the journal also contains useful material relevant to Research Work. Our editorial board and the team of qualified authors take painstaking efforts to present material keeping in view the requirements of our esteemed researcher and readers. Global multidisciplinary research journal is one such effort where in we are intending to use all the available resources to develop an ability to restate words of wisdom.

We are sure that if you read it intelligently and wisely, it will go a long way in equipping you with knowledge to face the gruelling battle of the field and bring you sure success. We always try to understand the demands and requirements of our authors, researchers and readers their suggestions and changes in the pattern. We make all efforts to include them, as far as possible, in further Issues of the Journal. It gives us great satisfaction to know that our readers have unanimously endorsed the utility of the Journal.

GMRJ Research Journal gives you the best guidance and reading material. It is up to you to make the best use of it for a bright success in any Research Work. I am wishing you to make this journal as grand success. It has been necessary to be very selective in the incorporation of Research Paper. We have been earnestly inviting research papers from research - oriented scholars to realize our dream of making this Journal World class.

Suggestions for further improvement of the Journal will be thankfully received. We look forward to your reply in the form of suggestions, views and articles for the next issue.

With best wishes for your brilliant success and bright future.

Sincerely Yours
Dr. Pankaj Kumar Mishra, Editor
Global Multidisciplinary Research Journal

Advisory Board

Dr. S.R. Arya, Ex-Chairman, UPPSC, Allahabad (UP)

Dr. Anjuli Suhane, Assistant Director, IGNOU, New Delhi

Dr. Ajeet K. Rai, Department of Education, Banaras Hindu University, Varanasi (UP)

Dr. Ramesh Mishra, Associate Professor, Department of Political Science, Shyam Lal College, University of Delhi, Delhi

Dr. Rajshree, Associate Professor, Department of Education, D.D.M. (PG) College, Firozabad (UP)

Dr. Vinita Gupta, Principal, D.D.M. (PG) College, Firozabad (UP)

Dr. Shaharyar Ali, Associate Professor, Department of History, S.R.K. (PG) College, Firozabad (UP)

Dr. U.S. Pandey, Associate Professor, Department of Sociology, S.R.K. (PG) College, Firozabad (UP)

Dr. Rachna Sharma, Managing Editor, Utopia of Global Education an International Journal

Mr. Shabbir Umar, D.D.M. (PG) College, Firozabad

Editorial Board

Dr. Alok Kumar Pandey, Assistant Professor, Department of Education, AK College, Shikohabad, Firozabad (UP)

Dr. Saurabh Kumar, Assistant Professor, Department of Education, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal (MP)

Dr. Sasmita Kar, Assistant Professor, School of Education, Rama Devi Women's University, Bhuvneshwar, Odisha

Dr. S.B. Sharma, Dean, Faculty of Science, Motherhood University, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand

Prof. Ashok Kumar Mishra, H.O.D., Department of Commerce, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University, Varanasi

Dr. Anita Sharma, Associate Professor, Department of Education, D.D.M. (PG) College, Firozabad (UP)

Dr. Snehlata Chaturvedi, Associate Professor, Department of Education, A.K. College, Shikohabad, Firozabad (UP)

Dr. K. K. Bhardwaj, Department of Chemistry, Govt. (PG) College, Fatehabad, Agra (UP)

Dr. Anuroday Bajpai, Associate Professor & Head, Department of Political Science, Agra College, Agra

Dr. Sanjeev Kumar, Department of Mathematics, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra (UP)

Dr. Sapna Sharma, Department of Education, Banasthali University, Banasthali, Rajasthan

Dr. Geeta Yadav, Assistant Professor, A.K. College, Shikohabad, Firozabad

Dr. Sanjay Kumar Upadhyay, Professor & Head, Department of Education, Maharana Pratap College, Mohania, Kaimur, Bihar 821101

Dr. Asha Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Govt. (PG) College, Fatehabad, Agra (UP)

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT JOURNAL

PLACE OF PUBLICATION : 6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India

PERIODICITY OF PUBLICATION : Bi-Annual

PRINTER'S NATIONALITY & ADDRESS : **Victorious Publishers (India)**
D-5, Ground Floor,
Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home
(Opposite Mother Dairy), Delhi-110092, India
E-mail: victoriouspublishers12@gmail.com

EDITOR & PUBLISHER : Dr. Pankaj Kumar Mishra

NATIONALITY : Indian

ADDRESS : 6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India

I, Pankaj Kumar Mishra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of your knowledge and belief.

Sd. Dr. Pankaj Kumar Mishra
Editor

*The view expressed by individual authors are their own and do not necessarily reflect the policies of the Advisory Committee, or the views of the editor.
No part of this publication may be reproduced, transmitted or disseminated; in any form or by any means, without prior permission from the publisher.*

Contents

Editor's Message	iv
1. A Study of Learning Style of Students Studying in the Deferent Type of Secondary Schools <i>Dr. Beena Kumari</i>	1-6
2. Information and Communication Technology (ICT) Enabled Education <i>Dr. Sneh Lata Chaturvedi</i>	7-10
3. Definition, Pathophysiology, Diagnosis, Management of Sarcopenia: A Literature Review <i>Prabal Kumar and Surbhi Varshney</i>	11-15
4. मोदीनोमिक्स मंदी और अंतिमजन <i>डॉ. रमेश कुमार</i>	16-22
5. वर्तमान परिदृश्य में संत कबीर की प्रासंगिकता <i>निधी कुमारी</i>	23-27
6. भारत में नागरिकता का इतिहास - एक समीक्षात्मक अध्ययन <i>अविनाश कुमार</i>	28-31
7. अशोकविजयम् नाटक में विवेचित मानव मूल्य एवं उनकी प्रासंगिकता <i>सोनी कुमारी</i>	32-35
8. Attitude towards the Existing Evaluation Strategies at the Elementary Level Scale Validation <i>Prof. Mehnaz Ansari and Lama Ramadan</i>	36-45
9. कॉकबरक लोकोक्तियों की विशेषता <i>चमिता जमातिया</i>	46-49
10. भावी शिक्षक शिक्षा - एक मधुर स्वप्न <i>डॉ. प्रदीप कुमार गुप्त</i>	50-55
11. Wood Cut Printmaking in India: A Brief History <i>Dr. Jyoti Agnihotri</i>	56-60
12. India and Right to Food <i>Dr. S.K. Rai</i>	61-66

13. भारत में साइबर आतंकवाद डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय	67-71
14. उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता - उच्च शिक्षा प्रणाली की सार्थकता का एक प्रमुख कारक डॉ. कुसुम शर्मा	72-75
15. Weaning Pattern in an Urban Slum of Varanasi <i>Dr. Kiran Singh</i>	76-81
16. विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को लेकर कुछ कपोल कल्पनाएँ डॉ. करतार सिंह	82-90
17. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अनुशासनहीनता की समस्या डॉ. शुभलेश कुमारी	91-95
18. ध्वनि सिद्धान्त - एक सूक्ष्मेक्षिका डॉ. (श्रीमती) अनुपम शैरी	96-101
19. वर्तमान परिवेश में योग की भूमिका डॉ. सरोज कुमारी	102-106
20. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कौशलेन्द्र कुमार	107-113
21. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा-प्रबंधन का महत्व एवं प्रविधियाँ डॉ. संगीता सिरौही	114-117
22. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और गोरखपुर डॉ. राजेश कुमार	118-121
23. गाँधीजी के शिक्षा दर्शन के नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार डॉ. विभ्राट चन्द कौशिक	122-127
Subscription Page	128



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp.1-6



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

A STUDY OF LEARNING STYLE OF STUDENTS STUDYING IN THE DEFERENT TYPE OF SECONDARY SCHOOLS

Dr. Beena Kumari

Associate Professor, Department of Teacher Education, D.S. College, Aligarh, UP

Received: 06 August 2019, **Revised:** 10 August 2019, **Accepted:** 21 August 2019

Abstract

The present study is focused on the former studies because in Aligarh and Agra region a limited amount of work has been carried out and the problem of the present study is very significant in the present context. In the view of the researcher, no comparative study has been carried out on the study learning styles of students studying in different types of secondary schools. The investigator used normative survey method for the study.

Keywords: CBSE, ICSE, UP Board, Secondary schools, Learning Styles.

Children are the future builders of the nation. Therefore, it becomes essential to provide them with an appropriate soothing environment so that their academic achievement can touch the heights by utilizing all their cognitive and non-cognitive abilities to the maximum. When research on ability, intelligence, and personality traits failed to elucidate the process generating individual differences in the context of academic achievement of the students, psychologists and researchers started searching for other variables which could predict the variance in the performance of the individual learner. It is needless to mention that non-cognitive factors play a very significant role to account for the major proportion of individual differences in academic achievement. Learning styles is the factors that may be considered as key factors to understanding the academic achievement of the students. Learning styles have been reported to be associated with enhanced academic achievement if students were taught accommodating their learning styles in the instructional transaction by the teachers.

India has multiple systems of schooling with schools affiliated to different statutory boards to meet the educational needs of the children. These schools affiliated to different boards differ in many dimensions which makes this system problematic from the equity perspective. Parents by

citing data based on school board examination results, often argue that schools affiliated to ICSE and CBSE excel in comparison to schools affiliated to UP Board on academic performance.

In the background of the above discussion, it is logical for anyone to ask whether schools affiliated to different boards differ in their effectiveness on achievement. In other words, one should know whether the differences in school achievement are due to school factors or due to the effect of both.

The problem, therefore, is of great value to the parents, teachers, educationists, psychologists, and sociologists. That's why the researcher has tried to investigate the difference in the study learning styles of students studying in different types of secondary schools in context to their academic achievements.

OBJECTIVES

The following objectives have been formulated to pursue in the present study:

1. To study the Learning Styles of the students studying in different types of secondary schools.
2. To compare the Learning Style of the students studying in different types of secondary schools.

HYPOTHESES

There is no significant difference in the Learning Styles of students studying in different types of secondary schools.

METHOD

Keeping in view a number of considerations such as nature of the problem, objectives of the study, and resourcefulness of the investigator, etc. the researcher decided to use the survey method. In the present study, all the steps and characteristics have been used which are essential for the survey method.

POPULATION

The population in the present study comprises XI class students, be studying in different schools affiliated to CBSE, ICSE, and UP Board in Aligarh and Agra Region.

SAMPLE

For the present study first of all two regions, i.e. Aligarh and Agra have been selected randomly. Then all schools situated in these two regions and affiliated to CBSE, ICSE, and UP Board have been obtained from the website of CBSE, ICSE, and UP Board. After 18 schools were selected by lottery method.

The students studying in the XI class of each school have been selected randomly. An equal no. of students (50) was selected randomly from each school.

SAMPLE DISTRIBUTION: A pooled sample consisting of 900 students has been taken from the available sources. The detail of the sample which provided complete and usable data has been shown in the following table:

STRUCTURE OF THE SAMPLE

S. No.	Types of Institution	No. of Students		
		SHI*	LSI**	AAP***
1.	Sec. Schools affiliated to ICSE	249	247	300
2.	Sec. Schools affiliated to CBSE	298	296	300
3.	Sec. Schools affiliated to UP Board	292	291	300
	Grand Total	839	834	900

** Students who provided complete and usable information on Learning Style Inventory.

***Students who provided complete and usable information on Academic Achievement Performa.

TOOLS USED: For collecting desired data for the study of any problem the researcher may use various devices and instruments. These instruments are called tools.

LEARNING STYLE INVENTORY BY DR. S.C. AGARWAL

Collection of Data

The investigator attempted to use the best methodology in the observation, survey method, and data collection. A request has been made to seek the cooperation of students and teachers in getting data. One booklet for learning styles was given. Scoring has been done with the help of answer keys given in the manual of the test.

Statistical Techniques

After administering and scoring the tool answer script, data has been collected and organized. The collected data is called raw data. The raw data are meaningless unless certain statistical treatment is given to them. The present study consists of a well-defined population as well as the sample has been represented. The Mean, S.D., t-test, chi-square and percentage have been used to analyze the whole data.

Table 1: Learning styles of the students studying in schools affiliated to ICSE

<i>S. No.</i>	<i>Learning Style</i>	<i>Types of Learning</i>	<i>No. of Students</i>	<i>% age of Students</i>
1.	Flexible vs. Non-flexible	Flexible	139	56.27
		Non-flexible	108	43.73
2.	Individualistic vs. Non- individualistic	Individualistic	119	48.18
		Non-individualistic	128	51.82
3.	Visual vs. Arual	Visual	133	53.85
		Aural	114	46.15
4.	Field independent vs. Field dependent	Field independent	138	55.84
		Field dependent	109	44.13
5.	Short attention span vs. Long attention span	Short attention span	130	52.63
		Long attention span	117	47.37
6.	Motivation centered vs. Motivation non-centered	Motivation centered	142	57.49
		Motivation non-centered	105	42.51
7.	Environment oriented vs. Environment Free	Environment oriented	125	50.61
		Environment Free	122	49.39

Table 2: Learning styles of the students studying in schools affiliated to CBSE

<i>S. No.</i>	<i>Learning Style</i>	<i>Types of Learning</i>	<i>No. of Students</i>	<i>% age of Students</i>
1.	Flexible vs. Non-flexible	Flexible	173	58.45
		Non-flexible	123	41.55
2.	Individualistic vs. Non-individualistic	Individualistic	159	53.72
		Non-individualistic	137	46.28
3.	Visual vs. Arual	Visual	167	56.42
		Aural	129	43.58
4.	Field independent vs. Field dependent	Field independent	160	54.05
		Field dependent	136	45.95
5.	Short attention span vs. Long attention span	Short attention span	157	53.04
		Long attention span	139	46.96
6.	Motivation centered vs. Motivation non-centered	Motivation centered	162	54.73
		Motivation non-centered	134	45.27
7.	Environment oriented vs. Environment Free	Environment oriented	158	53.38
		Environment Free	138	46.62

Table 3: Learning styles of the students studying in schools affiliated to UP board

<i>S. No.</i>	<i>Learning style</i>	<i>Types of learning</i>	<i>No. of students</i>	<i>% age of students</i>
1.	Flexible vs. Non-flexible	Flexible	126	43.30
		Non-flexible	165	56.70
2.	Individualistic vs. Non- individualistic	Individualistic	141	48.45
		Non-individualistic	150	51.55
3.	Visual vs. Aural	Visual	124	42.61
		Aural	167	57.39
4.	Field independent vs. Field dependent	Field independent	126	43.30
		Field dependent	165	56.70
5.	Short attention span vs. Long attention span	Short attention span	133	45.70
		Long attention span	158	54.30
6.	Motivation centered vs. Motivation non-centered	Motivation centered	132	45.36
		Motivation non-centered	159	54.64
7.	Environment oriented vs. Environment free	Environment oriented	137	47.08
		Environment free	154	52.90

RESULT AND DISCUSSION

In the present study, the investigator has studied the learning styles of the students studying in different types of secondary schools. For this purpose, certain objectives have been formulated and translated into specific hypotheses. Hypotheses have been tested with suitable statistical techniques. The conclusions are being summarized below:

The students studying in schools affiliated with ICSE have shown flexible, field-independent, and motivation-centered learning styles. The schools affiliated to ICSE have almost equal no. of students showing individualistic vs. non-individualistic, visual vs. aural, and environment-oriented vs. environment-free learning styles.

The students studying in schools affiliated with CBSE have shown flexible, visual, and motivation-centered learning styles.

The schools affiliated to CBSE have almost equal no. of students possessing individualistic vs. non-individualistic, field-dependent vs. field-independent, short attention span vs. long attention span, and environment-oriented vs. environment-free learning styles.

The student studying in schools affiliated with UP Board have shown non-flexible, aural, and field-dependent learning styles. The schools affiliated with UP Board have almost equal no. of students showing individualistic vs. non-individualistic, short attention span vs. long attention span, motivation-centered vs. motivation non-centered, and environment-oriented vs. environment-free learning styles.

BIBLIOGRAPHY

1. Abel (1999). Stress and Burnout in Rural and Urban Secondary School Teachers, *Journal of Educational Research*; Vol. 92, No. 5, pp. 287-93, May-June
2. Abroi, D.N. (1977). A Study of Achievement Motivation in Relation to Intelligence, Vocational Interests, Achievement Sex, and Socio-Economic Status, *Ph.D. Edu. Delhi U.*
3. Adams, D.M. (1975). The Predictors and Effects of Participation in Interactive Activities, *California J. of Educational Research*, Vol. 26(2), 62-81.
4. Adan Coello (2011). Forming groups for collaborative learning of introductory computer programming based on students' programming skills and learning styles. *International Journal of Information and Communication Technology Education*. Oct-Dec 2011. Vol. 7, Issue 4, pp. 34-46.
5. Agarwal, S.C. (1982). Learning Style Preferences of Secondary Students about Institution and Sex. *Indian J. of Psychology*, Vol. 47, 129-204.
6. Akwanfries M. (1991). Motivational Patterns and Use of Effective Learning Strategies Among First-Year University Students. Paper Presented at the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Gold Coast, Australia.
7. Alabilim M. (1993). Psychometric Properties of the Inventory of Learning Processes: Evidence from United Arab Emirates College Students. *Psychological Reports*, Vol. 72, 1331-1336.
8. Alexander, N. and Woodraft, R.J. (1940). Determinants of College Success. *Journal of Higher Education*, 1, 479-485.
9. Allen, G.J. (1971). Effectiveness of Study Counseling and Desensitization in Alleviating Test Anxiety in College Students. *J. of Abnormal Psychology*, 77, 282-289.
10. Allinson, C.W. and Hayes, J. (1996). The Cognitive Style Index: A Measure of institution-Analysis for organizational Research. *Journal of Management Studies*. Vol. 33(1), 119-135.
11. Allinson. C.W. and Hayes, J. (1990). Validity of the Learning Styles Questionnaire. *Psychological Reports* 67, 859-866
12. Ames, C. and Archer, J. (1988). Achievement Goals in the Classroom: Students' Learning Strategies and Motivation Processes. *J. of Educational Psychology*, Vol. 80, 260-267.
13. Anderson, L.W. (1975). Student Involvement in Learning and School Achievement. *California J. of Educational Research*, Vol. 26(2) 53-62.
14. Andrews, Hohn, D.W. (1984). Discovery and Expository Learning Compared: Their Effects on Independent and Dependent Learning Students. *Journal of Educational Research*, 80-89.
15. Andrews, J. (1981). Teaching Format and Student Style: Their Interactive Effects on Learning. *Research in Higher Education*, 14, 161-168.
16. Andrews, J.D.W. (1981). Teaching Format and Student Style: Their Interactive Effects on Learning. *Research in Higher Education*, 14, 161-178.
17. Armstrong, N.H. (1956). Study in Hard Work. *Psychological Abstracts*, XXX. Atchison, M.K. (1988) The Relationship Between Learning Styles and Reading Achievement of Sixth Grade Students in the State of Alabama. *Dissertation Abstracts International*, 1999, Vol. 49(8), 2103-A



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 7-10



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ENABLED EDUCATION

Dr. Sneh Lata Chaturvedi

Associate Professor, Department of Teacher Education, A.K. College, Shikohabad, UP

Received: 02 August 2019, **Revised:** 20 August 2019, **Accepted:** 26 August 2019

Abstract

This is the era of globalization in the context of global policy global society and global education each and every country is thinking if heightening the degree of quality in the system of education. So it is imperative on the part of teacher educators and policy makers to harmonize teacher education with the ICT and their by serve the societal needs and expectations. With introduction of ICT in education, two schools of thought have emerged. The first focuses on the importance and integration of ICT in classroom teaching, while the other fears the emergence of 'teacher less classrooms.' However, this is just a myth as the integration of technology in classroom will help in creating the teaching learning process more efficient.

Keywords: Globalization, Enabled Education, ICT.

Education is a lifelong process. The entire development of personality is termed as education. Education is not just limited to passing an examination, it broadens our horizon, deepens our insight, refines our reactions and stimulates our thoughts and feelings. Thus education in its complete form include attitude, skills, knowledge and other factors required for the development of personality. The advancement of New Information and Communication Technologies offers electronic technologies such as- e-mail, websites, multimedia information from the internet as a tool and method for providing learning experiences. Teachers need to understand that they cannot distance themselves from using technology in this technology driven era. The role of teacher has shifted from an instructor to facilitator and constructor of knowledge. But rising problem in the usage of ICT can be witnessed in the classroom itself. Locating and using teachers' expertise has been found to be problematic in this area amongst experienced teachers. Distinctions between those with or without expertise and confidence in ICT are the key factors of usage of ICT.

ICT is an effective tool for assimilating, processing and disseminating information. ICT is emerge as major tool for learning and teaching. Enabling our students to learn when and where they

want by using ICTs is called e-learning. In this way any learning through ICTs is e-learning. Urban and Wiggin (2000) define e-learning as ... 'a set of applications and processes, including computer based learning, web based learning, virtual classrooms and digital collaboration.' Thus e-learning is computer based, and usually takes place over a network.

Government of India took the sincere view of it and its application was initiated in 1998. The govt. envisaged that the computer and internal facilities will be made available to every school. NCERT has come out recently with a school curriculum framework where in it has been emphasized to integrate ICTs in school education is not possible without the teacher being competent in technopedagogic dimensions of ICT. This objective has to be largely realized through various teacher education programs. The NCTE is also stressing upon integration of ICTs in teacher education all over India. It is because ICT has tremendous potential for education. ICT can enable a teacher to reach out widely efficiently and effectively. Networking through ICT helps teachers and institutions to be more modern dynamic and integrative. To bridge school education and teacher education there is an immediate need to integrate ICT in teacher education.

The National Mission on Education through Information and communication technologies (NMEICT) has been envisaged as a centrally sponsored scheme to leverage the potential of ICTs in teaching and learning process for the benefit of all the learners in Higher Education Institutions in any time any where mode. This is expected to be a major intervention in Higher Education by 5 percentage points during the XI Five Year Plan.

It is now clear that average rate of retention is high when learner learn through listening and even more by seeing according to computer technology Research (1993) people retain only 20% of what they see and 30% of what they hear. But they remember 50% of what they see and hear and as much as 75% of what they see hear and do simulate usually. This study clearly indicates this and hence. It is clear this now ICT is useful. ICT is useful in teach and learning. In following manner-

1. ICT can aid teacher self learning in subject matter.
2. Promote active learning and authentic assessment.
3. Engage students by motivation and challenge.
4. Investigation reality and field knowledge.
5. Increase collaboration and cooperation.
6. Increase learner Independence.
7. Overcome physical disabilities.

The integration of ICT in teacher education is very challenging. These challenges are:

1. To motivate students to learn.
2. To make the learning material interesting.
3. To build self esteem.
4. To enable students to share learning experiences (as happens now in the classroom).
5. To continuously monitor students progress it is rather important to draw attention to certain drawbacks of ICT. These are following:

1. Technophobia among teachers and students.
2. Losing traditional skills
3. High initial coast of course development.
4. Wasting of time in playing computer game rather that using if for learning.
5. Not all skills can be taught electronically.

A number of studies have indicted that the successful pedagogical use of technology depends on teachers' attitudes and acceptance. To wards technology. A well defined frame work technology use and acceptance. Findings of the research Mumtaj (2000) indicate that successful implement action of ICTS need to address three interlocking frame- and policy makers.

Teachers are regained to use the technology to in hence student learning. So the important takes in the development of ICT trained who is innovative in attitude flexible in approach and reflective in his mind. The teachers of tomorrow exacted to use latest technology methods and strategies for instruction which including media king devices and ICTs. The aim of education technology is not only of making education more eruditely available fut also improving the quality of education. Reality teacher education includes quality teacher preparation and quality teacher development.

Teachers have an important role to play in this process as facilitators rather than instructors. the integration of ICTs in teacher education is the need of the day. In the classrooms the rich representation of information changes the learner's perception and understanding of the context. This makes a great change in the relationship of students and teachers. ICT is not-only essential tool for teacher in their day today work but it also offers them opportunities for their own professional growth. In a study Yuen and Ma (2008) it was found that subjective norm, computer self-efficacy and perceived ease of use were main variables which play role (68%) in uses' intention to use the learning system.

REFERENCES

- Buch, M.B. (1992). (V) *Survey of Research in Education*, National Council for Educational Research and Training. New Delhi.
- Chauhan, S.S (1998). *Advanced Educational Psychology*. New Delhi: Vikas Publication House Pvt. Ltd.
- Sharma, R.A. (2003)
- Jain Anurag (2008). *Modern Technique of Educational Research*. New Delhi: N.R. Books.
- Mangal, S.K. (2009). *Educating Exceptional Children an Introduction to Special Education*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
- Pathak, P.D. (2007). *Education Psychology*. Agra: Vinod Pusthak Mandir.
- Rao, Usha (2012). *Inclusive Education*. Mumbai: Himalaya Publication House Pvt.Ltd.
- Safaya R.N, Shukla C.S. and Bhatia B.D. (2005). *Modern Educational Psychology*. New Delhi: Dhanpat Rai Publication Co. Pvt. Ltd.
- Aggarwal, Y.P. (2016). *The Science of Educational Research*. Nirmal Book Agency. Kolkata

- Gupta, S.P. (2010). *Statistical Methods*. Published by Sultan Chand & Sons, New Dehli.
- Gupta, Ajay . Ghosh, C.K. (2008). Literacy, Elementary Education and Teachers' Training in State of Madhya Pradesh by effective use of ICT. *University News* 46(40), October 6-12 ,2008, pp. 11-15.
- Gülbahar, Y. (2008). ICT usage in Higher Education, a case study on preserves teachers and instructors. The *Turkish Journal of Educational Technology*. January 2008, Vol. 7(2), pp. 33-34.
- Gülbahar, Y., Guven, I. (2008). A survey on ICT usage and the perceptions of social studies teachers in Turkey. *Educational Technology & Society*, Vol. 11(3), pp. 37-51.



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 11-15



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

DEFINITION, PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS, MANAGEMENT OF SARCOPENIA: A LITERATURE REVIEW

Prabal Kumar* and Surbhi Varshney**

*MPT, Manipal College of Health Professions, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka

**BDS (Intern) Manipal College of Dental Sciences, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka

Received: 08 July 2019, Revised: 02 August 2019, Accepted: 23 August 2019

Abstract

Muscle mass is not directly linked to muscle function, despite the fact that sarcopenia has been used to define muscle mass decrease in older people. Sarcopenia is now defined as a syndrome marked by a progressive and widespread loss of skeletal muscle mass and strength, as well as a risk of negative consequences such as physical disability, poor quality of life, and mortality. Physical frailty, as well as other muscle wasting illnesses such as cachexia and malnutrition, are all linked to it. This review focuses on incorporating sarcopenia into clinical practise, reviews case finding and diagnosis, proposes a syndromic approach for the diagnostic work-up of sarcopenic patients, and examines intervention trials with physical exercise and nutrition.

Keywords: Sarcopenia, Nutrition, Resistance exercise, Intervention

INTRODUCTION

The word sarcopenia derives from the Greek roots “Sarx means flesh” and “Penia means loss” (Rosenberg 1989). As the aging population is on the rise, early detection and prevention of sarcopenia is critical to reduce the health care burden as well as cost associated with it (Cruz-Jentoft et al., 2019). As the population grows older, physiotherapist and dentist are going to encounter elderly individuals on a more frequent basis. Sarcopenia has been linked to multiple morbid outcomes in older adults such as falls, functional decline, osteoporosis, impaired thermoregulation, and glucose intolerance (Fiatarone et al., 1994; Bendall et al., 1989; Giallauria et al., 2016). The underlying mechanisms of this pathologic ageing process are not fully understood, but different factors are believed to contribute such as inflammation, hormonal changes, inactivity and altered neuronal activity (Spiegel et al., 2016; Roubenoff 2000). In the last 3 decades the research on

the sarcopenia had increased contributing to the growing knowledge of the condition. The aim of this review is to provide a clinical overview about definition, pathophysiology, diagnosis and management of sarcopenia.

METHODOLOGY

A systematic search was conducted on electronic databases like PubMed, Scopus, Embase, Web of Science and CINAHL to find relevant articles. Keywords like “sarcopenia”, “sarcopenic”, “diagnosis”, “management”, “intervention” were used in different combination using Boolean operators like OR and AND. Studies on sarcopenia, older adults age more than 60 years, resistance exercise to treat sarcopenia, nutritional management of sarcopenia, screening method of sarcopenia were included. Studies on healthy older adult, conditions like cachexia with sarcopenia, cancer with sarcopenia, diabetes mellitus with sarcopenia were excluded. Total number of articles found were 11,491. After removing duplicates 5,870 articles were screened for title and abstract to look out for relevant articles. After title and abstract screening full text reading of 55 articles were done. 26 studies were included in the review.

DEFINITION OF SARCOPENIA

When sarcopenia termed emerged in the medical field it was considered as only loss of muscle mass. With the growing research various groups like European working group on sarcopenia (EWGSOP) (Cruz-Jentoft et al., 2019) and Asian working group in sarcopenia (Chen et al., 2019) reached a definition which states that “sarcopenia is an age-related loss of muscle mass, reduced muscle strength and/or physical performance”. Sarcopenia was shown to be prevalent in 9–10% of community-dwelling people, 30–50% of nursing-home residents, and 23–24% of hospitalised people (Chien et al., 2008; Cruz-Jentoft et al., 2010; Legrand et al., 2013; Papadopoulou et al., 2020).

PATHOPHYSIOLOGY OF SARCOPENIA

The exact pathophysiology of sarcopenia is still not known but there are multiple factors which results in sarcopenia. In this article full details will not be provided about the mechanism only in brief it will be explained. The reader can refer to the cited references for more details. As the people gets older their occur many changes like protein imbalance, decrease in the level of hormone like testosterone & growth hormone, motor neuron degeneration, reduction in number of muscle fibre and size of the fibre, loss of teeth resulting in poor nutrition, increase in inflammatory cytokines level like IL-6, TNF alpha, etc. all contribution in the occurrence of sarcopenia (Roubenoff 2000; Nairici et al., 2010). Screening and Diagnosis of sarcopenia

The screening method for EWGSOP2, AWGS is widely used worldwide to diagnose people with sarcopenia. The criteria given by EWGSOP2 is muscle strength is measured using grip strength <27 kg for male and <16 kg for female, Muscle quantity that is Appendicular muscle strength

(ASM) <20 kg for male and <15 kg for female, Physical performance using gait speed with cut-off <0.8 m/sec (Cruz-jentoft et al., 2019). The criteria given by AWGS is muscle strength is measured using grip strength <26 kg for male and <18 kg for female, Muscle quantity that is Appendicular muscle strength (ASM) <5.7 kg/m² for female and <7 kg/m² for male, Physical performance using gait speed with cut-off <0.8 m/sec (Chen et al., 2014). Questionnaires like SARC-F, SARC-Calf is used frequently to screen for the patient having sarcopenia (Navi et al., 2016).

ASSESSMENT OF SARCOPENIA

Muscle strength using Hand-held Dynamometer, Dual energy X-ray absorptiometry, Computed tomography scan, ultrasound for assessment of muscle mass, Biomarkers like C-terminal agrin terminal (CAF), inflammatory biomarker like IL-6 (Interleukin-6), C-reactive protein (CRP), Clinical parameters like haemoglobin, serum albumin, urinary creatine, Hormones like Testosterone, insulin like growth factor 1 (ILGF-1).

MANAGEMENT OF SARCOPENIA

Although there is no conventional treatment for sarcopenia, and many risk factors (for example, birth weight) cannot be modified, Nutrition and physical activity appear to be the pillars of sarcopenia treatments at the moment (Dodds et al., 2012). (Candow et al., 2012).

EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY

Exercise and physical activity are not the same. Physical activity is usually defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that results in energy expenditure, and can be linked to occupational, sports, household, or other activities. Exercise is a subset of physical activity that is planned, structured and repetitive, and has as a final or an intermediate objective the improvement or maintenance of physical fitness (Caspersen et al., 1985).

For older persons, exercise is essential for maintaining strength, muscle mass, and physical function. In the therapy of sarcopenia, resistance workouts have been demonstrated to be beneficial. The F.I.T.T. concept states that range of frequency 2-6 days a week, Intensity ranges from mild to high. Thera band, Thera tubes, free weights, machines, and body weight had been described in the literature for 10-20 minutes. Resistance training is recommended to improve muscle mass, muscle strength, and physical performance in older persons, according to an umbrella review (Beckwee et al., 2019). Resistance training appears to be more successful when started early.

Low physical activity is obviously connected to the development of sarcopenia, as most recent epidemiological studies have indicated (Chastin et al., 2012), albeit not all sedentary behaviours have the same effect on sarcopenia (Hammer et al., 2013). Thus, increasing physical activity appears to be a reasonable therapeutic for any sarcopenic patient – indeed, for any ageing or older patient – and has a sound biological basis (Timmerman et al., 2013). Physical activity has been discovered to be an effective sarcopenia prevention method (Lee et al., 2018). Walking for 150 minutes per week

is suggested by the WHO. To maintain cardiopulmonary health, the American College of Sports Medicine (ACSM) recommends practising moderate or vigorous aerobic activity 5 days a week or 3 days a week, for 30 minutes per day for moderate and 20 minutes per day for strenuous (Nelson et al., 2007).

NUTRITIONAL INTERVENTION

Nutrition-related sarcopenia is widespread, and a high majority of sarcopenic individuals suffer from malnutrition (Vandewoude et al., 2012). Nutritional deficiencies must also be addressed in the treatment of sarcopenic individuals. Caloric intake should be increased to meet the increasing demands of activity and exercise, which is rarely the case. Protein requirements are similarly raised, with the exception of persons with extensive renal failure, and recommended protein intakes in such patients may be over 1.2 g of body weight per kilogramme and day, according to the most recent recommendations (Baucer et al., 2013). This can be accomplished by the use of protein supplements or by boosting the protein content of one's regular diet. Protein balance, bulk, and function of the skeletal muscle may be improved by leucine, HMB, creatine, and certain milk-based proteins. The impact of dietary intervention may be influenced by the quality of proteins consumed and when they are consumed. Cruz-jentoft (Cruz-jentoft, 2013) Vitamin D deficiency must be corrected for adequate muscular function, although the effect of vitamin D when blood levels are normal remains unknown. In community-dwelling sarcopenic women, exercise and nutrition may be required for the fundamental treatment of increasing muscle mass and strength to reverse the effects of sarcopenia (Kim et al., 2012).

Exercise and nutrition seem to have additive effects, and protein supplements may be more effective in improving muscle mass and function when incorporated into an exercise programme (Tieland et al., 2012).

BIBLIOGRAPHY

1. Rosenberg IH. Epidemiologic and methodologic problems in determining nutritional status of older persons. *Am J Clin Nutr*. 1989; 50:1231–1233.
2. Alfonso J Cruz-Jentoft, Gülistan Bahat, Jürgen Bauer, Yves Boirie, Olivier Bruyère, Tommy Cederholm, Cyrus Cooper, Francesco Landi, Yves Rolland, Avan Aihie Sayer, Stéphane M Schneider, Cornel C Sieber, Eva Topinkova, Maurits Vandewoude, Marjolein Visser, Mauro Zamboni, Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2, Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis, *Age and Ageing*, Volume 48, Issue 1, January 2019, Pages 16–31, <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>
3. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, Martin FC, Michel JP, Rolland Y, Schneider SM, Topinková E, Vandewoude M, Zamboni M; European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. *Age Ageing*. 2010 Jul;39(4):412-23. doi: 10.1093/ageing/afq034. Epub 2010 Apr 13. PMID: 20392703; PMCID: PMC2886201.

4. Fiatarone MA, O'Neill EF, Ryan ND, et al. Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. *N Engl J Med*. 1994;330:1769–1775.
5. Bendall MJ, Bassey EJ, Pearson MB. Factors affecting walking speed of elderly people. *Age Ageing*. 1989;18:327–332.
6. Giallauria F, Cittadini A, Smart NA, Vigorito C. Resistance training and sarcopenia. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2016 Jun 22;84(1-2):738. doi: 10.4081/monaldi.2015.738. PMID: 27374049. DOI: 10.4081/monaldi.2015.738
7. Kim HK, Suzuki T, Saito K, Yoshida H, Kobayashi H, Kato H, Katayama M. Effects of exercise and amino acid supplementation on body composition and physical function in community-dwelling elderly Japanese sarcopenic women: a randomized controlled trial. *J Am Geriatr Soc*. 2012 Jan;60(1):16-23. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03776.x. Epub 2011 Dec 5. Erratum in: *J Am Geriatr Soc*. 2012 Mar; 60(3):605. PMID: 22142410.
8. De Spiegeleer A, Petrovic M, Boeckxstaens P, Van Den Noortgate N. Treating sarcopenia in clinical practice: where are we now? *Acta Clin Belg*. 2016 Aug;71(4):197-205. doi: 10.1080/17843286.2016.1168064. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27112427.
9. Legrand D, Vaes B, Matheï C, Swine C, Degryse JM. The prevalence of sarcopenia in very old individuals according to the European consensus definition: insights from the BELFRAIL study. *Age Ageing*. 2013 Nov;42(6):727-34. doi: 10.1093/ageing/aft128. Epub 2013 Sep 7. PMID: 24014657.
10. Roubenoff R. Sarcopenia and its implications for the elderly. *Eur J Clin Nutr*. 2000 Jun;54 Suppl3:S40-7. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601024. PMID: 11041074.
11. Chen LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, Chou MY, Iijima K, Jang HC, Kang L, Kim M, Kim S, Kojima T, Kuzuya M, Lee JSW, Lee SY, Lee WJ, Lee Y, Liang CK, Lim JY, Lim WS, Peng LN, Sugimoto K, Tanaka T, Won CW, Yamada M, Zhang T, Akishita M, Arai H. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. *J Am Med Dir Assoc*. 2020 Mar; 21(3):300-307.e2. doi: 10.1016/j.jamda.2019.12.012. Epub 2020 Feb 4. PMID: 32033882.
12. Narici MV, Maffulli N. Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional significance. *Br Med Bull*. 2010;95:139-59. doi: 10.1093/bmb/ldq008. Epub 2010 Mar 2. PMID: 20200012.
13. Papadopoulou SK, Tsintavis P, Potsaki P, Papandreou D. Differences in the Prevalence of Sarcopenia in Community-Dwelling, Nursing Home and Hospitalized Individuals. A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Nutr Health Aging*. 2020;24(1):83-90. doi: 10.1007/s12603-019-1267-x. PMID: 31886813.
14. Chien MY, Huang TY, Wu YT. Prevalence of sarcopenia estimated using a bioelectrical impedance analysis prediction equation in community-dwelling elderly people in Taiwan. *J Am Geriatr Soc*. 2008 Sep; 56(9):1710-5. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01854.x. Epub 2008 Aug 6. PMID: 18691288.
15. Beckwée D, Delaere A, Aelbrecht S, Baert V, Beaudart C, Bruyere O, de Saint-Hubert M, Bautmans I. Exercise Interventions for the Prevention and Treatment of Sarcopenia. A Systematic Umbrella Review. *J Nutr Health Aging*. 2019;23(6):494-502. doi: 10.1007/s12603-019-1196-8. PMID: 31233069.
16. WHO. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization (WHO); 2020.



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 16-22



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

मोदीनोमिक्स मंदी और अन्तिमजन

डॉ. रमेश कुमार

ऐसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्राप्ति - 07 अगस्त 2019, संशोधन - 22 अगस्त 2019, स्वीकृति - 26 अगस्त 2019

सारांश

आर्थिक मंदी वर्तमान विश्व के आर्थिक स्थिति की कड़वी सच्चाई है। मोदीजी की आर्थिक नीति (मोदीनोमिक्स) को भारत में व्याप्त मंदी का प्रमुख कारण कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है। इन कारकों में नोटबंदी और सेवा-सामग्री कर यानी जी.एस.टी. को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त-सी हो गई है। गरीब और गांधी के अन्तिमजन पर इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार इस मंदी से निबटने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार राहत पर राहत वाली आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर रही है। लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। मंदी काबू में नहीं आ पा रहा है। अंततः काबू में आएगी और मंदी अपने इतिहास के गर्भ में चली जाएगी। इसी आशावादी विश्वास के साथ मंदी पर एक शैक्षणिक मंथन प्रस्तुत करना इस लेख का प्रयास है।

मूल शब्द: मोदीनोमिक्स, नोटबंदी, जी.एस.टी., हिंदू विकास दर, इंदू विकास दर

आर्थिक मंदी इस समय के भारतीय अर्थव्यवस्था की सामयिक सच्चाई है। यह एक गंभीर और गहरा आर्थिक संकट है। विगत कुछ वर्षों से इस पर चर्चा हो रही है। विद्वत समाज भी इस पर मंथन कर रहे हैं। यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुखियों में भी है। इसके प्रतिकूल असर की धमक शहरी मध्य वर्ग से होता हुआ गांव के गरीब किसान, मजदूर, लाचार और गांधी के अन्तिमजन तक पहुँच गई। यह भी एक दुःखद संयोग है कि यह मंदी तब आई जब भारत और दुनिया के अनगिनत देश बा और बापू की 150वीं-151वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। सरकार के संसाधन और ऊर्जा इस उत्सव को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अन्तिमजन के उद्धार को एक नई धार मिल रही है। इनके उछाल की नई योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मोदी जी की आर्थिक सोच और नीति (मोदीनोमिक्स) इस हालात के लिए कितनी जिम्मेवार हैं? इस मंदी के कारक और इससे निबटने के लिए कौन-कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं? इनके कदमों से भारत को इस मंदी से निकलने में कितना समय लगता है और कितनी कामयाबी मिलती है, यही आकलन इस प्रस्तुति का परम उद्देश्य है।

मंदी की आहट

2018 के अंत और 2019 के शुरुआती महीनों से मंदी के संकेत आने लगे थे। इसकी आहट हो चुकी थी। लेकिन सरकार 17वीं लोक सभा के चुनावी मोड़ पर थी। मीडिया को ऐसे मुद्दों पर बात करने की मनाही थी। सरकार भक्त टी.वी. चैनल तो फील गुड करवा रहे थे। कुछ चैनल और कुछ अखबार यदा-कदा दबी आवाज से लिख रहे थे और चर्चा करते थे। खुले तौर पर इस मंदी पर चर्चा नहीं हो रही थी। जब वाहन उद्योग, जैसे - मारुति, टाटा, अशोक लिलैंड और महिन्द्रा की बिक्री में गिरावट आई, कर्मचारियों की छंटनी होने लगी और शेयर मार्केट औंधे मुँह गिरने लगा, तब सरकार ने माना कि मंदी आ गई। मंदी पर मौन टूटा और सरकार ने मंदी की बात मान ली।

ऑटोमोबाइल उद्योग के अलावा कपड़ा टेक्सटाइल कारखाने बंदी की कगार पर पहुँचने लगे। लोगों ने वहाँ भी नौकरियाँ खो दी। दो पहिए वाहन पर भी मंदी का असर पड़ा और छंटनी शुरू हो गई। दोपहिया वाहन के उत्पादक राहुल बजाज ने भी दोपहिया वाहन की बिक्री में गिरावट पर सार्वजनिक तौर पर चिंता जाहिर करने लगे। इससे बड़ी और कोई पुष्टि हो नहीं सकती। बुनियादी ढाँचे यानी सड़क, पुल-पुलिया और मकान निर्माण में काम आने वाले सीमेंट, सरिया और स्टील की बिक्री में गिरावट दर्ज होने लगी। इन बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी के संकट का आलम यह हुआ कि आम आदमी द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे सस्ता 100 रुपए किलो और 5 रुपए के पैकेट वाला बिस्कुट पारले फैंक्ट्री ने भी अपनी बंदी की घोषणा कर दी। बैंक तो ऋण माफी, एन.पी.ए. और अन्य कारणों से पहले से ही कंगाल हो चले थे। कंगाली और गहरी हो गई। बैंकिंग सेक्टर भी करीब-करीब दीवालियेपन की दीवार को स्पर्श करने लगे। भारतीय रुपया की कीमत में भी गिरावट न केवल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम हुई बल्कि बांग्लादेश की मुद्रा 'टका' से भी कम हो गई। शेयर मार्केट का शेंसक्स भी 380 पाइंट तक नीचे लुढ़क गया। मंदी सब्जी और फल के व्यापार और उसके उपभोग के स्तर को भी प्रभावित किया। थोक व खुदरा हाट बाजार में बिकने वाली चीजें और खरीदारों की भीड़ में अचानक कमी दिखने लगी। बस 'सन्नाटा' ही बाकी रहा। संक्षेप में बुनियादी और बड़े सैक्टरों से छोटे और मंझोले कारोबारी और उपभोक्ता क्षेत्र तक मंदी का असर दिखने लगा। जहाँ तक इसके प्रसार के विस्तार का सवाल है, तो शहर और गांव के दिहाड़ी मजदूर तक इसके चंगुल में हैं। गरीब-गुरबा और गांधी के दरिद्र अन्तिम पायदान वाले अन्तिमजन का हाल तो मत पूछिए। यह तो मन-मस्तिष्क को दहलाने वाली है। संक्षेप में, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत फिलहाल खस्ता है। अभी-अभी नोबल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजित बनर्जी ने भी माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था डग-मगा रही और संकट के दौर से गुजर रही है। मंदी ही मुख्य संकट है।

मंदी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। यदा-कदा देश और दुनिया के अर्थव्यवस्था में मंदी भी आती है। ठीक हो जाती है। अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है। सुस्ती से प्रगति की ओर गति पकड़ लेती है। मंदी पुरानी बात हो जाती है। 1930 के दशक में भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था (ग्रेट डिप्रेशन) मंदी की शिकार हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था 1990 के दशक में भी आर्थिक संकट का शिकार थी। खाड़ी युद्ध खासकर इरान-इराक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कारणों तथा गलत आर्थिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। यहाँ तक कि माननीय चन्द्रशेखर जी की सरकार में सोना तक विदेश की बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। 21वीं शताब्दी की पहली दशाब्दी (2008) में भी अर्थव्यवस्था को झटका लगा और मंदी की चर्चा होने लगी थी। लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। ये सब अल्पकालिक और वैश्विक कारणों से आए मंदी के उदाहरण हैं।

लेकिन भारत की वर्तमान आर्थिक मंदी तो कुछ अलग-सा लगता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह मंदी बेवजह और सरकार की अति उत्साहित आर्थिक-मौद्रिक नीति का परिणाम है। डॉ. मनमोहन सिंह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ-साथ विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। उनकी भी यही राय है। वे भी इसे मानव निर्मित मंदी मानते हैं। उन्होंने इस तरह के संकट की संभावना से अगाह भी किया था। जब सरकार अच्छे दिन, काला धन मुक्त, भूख, भ्रष्टाचार और भयमुक्त 'नया भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नोटबंदी और सामग्री-सेवा कर (जी.एस.टी.) की बात कर रहे थे, तब देश-विदेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने भी इसके गंभीर दुष्परिणाम की संभावना को बताया था। डॉ. मनमोहन सिंह ने तो विकास दर में 2 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी भी की थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और जे.एन.यू. के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अरुण कुमार इत्यादि ने भी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल उठाए थे। बैंकों की स्वायत्तता पर प्रहार और आक्रामक आर्थिक नीति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन, उर्जित पटेल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने भी बैंक और इसके निधि के दुरुपयोग पर अपने-अपने तरीके से आपत्ति और असहमति जताई थी। लेकिन सरकार ने इन तमाम तर्कों और सलाहों को दरकिनार कर दिया। आलोचकों और अगाहकर्ताओं को सरकार ने देशद्रोही, टुकड़े-टुकड़े गैंग, खान मार्किट गैंग, अर्बन नक्सल और न जाने क्या-क्या कहकर इन पर उँगली उठाने लगी। नोटबंदी और जी.एस.टी. के फैसले के समर्थन में कसीदे गढ़ने लगी। यह सच है कि लगातार सूखा, कृषि उत्पादन में कमी वगैरह से अर्थव्यवस्था में स्वतः सुस्ती आ गई थी। इस पर इसी वक्त में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नोटबंदी और जी.एस.टी. लागू कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये नोटबंदी और जी.एस.टी. श्रापमूलक साबित हुआ।

मंदी के कारण

मंदी के कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन नोटबंदी और जी.एस.टी. ने मंदी को लाने और इसको गहराने के महत्वपूर्ण कारक रहे। इन कारणों का वर्णन भी आवश्यक और अपेक्षित है।

नोटबंदी

नोटबंदी मोदी जी की आर्थिक नीति (मोदीनॉमिक्स) का अभिन्न अंग माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर की रात 8.00 बजे देश की जनता को सम्बोधित कर बताया कि 4 घंटे के बाद यानी रात के 12.00 बजे से और 9 नवम्बर के शुरू होते ही 500 व 1000 के प्रचलित नोट रद्द घोषित किए जाएंगे। ये नोट अगर किसी के घर पर हैं, तो अवैध माने जाएंगे। इसे सिर्फ बैंक में जाकर जमा किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले नए नोट तत्काल नहीं मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम काला धन वापसी के लिए है। बेइमानी पर लगाम लगाने के लिए है। नकली करेंसी बंद करने और नक्सलवाद एवं आतंकवाद को कमर तोड़ने के लिए है। यह ईमानदारी का उत्सव और राष्ट्रीय पर्व है। मात्र 50 दिनों की बात है। फिर कष्ट दूर हो जाएंगे। नोटबंदी गरीबों की भलाई के लिए है।

नोटबंदी के अगले दिन से गरीब बैंकों के आगे पंक्तिबद्ध हो गए। बैंक ने भी 2000 रु. प्रतिदिन देने का वादा किया। लेकिन सरकार की इसके लिए पूरी तैयारी नहीं थी। पुरानी करेंसी जमा हो रही थी, पर नई करेंसी की पूरी तरह सप्लाई नहीं हो रही थी। लिहाजतन पैसे मिल नहीं रहे थे। बाजार में आदान-प्रदान बंद था। विनिमय और व्यापार करीब-करीब बंद था। गरीब मजदूर तो दाने-दाने के मोहताज थे। कमाने वाले को काम नहीं। मजदूरी में नया

नोट नहीं। दुकानदारों को ग्राहक नहीं। बीमार को इलाज नहीं। यहाँ तक कि मरने वालों को कफन, दाह-संस्कार और श्राद्ध के लिए सामान नहीं। शादी के मंडप बिना शादी के उजड़ गए। नोटबंदी के कारण बीमार बेइलाज, बिन मजदूरी मजदूर और गरीब के परिवारों के लोग मरने लगे थे। मरने वालों के आंकड़े आसमान छूने लगे। लेकिन इन आंकड़ों की चर्चा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नोटबंदी की काली गाथा अनसुनी और अनकही रह गई। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस भीड़ बैंक के सामने ही सिमट गई थी।

यह नजारा भी शहर में स्थित बैंकों के आगे की ही थी। गरीब बैंक के बाहर कतार में खड़ा था। अमीर बैंक के अन्दर बगैर कतार के पुराने नोट जमा कर रहे थे और मनमानी नई रकम लेकर लौट रहे थे। धनवान, बाहुबली और नेताओं के घर तो बैंक के कर्मचारी और पदाधिकारी भी नया रुपया पहुँचा देते थे। गरीब मारा जा रहा था। गांधी का शहरी अंतिमजन इस नोटबंदी का भुक्तभोगी था। गांव के बैंक तो कामयाब ही नहीं थे। वहाँ का गरीब-अमीर दोनों त्रस्त थे। अमीर शहर से सांठ-गांठ कर काम चला लेते थे। गरीब तो पिस रहा था। पुरानी थोड़ी बहुत जमा पूँजी बैंक तक जमा करना भी मुश्किल था। नया नोट इसके नसीब में ज्यादातर नहीं थे। पुराने नोट गए और नए मिले नहीं। बहुत लोगों ने तो दम तोड़ दिया। इसलिए नोटबंदी केवल संकट मूलक ही नहीं बल्कि गरीबों और गांधी के अन्तिमजन के लिए जानलेवा भी रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नोटबंदी से प्रभावित बेरोजगार, कारखानों की बंदी के कारण शहरी मजदूर गांव की ओर बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। लेकिन नोटबंदी के इस परिणाम पर न तो कोई मानक अध्ययन हुआ और न ही कोई आंकड़ा उपलब्ध कराया गया। जबकि नोटबंदी के फायदे का पूरा प्रचार-प्रसार हुआ। सच तो यह है कि कई लाख या यों कहें कि करोड़ों की तायदाद में लोग बाजार से बाहर हो गए। इससे उपभोक्ता और उत्पादन के स्तर में अप्रत्याशित गिरावट हुई। मंदी की शुरुआत वहीं से हो गई। 2017-18 और 2018-19 का गिरता विकास दर इसका प्रमाण है। आयात-निर्यात एवं निवेश में काफी कमी आने लगी थी। आक्सफोम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी के आंकड़े 45 साल के इतिहास में सबसे ऊपर पहुँच गया। निवेशक अपनी पूँजी निकालकर दूसरे देशों की तरफ रुख करने लगे। लेकिन सरकार और सरकार समर्थक न्यूज चैनल नोटबंदी की झूठी वाह-वाही करते रहे। सरकार भी लोगों का ध्यान चरमराती अर्थव्यवस्था से भटकाकर लव-जेहाद, मौब लिंगिंग, हिन्दू-मुस्लिम, अरबन नक्सलवाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की ओर ले जाने का प्रयास करती रही। मीडिया भी सरकार की पिछलग्गू बनी रही और नोटबंदी की तारीफ करती रही। इसके नाकामी और नुकसान पर पर्दा डालती रही। नोटबंदी एक प्रकार से जनविरोधी आर्थिक अपराध था। गांधी के दरिद्रतम निरीह अंतिमजन के लिए तो नोटबंदी एक तरह का मौत कारक साबित हुआ था। इसकी मार से अभी तक गरीबजन और उनकी अर्थव्यवस्था बाहर नहीं आ पाई है।

सामान और सेवा कर (जी.एस.टी.)

अर्थव्यवस्था में भूचाल की दूसरी वजह भारी-भरकम सामान और सेवा कर यानी जी.एस.टी. है। 2017 से लागू यह कर व्यवस्था को लागू करने से पहले भी इसका फायदा बताया गया था। यह वादा था कि सभी छोटे-छोटे व स्थानीय कर समाप्त कर दिए जाएंगे। पूरे देश में एक जैसा कराधान होगा। एक जैसी कीमत होगी। कर वसूली में इजाफा होगा। अतिरिक्त कर से देश के विकास को गति मिलेगी। लोगों का जीवन आसान होगा। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन होगा। इससे सामाजिक क्षेत्र के विकास में सुधार होगा। कालाबाजारी और

कर चोरी पर स्वतः लगाम लग जाएगी। आरम्भिक परिणाम भी कुछ ऐसा लगा। लेकिन धीरे-धीरे लोगों का इस टैक्स से मोहभंग होने लगा। इसकी खामियाँ उजागर होने लगी। दुनिया के करीब 140 देश में जी.एस.टी., वैट या फिर एच.एस.टी. का प्रचलन है, लेकिन कहीं भी इतनी ऊँची दर का जी.एस.टी. नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पर कनाडा में 13 से 15 प्रतिशत, फ्रांस में 20 प्रतिशत, न्यूजीलैंड में 15 प्रतिशत, मलेशिया में 6 प्रतिशत, सिंगापुर में 7 प्रतिशत जी.एस.टी. है। जबकि भारत में इस टैक्स की अधिकतम सीमा 28 प्रतिशत है। इसके अलावा देश के छोटे बड़े कारोबारियों को इस जटिल कर व्यवस्था को समझने में काफी समय लगा, क्योंकि इसमें कई स्लैब थे। कलेक्शन में भी सख्ती बरती गई। सरकार के पदाधिकारियों ने इस जी.एस.टी. को लेकर उल्टी-सीधी वसूली की। लोगों को कसूरवार बताकर घूस अथवा दंड के नाम पर मोटा माल वसूला जाने लगा। जी.एस.टी. में कर वापसी का प्रावधान भी था लेकिन वसूला गया जी.एस.टी. समय से वापस लौटाया नहीं गया। पारदर्शिता और सरकारी अनियमितता के कारण जी.एस.टी. एक बदनाम गब्बर सिंह टैक्स बन गया। लूट-खसोट का ज़रिया बन गया। इससे हर वर्ग का कारोबारी और खासकर छोटे और मझोले मध्यम वर्गीय व्यापारी, उद्योगपति परेशान होने लगे। कई तो नुकसान में जाने लगे। बड़ी संख्या में कारोबारियों ने जी.एस.टी. की वजह से व्यापार से ही तौबा कर ली। कारोबार बंद हुए। बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन सरकार ने इससे सबक नहीं लिया। जी.एस.टी. के प्रचलन वाले देश खासकर मलेशिया और सिंगापुर में भी ऐसी दिक्कतें आयीं थीं। मुद्रा स्फीति बढ़ी थी। वहाँ की सरकार ने इसकी कमियों को ठीक किया और नुकसान को नियन्त्रण में लिया। भारत की बढ़ी हुई मुद्रा स्फीति अब 3.8 तक पहुँच गई है। लेकिन भारत सरकार और उसके चाटुकार अर्थशास्त्रियों ने जी.एस.टी. की खूबियाँ बघारते रहे और सरकार की पीठ थपथपाते रहे। देश नोटबंदी की मार से पहले से ही जूझ रहा था। भारी भरकम जी.एस.टी. ने इस जली आग में पुनः घी का काम किया। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जी.एस.टी. ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को संकट के द्वार तक पहुँचा दिया।

2016-17 के गलत आर्थिक फैसले खासकर नोटबंदी और जी.एस.टी. ने उद्योग और कारोबार को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। लोगों की आमदनी का जरिया जाता रहा। क्रय शक्ति में लगातार हास होता चला गया। छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ तो नोटबंदी के बाद ही बंद हो गई थीं। जी.एस.टी. और इसकी जटिलता, गलत वसूली, नियमावली की कठिनाई और मौके की कमी से कारोबारी परेशान होने लगे और कारोबार छोड़ जाने लगे। कर्मचारी और मजदूरों की नौकरियाँ जाने लगीं। बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छूने लगे। ऑक्सफार्म और भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एन.एस.ओ.) ने भी इस संकट का सांख्यिकी समर्थन किया। लेकिन सरकार इस संकट पर समाधान और बेरोजगारी पर नियन्त्रण के बजाय डाटा मेनिपुलेट करने और छिपाने में लग गई। कम्पनी के क्रियाकलाप पर ही सवाल उठाने लगी। बेरोजगारी के ऊपर चर्चा को देशद्रोह का दर्जा दिया जाने लगा। मीडिया को भी इस दुःख भरी सच्चाई पर चर्चा करने से बचने की हिदायत दी गई थी और दी जा रही है।

रोजगार और नौकरी के विकल्प के रूप में रोजगार के तौर पर कारोबार-व्यापार-स्व-रोजगार का सगूफा को सार्वजनिक कर रही थी। स्व-रोजगार-अन्य कारोबार और “हम भी दुकानदार” के प्रचार को परवान चढ़ाया गया और जा रहा है। मुद्रा योजना और स्टार्ट अप की दुहाई दी जाने लगी थी। बाला कोट, धारा 370 और तीन तलाक को गरम मुद्दा बनाकर बेरोजगारी पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा था। राजनीति अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी थी। इस दौरान तक अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी।

लेकिन सरकार सबकुछ छोड़कर 17वीं लोक सभा की चुनावी मोड़ पर चली गई। चुनाव समाप्त हुआ। परिणाम आया और मोदी जी की दूसरी बार केन्द्र में सरकार बन गई। इसे मोदी 2.0 का नाम दिया गया। तब तक मंदी की सुरसा अपना विकराल रूप ले चुका था। नई वित्त मंत्री ने बजट में मंदी पर काबू करने के लिए अनेक कदम उठाए और उनकी घोषणाएं भी की। काफी बड़ा पैकेज भी दिया। लेकिन इन घोषणाओं और कदमों का कार्यान्वयन होता और पैकेज का प्रयोग होता कि कुदरती कोरोना ने सबकुछ पलट दिया। अब इस कोरोना पर भी चर्चा अपरिहार्य है।

मंदी से निपटने के सरकारी प्रयास

वर्तमान वित्त मंत्री डॉ. निर्मला सितारमण ने पहले तो बड़ी देर से मंदी की बात मानी। फिर इससे निजात पाने के लिए कुछ नए काम भी किए और कदम भी उठाए। सभी प्रकार के लोन सस्ता करने का वादा किया। मंदी की मार से मुरझाए ऑटो इंडस्ट्री को राहत के नाम पर जी.एस.टी. में कटौती व कार लोन सस्ता करने का वादा किया। खनिज क्षेत्र में पूरा विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई। एफ.डी.आई. पर निवेशकों को लुभाने के लिए निवेश पर लगा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया गया। उद्योग जगत से खासकर छोटे व मझोले उद्योग के लम्बित जी.एस.टी. रिफंड 31 दिन में वापस करने का वादा किया गया। आगे आवेदन करने पर 60 दिन में जी.एस.टी. लौट सकेगा। इसकी बात भी हुई। मकान लोन सस्ता किया गया ताकि रियल एस्टेट में रौनक वापस लौट सके। कंपनियों को सी.एस.आर. में छूट की घोषणा हुई। इसके नियम के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। रेपो रेट में कमी की गई। इससे सभी ऋण स्वतः सस्ता हो जाएगा। बाकी घोषणाएं भी काफी सराहनीय रहीं। अगर ये कदम पहले ही उठा लिए जाते, तो हालात बिगड़ने से बच जाते। देर से ही सही सरकार ने नीतिगत फैसले लिए ताकि सुस्ती में थोड़ी स्फूर्ति आए। बाजार में मांग-आपूर्ति का चक्र फिर से चल पड़ा। लेकिन संकट उल्टे गहराता गया। संकट की गम्भीरता पर प्रकाश डालते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी बताया कि 70 साल में ऐसी आर्थिक मंदी और नगदी का संकट नहीं देखा गया। सरकार को इस मंदी पर काबू करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस मंदी को न्यूनतम हानिकारक बनाया जा सके। यही विकल्प है और भारत की बेहतरी के लिए लाभप्रद भी है। अंत में, जो भी हो मंदी जितनी जल्दी जाए उतना ही फायदा है। आमजन और गांधी के अंतिमजन को भी तभी ही राहत मिलेगी। अगर ऐसा होता है, तो वह महात्मा गांधी और उनकी 150-51वीं जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सही और सच्ची आर्थिक श्रद्धांजलि होगी।

- **हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ** - हिंदू विकास दर की अवधारणा का प्रतिपाठन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज ने किया था। स्वतंत्रोत्तर पर भारत के प्रथम-द्वितीय दशाब्दी के दौरान 3.5 प्रतिशत की औसतन विकास दर थी। इसी विकास दर को हिंदू विकास दर का नाम दिया गया था। वर्तमान विकास दर पुनः नहीं पहुंचाने वाली सी लगती है। ऐसा अर्थशास्त्रीगण और अंतराष्ट्रीय आर्थिक संगठन का अनुमान है।
- **इंदू रेट ऑफ ग्रोथ** - प्रो. राकेश शर्मा एक अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ने इंदिरायुगीन (1970-1984) विकास दर को इंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया है। इनके अनुसार इंदिरा शासन के तकरीबन 15 वर्ष (1970-1984) के दौरान देश का विकास दर 5 से 6 प्रतिशत रहा। भूत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा काल के इसी विकास दर को इंदू रेट ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अभिजीत बनर्जी, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिति में, जनसत्ता, 24 फरवरी, 2019, पृष्ठ 1

नवभारत टाइम्स, 15 अगस्त, 2019

जनसत्ता, 22 मार्च, 2019

जनसत्ता, 02 मार्च, 2019

जनसत्ता, 2 फरवरी, 2018

इकोनोमिक टाइम्स, 2 फरवरी, 2018

नवभारत टाइम्स, 17, फरवरी 2019

नीरज मेहता, इकोनोमिक टाइम्स, 22 मई, 2019

जनसत्ता, 27 मार्च, 2019

नवभारत टाइम्स, 28 मार्च, 2019



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 23-27



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

वर्तमान परिदृश्य में संत कबीर की प्रासंगिकता

निधी कुमारी

(जे.आर.एफ.), हिन्दी, बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर (बिहार)

प्राप्ति - 07 जुलाई, 2019; संशोधन - 28 जुलाई, 2019; स्वीकृति - 04 अगस्त, 2019

प्रस्तावना

‘साहित्य समाज का दर्पण होता है। कबीरदास ने भी अपने युग को समसामयिक परिस्थितियों को भली प्रकार से देखा, समझा और अनुभव किया और शाश्वत साहित्य की रचना कर डाली। कबीर केवल अपने युग की नई चेतना के जागरण के प्रेरणास्रोत ही न थे, वे आधुनिक भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी हैं।

“तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।

मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उरझोय रे॥”

इसकी बात करने वाले कबीर सदा सत्य एवं यथार्थ के लीक पर चलने वाले ऐसे कवि हैं, जिनकी वाणी में हथौड़े-सी चोट करने वाली अद्भुत शक्ति है। जिससे हमारा लोक मर्म समय-समय पर बेबस, मजबूत, विद्रोही एवं समन्वय की भावना से उद्वेलित हो उठता है। कबीर शास्त्र ज्ञान की बात नहीं करते बल्कि आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। इनका संपूर्ण ज्ञान स्वानुभूत है जो दिखाई देता था, अनुभव होता था वही इनके काव्य का विषय बन जाता था। महान कवियों के काव्य का कथ्य, जिन तथ्यों, समस्याओं एवं सत्य का दर्शन कराता है, उसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे सत्य मानव जीवन के मूलभूत सत्य होते हैं। भले ही कबीर का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ हो, किन्तु उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।

हिंदी साहित्य संसार में भक्तिकालीन ज्ञानमार्गी निर्गुण काव्यधारा के प्रथम सूत्रधार संत कबीर हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक, समाजसुधारक तथा सच्चे अर्थों में युग नियामक हैं। कबीर की रचनाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मध्यकालीन समाज में थी, जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे इनकी रचनाएं और भी प्रासंगिक होती जाती हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो इनके काव्य से अछूता रहा है। पूरा मध्यकाल अंधविश्वास, रुढ़ियों, पाखंड एवं बाह्याडम्बर में जकड़ा हुआ था। मुल्ला और पंडित भोली-भाली जनता को बरगला कर धार्मिक उन्माद उत्पन्न

करते थे और उससे अपना स्वार्थ साधते थे। कबीर यह अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे जनता को साफ-साफ शब्दों में कहते हैं -

“हिन्दू-तुरक की एक राह है सद्गुरु यहै बताई।”

कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त विद्रोही कवि थे, जिसकी क्रांतिकारी धारा आज के रचनाकारों के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। आज जब चहुँओर व्याप्त सामाजिक जड़ता तथा अराजकता की ओर उन्मुख होते हैं तब व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना प्रबल हो उठती है। कबीर का कालजयी व्यक्तित्व इस समय हमारे लिए प्रकाशपुंज की तरह जगमगा उठता है। काशी में जन्मे कबीर आजीवन संघर्ष करते हुए अपने अथक प्रयासों से समाज का मार्गदर्शन करते रहे। समकालीन साहित्यकार स्वयं को कबीर से जोड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि कबीर अपनी जिस सच्चाई, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक दृढ़ता के बल पर शोषक वर्गों से लोहा लिया, उनसे जुड़ना गर्व की बात है, किन्तु इस समाजसेवी शूरवीर से जुड़ना इतना आसान नहीं है। कथनी और करनी में अंतर होता है। ठीक इसी तरह कबीर के करनी से भी जुड़ना पड़ेगा। तभी सारी सुख-सुविधाएँ को छोड़कर निम्न-वर्ग, उत्पीड़ित वर्ग, पददलित एवं वंचित वर्ग की पीड़ा से जुड़कर, चौराहे पर खड़े होकर शोषक के विरुद्ध आवाज उठा सके। सत्ता - व्यवस्था के अन्यायों को, शोषक नीतियों को ललकारते हुए कबीर कहते हैं -

“कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ।

जो घर जाँरे आपना, सो चलै हमारे साथ।”

“जन-सामान्य समाज, धर्म व राजनीति से निराश हो चुका था। धार्मिक आडम्बरों और राजनीतिक अव्यवस्थाओं व धर्मांधता के कारण समाज का ढाँचा विशृंखल हो चुका था।” इन विकट परिस्थितियों में तत्कालीन जनमानस के लिए आशा की एक किरण के रूप में कबीर का अवतरण हुआ। जिन्होंने न केवल विकृत हो चुके मूल्यों को परिष्कृत किया बल्कि समाज, धर्म व राजनीति के लिए नए मानक मूल्यों की स्थापना की। आज भी मानक मूल्यों की स्थापना करने वाले कबीर की जरूरत है, जो समाजवादी भावना का लोप होने से बचा सके।

जिस युग में कबीर आर्चिभूत हुए थे उस समय भारत का अधिकांश भू-भाग मुस्लिम आक्रांताओं के अधीन हो चुका था। प्रायः भारतीय धर्ममत और सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया। उत्तर भारत में सैयद एवं लोदी वंश के सुल्तानों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, परंतु अवसर पाते ही छोटे-मोटे तुर्क, अफगान तथा हिन्दू सरदार विद्रोह करने से न चूकते थे। अतः देश में राजनीतिक कलह-कटुता, पारस्परिक संघर्ष, विघटन व अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था। जनता के मन में आतंक, चिन्ता व भय व्याप्त था। आर्थिक दृष्टि से भी उत्तर भारत संपन्न एवं सुख-समृद्ध नहीं था। ऐसे समय में युगदृष्टा कबीर ने अपने चारों तरफ फैली असन्तुलित अव्यवस्था को भलीभाँति देखा, परखा, समझा और अपना युगोचित कवि-कर्तव्य का निर्वहन किया।

वर्तमान समय में मनुष्य जितना भी आधुनिक हो ले, पर पत्थर की मूर्ति के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है बल्कि अपने सारे दुष्कर्मों पर पर्दा डालने के लिए धर्म का सहारा लेता है। धर्म के नाम पर लोगों का भावनात्मक शोषण किया जाता है, लेकिन इन दिखावे से मिलता है क्या? फल की प्राप्ति उन्हें अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही मिलती है। कबीर ऐसे पूजा-पाठ का विरोध करते हैं। इनके अनुसार मूर्ति पत्थर ही है, भगवान नहीं। उसे भगवान मानने वाले इधर-उधर भटकते ही रह जाते हैं, कभी मंजिल नहीं पाते। सच्चे ईश्वर का निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। यदि पत्थर की पूजा करनी है तो अनाज पीसने वाली उस पत्थर की चक्की की करो, जिसे खाकर लोग पेट भरते हैं। मूर्ति से अधिक उपयोगिता उस चक्की की है। कबीर कहते हैं -

“पाहन पूजै हरि मिलै, तो मैं पूजूं पहार।

ताते तो चाकी भली, पीस खाय संसार।”

कबीर उस पांडित्य को बेकार समझते हैं जो केवल ज्ञान का बोझ ढोना सिखाता है, जो मनुष्य को जड़ बना देता है और भगवान के प्रेम से वंचित कर देता है। भगवद् प्रेम पर इनकी दृष्टि इतनी दृढ़ निबद्ध थी कि ढाई अक्षर प्रेम की ही प्रधानता देते हैं। वे कहते हैं -

“पढ़ि-पढ़ि के पत्थर भया, लिखि-लिखि भया जू ईंट।

कहै कबीर प्रेम की, लगी न एकौ छींट।।

पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोई।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पण्डित होई॥”

कबीर ने अपने काव्य में जातिगत भेदभाव का विरोध किया और कहा कि भक्ति करने वाला साधक ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार - “जातिवाद भारतीय समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है।” हमारे समाज में समय के साथ सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ‘जाति’ एक ऐसा अभिशाप है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। कबीर ने भी मनुष्य की पहचान उनके जाति से नहीं बल्कि उसके गुण, उदात्तता और नैतिकता के आधार पर पहचानने की वकालत की है। कबीर जाति-वर्णगत अन्तर को मिटा देना चाहते थे। उनका यह विचार वर्तमान समय में सर्वथा सटीक बैठता है। वे कहते हैं -

“एक बूंद एकै मल-मूतर, एक चाम एक गूदा।

एक जोति में सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण को सूदा।”

उस समय हिन्दू-मुस्लिम जनता आपस में संघर्षरत थी। धर्म के ठेकेदार धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर स्वार्थ की रोटियाँ सेकते थे। वैसा ही वर्तमान समय में भी हो रहा है। मंदिर-मस्जिद के नाम पर साम्प्रदायिक दंगे तब भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। निश्चय ही कबीर की शिक्षाएं आज के इस माहौल में अधिक प्रासंगिक हैं। कबीर मानते हैं कि ईश्वर न तो मंदिर में है और न खुदा मस्जिद में निवास करते हैं। हिंदू अपने देवताओं को पूज-पूज कर मर गए और मुसलमान हजयात्रा कर-करके, लेकिन इनमें ‘राम’ की प्राप्ति किसी को न हुई। कबीर हमेशा से रूढ़िगत परंपराओं के विरोधी रहे हैं। रोजा, नमाज, छापा, तिलक, गंगा स्नान, तीर्थाटन आदि का विरोध करते हुए कहते हैं -

“माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।

करका मनका डारि कै, मन का मनका फेर॥”

निश्चय ही कबीर निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें जो सही लगा निःसंकोच एवं निडर होकर कहा। हिंसा का विरोध हर स्तर पर किया, चाहे वह जीभ के स्वाद के लिए की गई हो या धर्म के नाम पर की जा रही हो। वे कहते हैं -

“बकरी पाती खात है, वाकी काढ़ी खाल।

जो जन बकरी खात है, तिनकों कौन हवाल॥”

कबीर अपने दौर के प्रौढ़ रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में प्रगतिशीलता का तत्व प्रधान रूप से विद्यमान है। समाज सुधारक कबीर अपनी रचनाओं के द्वारा तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यह कबीर के साहित्य का ही देन है कि इतने वर्षों बाद भी हम उनकी रचनाओं में अपनी समस्याओं का हल देखते हैं। समाज सुधार की दृष्टि से कबीर ने कुसंगति, कपट एवं द्वेष की निन्दा की है। कुसंगति पर एक उक्ति द्रष्टव्य है -

“मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराइ।

कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहूँ भाइ॥”

समाज में पाखंड अब भी व्याप्त है, दुराचरण की मात्रा घटने के स्थान पर बढ़ी ही है। छल-कपट, हिंसा, अज्ञान और विद्वेष ने समाज को खोखला कर दिया है। ऊँच-नीच के भेदभाव पर कुठाराघात करते हुए उन लोगों को आड़े हाथों लिया, जो ऊँच-नीच के भेद की दीवारें खड़ी करके अपना स्वार्थ साधने में लगे थे। सबको अपने ज्ञान के द्वारा निश्छलता, सत्य, अहिंसा, ज्ञान एवं विवेक का मार्ग दिखाते हुए सर्व-धर्म समभाव का संदेश दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों के उन दोषों को पूरी निडरता के साथ उजागर किया, जिनके आधार पर वे एक-दूसरे के शत्रु बने हुए थे। क्या आज ये समस्याएं सुलझ गई हैं? यदि नहीं, तो कबीर आज भी प्रासंगिक हैं।

कबीर न तो साक्षर थे और नहीं शास्त्र ज्ञाता थे, तथापि काव्य रचने के लिए बड़ी-बड़ी उपाधियों की आवश्यकता न पहले थी न ही आज है। काव्य रचने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, वह कबीर में कूट-कूट कर भरी हुई थी। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा दिया। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार-सी नजर आती है। भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को ‘वाणी का डिक्टेटर’² कहते हैं।

कबीर ने भक्ति का जो मार्ग दिखाया उसको ध्यान में रखने पर भी कबीर की प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि इन्होंने ईश्वरीय एकता की बात की। कबीर के राम निर्गुण एवं निराकार ईश्वर हैं। उन्होंने उसे सबका प्रभु बनाया तथा मानव धर्म की प्रतिष्ठा की। इसीलिए उन्होंने ईश्वर के लिए राम, कृष्ण, केशव, गोविन्द, माधव, अल्लाह, खुदा, रहमान आदि सभी प्रचलित नामों को ग्रहण किया और शुद्ध आचरण पर आधारित भक्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि जब कबीर की मृत्यु हुई तब उनके शव पर दावा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने किया। मगहर में स्थापित कबीर की स्मारक धार्मिक समन्वय की मिसाल है।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के संबंध में लिखते हैं - “वे मुसलमान नहीं थे। हिंदू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। योगी होकर भी योगी नहीं थे।”³ वे विपरीत परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतरित हुए ऐसे महान तेजस्वी थे, जहाँ एक ओर ज्ञान मार्ग निकल जाता है, तो दूसरी ओर भक्ति का मार्ग।

वर्तमान समय में धर्म में भी कबीर के दृष्टिकोण को आदर्श मानकर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनुष्य की समग्र सोच शक्ति धर्म के आडम्बरों में ही व्यर्थ हो रही है। जिसकी वजह से न तो वह अपने लिए कुछ कर पाता है और न ही समाज के लिए। आज फिर से कबीर की आवश्यकता है, जो दूसरों को समझा सकें। उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। प्यार से नहीं तो डांट-फटकार करके। “प्रत्येक धर्म और उसके सन्तों का उद्देश्य अपने अनुयायियों के जीवन की दैनिक संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर उसे मानवीय एकता का वाहक बनाकर समृद्ध करना होगा। भोग से त्याग पर, संग्रह से दान पर और स्वहित से परहित पर अधिकाधिक बल देना हर धर्म की विशेषता रही है।”⁴ किसी एक देश के साहित्यकार केवल उस देश के लोगों को ही प्रिय नहीं होते, अपितु

वे प्रत्येक सहृदय को प्रभावित करते हैं। कबीर ने सभी धर्मों की विकृतियों पर प्रहार किया और धर्म के नाम पर मानवता की स्थापना की। “कबीर वर्ग, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय व जाति से परे सच्ची इंसानियत के मुरीद थे।”⁵

साहित्यकार देशकाल की सीमा में बंधा नहीं होता। इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचना के माध्यम से आनंदित करता है। कबीर भी एक ऐसे ही सर्वकालिक कवि हैं जिनकी रचनाएं न कभी अप्रासंगिक थीं, न हैं और न होंगी, क्योंकि इनकी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोकहित था। कबीर के काव्य की मूलभूत चेतना समाज-संग्रह है वैयक्तिक मुक्ति का विधान नहीं। कबीर की भक्ति समाजोन्मुखी है नर में नारायण की खोज करती है। कबीर मानव मात्र की समता, एकता एवं स्वतन्त्रता का उद्घोष करते हैं और एक आदर्श आध्यात्मिक मानव निर्माण के माध्यम से समता मूलक, शोषणरहित, हिंसा रहित एवं समरस समाज का स्वप्न देखते हैं। जिस आदर्श समाज का सपना कबीर ने देखा था उसमें वर्णाश्रम पर आधारित भेदभाव निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

यज्ञदत्त शर्मा, *कबीर साहित्य और सिद्धांत*, अक्षराम प्रकाशन, सोनीपत, पृष्ठ 22

मुकन्द द्विवेदी (संपादक), *हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली-4*, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 391

हजारीप्रसाद द्विवेदी, *हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास*, पृष्ठ 77

ब्रजराज स्वरूप, *भारतीय संस्कृति और धर्म*, पृष्ठ 159

शिवकुमार मिश्र, *भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य*, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 47



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 28-31



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

भारत में नागरिकता का इतिहास - एक समीक्षात्मक अध्ययन

अविनाश कुमार

शोधार्थी (इतिहास विभाग) बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

प्राप्ति - 02 जुलाई, 2019; संशोधन - 04 जुलाई, 2019; स्वीकृति - 22 अगस्त, 2019

सारांश

भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें अनुच्छेद-05 से अनुच्छेद-11 तक नागरिकता का प्राविधान किया गया था अर्थात् कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं? भारत का नागरिक होने हेतु अर्हताओं, नियमों आदि का विशद् वर्णन किया गया है। हमारे लिए नागरिकता का महत्व कितना अधिक है इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण स्तर के चुनाव से लेकर देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) तक के चुनाव में प्रथम अर्हता नागरिकता ही होती है। अतः भारत का नागरिक ही इन चुनावों में भाग ले सकता है। हमारे लिए देश का नागरिक होना बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। अतः भारत में भी नागरिकता का सम्प्रत्यय उतना ही प्राचीन है जितना कि सम्पूर्ण विश्व में। वैदिक काल से लेकर वर्तमानकाल तक इसमें गुणोत्तर विकास हुआ है, परन्तु भूमण्डलीकरण के इस दौर में इस सम्प्रत्यय की विशेष शिक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

समीक्षा

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नागरिकता का सम्प्रत्यय अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान है, जैसे - वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण व महाभारत, भगवद्गीता, समस्त स्मृतियों में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों आदि में नागरिकता एवं नागरिक गुणों की शिक्षा का विशद् वर्णन है जो सम्पूर्ण विश्व में देखने को नहीं मिलता, चाहे वह राम का चौदह वर्ष हेतु वन-गमन हो अथवा भरत के द्वारा राजगद्दी का परित्याग, चाहे वह भीष्म व युद्धिष्ठिर जैसा मर्यादित चरित्र हो या कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्तव्यों के प्रति उपदेश हों, चाहे वेदों में राजा के प्रजा के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्धारण हो अथवा स्मृतियों में निर्धारित किए गए सभी मानवों हेतु कर्तव्य हों, चाहे चाणक्य द्वारा अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में बनाए गए राज्य के सप्तांग सिद्धान्त हों या महात्मा बुद्ध या

महावीर स्वामी के उपदेश तथा शिक्षाएँ हों, सभी में नागरिकता की शिक्षा विस्तृत रूप में समाहित है। नागरिकता की शिक्षा से हमारा आशय है, जो राष्ट्र में निवास करने वाले नागरिकों को राष्ट्रीयता एवं आदर्श नागरिक होने का बोध कराए। यह एक अन्तःमन का ऐसा भाव है जो हमें गौरव का बोध कराती है, जैसे - हम गर्व से कहते हैं कि “हम भारतीय हैं।” अतः भारतीय होना हमारी नागरिकता का परिचायक है।

नागरिकता का विचार अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु आधुनिक युग में यह राष्ट्र-राज्य के अन्तर्गत अपने पूर्ण सदस्यों को, जो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वे तात्त्विक नागरिकता (Substantive citizenship) की श्रेणी में आते हैं। किसी राज्य में व्यक्ति को नागरिकता किन-किन शर्तों पर प्राप्त होगी - यह उस राज्य के संविधान और कानून से निर्धारित होता है। साधारणतया जब कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे अपने मूल देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। वास्तव में नागरिकता की मूल संकल्पना, कर्तव्य भावना से जुड़ी थी और उसमें अधिकारों का विचार गौण था, लेकिन आज के युग में नागरिकता की पहचान अधिकारों से जोड़कर की जाती है।

भारत में आधुनिक लोकतंत्र को ब्रिटेन की देन के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। ब्रिटिश शासन यहाँ करीब 200 वर्ष रहा जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी (1765-1857) और क्राउन युग (1858-15 अगस्त 1947) में विभाजित किया गया है। नीरजा गोपाल जयाल द्वारा रचित *सिटीजनशिप एंड इट्स डीस्कटेंट्स* (2013) नामक पुस्तक में भारत में नागरिकता के विकास पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल (1765-1857) के दौरान ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली इंडिया और ओवरसीज भारतीयों के साथ राष्ट्रीयता का अलग-अलग पैमाना रहा। इस क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हो पाया। कंपनी के युग में भारतीयों को प्रजा समझा गया और तकरीबन कोई खास अधिकार प्रदान नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद क्राउन शासन (1858-1947) के दौरान नागरिकता पर चर्चा शुरू हुआ और धीरे-धीरे भारतीयों को कुछ नागरिकी और राजनैतिक अधिकार दिए जाने लगे। 1858 में सर्वप्रथम क्राउन शासन की स्थापना हुई थी। 1871 में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी की गई। यह जनगणना धर्म, जाति और उपजाति के आधार पर किया गया था। यह तब भी आपत्तिजनक था। संभवतः 2021 के प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) से आपत्ति का यह भी एक आपत्तिजनक मुद्दा हो सकता है। 1871 वाली जनगणना को ब्रिटिश शासक द्वारा नागरिकता प्रदान करने की दिशा में प्रारंभिक कदम बताया जाता है। तथाकथित भारत की सरकार (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) ने क्राउन शासन के दौरान आधा दर्जन अधिनियम (एक्ट्स) पास किए। इन अधिनियमों में 1861, 1893, 1909, 1919, 1935, और 1947 का अधिनियम महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों को राजकाज में सलाहकारों और भागीदारों की हैसियत से विधान परिषद यानि इंडिया कौंसिल में बैठने का मौका मिला। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। भारतीयों को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। संभवतः यह लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का काल था। क्राउन शासन के करीब 40 साल तक यानि 19वीं शताब्दी में नागरिकता के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया। यह अलग बात है कि कोलोनियल सिटीजन की हैसियत से भारतीयों को (आई. सी.एस.) अर्थात् प्रशासनिक सेवा में भर्ती का अवसर दिया गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते ही ब्रिटिश सरकार काफी सक्रिय हो गई। बंगाल को बाँट दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कर दी गई। 1909 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इंडियन कौंसिल में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन द्वारा मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। आगे 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र के साथ प्रान्तों के विधान पालिकाओं में मतदान का अधिकार दिया गया। कई विषयों को राज्य विधान पालिका को हस्तांतरित (Transferred) किया गया।

यानि भारत में पहली बार द्वेध शासन (Dyarchy) की स्थापना की गई। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार चुनाव और मताधिकार की औपचारिक तौर पर घोषणा हुई और लागू भी हुआ। ग्यारह राज्यों को 1935 के अधिनियम के तहत स्वायत्तता यानि (Provincial Autonomy) दिया गया। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें ज्यादातर में कांग्रेस और कुछ में मुस्लिम लीग की जीत हुई। अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और फिर हिन्दुस्तान के विभाजन का विषय का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी विभाजन के समर्थक बन गए और मुस्लिम के साथ ही अलग दलित देश के सपने भी संजोने लगे। अंग्रेज भारत की आजादी पर जोर देने लगे। 1945 के बाद संविधान और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का मुद्दा भी गरमाने लगा। संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव और मनोनयन हुआ। 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और गठन भी हो गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन इस सभा में संविधान निर्माण पर कम और विभाजन पर ज्यादा चर्चा होने लगी। अंततः देश के विभाजन की बात कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार ने मान ली। लन्दन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास होकर आ गया। इस एक्ट में भारत और पाकिस्तान को औपचारिक रूप से दो अलग स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। संविधान सभा भी बाँट दी गई। मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान और बचे लोग भारत के लिए संविधान बनाने में लग गए। संविधान सभा में नागरिकता को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ जिसका उल्लेख वैंलेरियन रोरेंड्रिगुएस ने अपनी लेख भारतीय संविधान और नागरिकता में किया है। उनके अनुसार संविधान सभा के कुछ सदस्य विभाजन के बाद एक बार पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत में बसने की इच्छा रखते हुए वापस आए। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य ऐसे लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. आंबेडकर भी इसी मत के समर्थक थे। सभा के अन्य सदस्य रेणुका चौधरी आसाम की प्रतिनिधि थीं। उन्होंने भी इस बात पर आशंका जताई थी। उनके अनुसार भी नागरिकता को ऐसे खुले प्रावधान से पूर्वी पाकिस्तान से असाम में भी काफी लोगों को आ जाने की संभावना है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ भी सकता है। पी.एस. देशमुख ने एक अलग सुझाव दिया कि हिन्दु और सिक्ख जो कहीं भी रहते हों और किसी देश के नागरिक नहीं हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए बशर्ते कि इस देश में पीछे बारह वर्ष से रह रहे हों। पंडित ठाकुरदास भी इसी तरह की बात कर रहे थे। हालांकि नागरिकता देने और मना करने के इस बिंदु से बड़े बिन्दुओं पर भी संविधान सभा में मतभेद था। एक समूह सभी लोगों को एक जैसी बराबरी के आधार पर नागरिकता के अधिकार देने की वकालत कर रहे थे। दूसरा समूह विभिन्नताओं के आधार पर अलग-अलग किस्म की नागरिकता प्रदान करने के हिमायती थे। अलग-अलग बिन्दुओं के बीच एक साथ सामंजस्य बैठाकर संविधान सभा में कुछ-कुछ सहमति बनी और नागरिकता सम्बन्धी कानून बना। 1946 में गठित संविधान सभा में विभाजन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नवम्बर 1949 यानि लगभग तीन वर्ष में संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाकर भारत के लोगों को दे दिया। 26 नवम्बर 1949 को भारत के संविधान को लागू भी कर दिया गया। इस भारत के संविधान में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने, खोने और नए नागरिक बनाने सम्बन्धी प्रावधानों का विस्तृत और विधिवत वर्णन है।

सन्दर्भ, सहायक ग्रन्थ सूची

- एस.पी., गुप्ता (2012). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*, इलाहाबाद: पूर्णतया संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण, शारदा पुस्तक भवन, पृ. 121
- पाण्डेय, आर.एस. एवं मिश्र, करुणा शंकर (2008). *मूल्य शिक्षा*, आगरा: चतुर्थ संस्करण, अग्रवाल प्रकाशन

- मंगल, एस.के. (2015). *शिक्षा मनोविज्ञान*, नई दिल्ली: नौवाँ संस्करण, पी.एच.आई. प्रकाशन
- लाल, रमन बिहारी एवं शर्मा, कृष्णकान्त (2008). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो
- एच.ओ., अग्रवाल (2008). *मानव अधिकार*, चतुर्थ संस्करण, इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉ प्रकाशन, पृ. 145-150
- पुखराज, जैन (2001). *नागरिकशास्त्र की रूपरेखा*, 28वाँ संस्करण, आगरा: साहित्य भवन प्रकाशन
- ओम प्रकाश, गाबा (2005). *समकालीन राजनीति सिद्धान्त*, नोएडा: मयूर पेपर बैक्स प्रकाशन पृ. 157
- आचार्य दुर्गादास, बसु (2010). *भारत का संविधान - एक परिचय*, नागपुर: लैक्सिस-नैक्सिस बटरवर्थ वाधवा प्रकाशन पृ. 21
- हर्नाडज, बी. आदि (2004). *डिसऐबिलिटी राईट्स: एटीट्यूड्स ऑफ प्राईवेट एण्ड पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेन्टेटिव्स*, *जरनल आफ रिहैबिलिटेशन*, 70(1), पृ. 28-37



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 32-35



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

अशोकविजयम् नाटक में विवेचित मानव मूल्य एवं उनकी प्रासंगिकता

सोनी कुमारी

यूजीसी (नेट), संस्कृत, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

प्राप्ति- 01 अगस्त, 2019; संशोधन- 12 अगस्त, 2019; स्वीकृति- 28 अगस्त, 2019

सारांश

अशोकविजयम् डॉ. रामजी उपाध्याय प्रणीत ऐतिहासिक घटना पर आश्रित पाँच अंकों का नाटक है। अशोकविजयम् का तात्पर्य अशोक के विश्वविजय से है। अशोकविजयम् मानव मूल्य के सम्पूर्ण आयामों को विवेचित करने वाला उच्चकोटि का नाटक है। मानव मूल्य ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सदैव मानव कल्याण का प्रामुख्य विद्यमान रहता है। जब मनुष्य मानवीय गुणों को समाहित करते हुए सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति कल्याणभाव रखते हुए अपना जीवनयापन करता है, तो वह मनुष्यत्व धर्म का निर्वहन करते हुए यथार्थ रूप से मानव मूल्यों को संवर्धित करता है। सर्वजन सुखाय की भावना से युक्त मानवीय धर्म ही मानव मूल्य है। जिसके अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, परोपकार, दान, धर्म, पुण्य, सुकृत, प्रेम, एकता, विश्वबन्धुत्व की भावना इत्यादि विषय समाहित हैं।

मूल शब्द: मानव मूल्य, सत्य, अहिंसा, प्रासंगिकता।

प्रस्तावना

भारतवर्ष में देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार मानवता के प्रति समर्पित चिन्तकों ने नए-नए मूल्यों का न केवल सृजन किया, अपितु उनके व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान केन्द्रित किया और यही कारण है कि इस विषय पर विद्वानों का अलग-अलग विचार हमें प्राप्त होता है। चिन्तन और कर्म एक-दूसरे के पूरक होते हैं। चिन्तन रहित कर्म दिशा से भटक सकता है और कर्म रहित चिन्तन भी मात्र विचार के धरातल से आगे नहीं बढ़ पाता। इस तथ्य को जानते हुए मानव मूल्यों के सन्दर्भ में दोनों पक्षों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और आज भी भारत और वैश्विक चिन्तक में इन दोनों का समन्वय आवश्यक माना जाता है। संस्कृत के सहस्र वर्षों से समृद्ध साहित्य में मानव मूल्यों के रत्नों का अपार भण्डार है। इस विशाल साहित्य और गहन सागर में जो अध्येता जितनी गहराई तक

गया, उसको उतने ही अधिक रत्न प्राप्त होते रहे और फिर भी विद्वतजनों को अपने प्रयास अपूर्ण प्रतीत हुए हैं। वे साहित्य के सागर में बार-बार एक कुशल मछुआरे की भाँति गोता लगाकर नया-नया रत्न प्राप्त करने को उत्सुक हैं।

मानव मूल्य अत्यन्त प्राचीन विषय है, जो वैदिक साहित्य से आरम्भ होकर रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रन्थों तथा संस्कृत साहित्य की सम्पूर्ण विधाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य निरूपित हुए हैं। इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। यदि कालिदास को देखा जाए, तो उनके नाटकों में ऐसे उदात्त मानव मूल्य के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो अन्यत्र दुर्लभ प्रतीत होते हैं। परन्तु एक निश्चित सीमा में समग्र संस्कृत नाटकों की मानव मूल्य तथा उसकी प्रासंगिकता की दृष्टि से समीक्षा करना असाध्य प्रायः है। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने जिन प्रमुख नाटक को मानव मूल्य के सन्दर्भ में विवेचित किया है, वे मानव मूल्य के सम्पूर्ण आयामों को विवेचित करने वाले उच्चकोटि के नाटक हैं जिनकी सम्यक् विवेचना मेरे अध्ययन का क्षेत्र होगा। जिसमें अशोकविजयम् नाटक में विवेचित मानव मूल्य एवं उनकी प्रासंगिकता है। विविध पात्रों की भूमिका के आधार पर दो प्रकार की धारणाएँ प्रदर्शित की गई हैं जिसमें एक ओर समाज के हासोन्मुखी मूल्यों का दिग्दर्शन होता है, तो दूसरी ओर उन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार हास हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में जिस तरह मूल्यों का क्षरण हो रहा है, ऐसे में आवश्यकता है मानव मूल्यों की दृष्टि से अध्ययन करने की जो वर्तमान समाज के लिए उपादेय हो।

अशोकविजयम् नाटक में विवेचित मानव मूल्य

अशोक युवावस्था में हिंसा के चरमोत्कर्ष पर थे। वे अपनी अपार सेना से कभी न पराजित होने वाले कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। कलिंग राज्य इतनी आसानी से नहीं परास्त हुआ था। उस युद्ध में भीषण हिंसात्मक ताण्डव अशोक की सेना द्वारा किया गया था, जिसमें कलिंग राज्य की जनता की बलि चनाट्य कथा का उपजीत्य अशोक के कुछ आत्मकथापरक शिलालेख हैं। तेरहवें शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का कारुणिक प्रसंग विवेचित है। उस समय राजाओं के लिए नरसंहार करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, परन्तु इस युद्ध के अनन्तर अशोक सदा के लिए युद्ध से विरत हो गए। इस नाटक में उनके हृदय परिवर्तन को एक छोटी-सी सुन्दर कथा के माध्यम से दिखाया गया है कि अशोक के स्नेह-भाजन जलसेनाध्यक्ष सुधन्वा के अद्वितीय प्रयास से कलिंग विजय प्राप्त हुई उसकी हत्या शत्रु सेनापति ने धोखे से कर दी थी। उसकी मृत्यु के बदले भेजे जाने वाले पारितोषिक को उसके पिता सुशर्मा स्वीकार न करके सपरिवार आत्मदाह के लिए अद्यत हैं। समाचार प्राप्त होने पर अशोक उसे रोकना चाहते हैं तो सुशर्मा कहता है कि जिसका पुत्र मरता है, वही अन्तक पीड़ा जानता है। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, उनके माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री तथा पत्नी पर क्या बीत रही है? क्या आपने कभी सोचा? अशोक उसके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं तथा हिंसात्मक रूप से सम्पन्न होने वाले युद्ध को सभी पापों से बताता है कि आप सम्भरण नहीं मरण कर रहे हैं।

कलिंग-विजय के बाद अब आपने सिकन्दर जैसी विश्वविजय की भावी योजना की घोषणा कर दी है। आपने पूर्व में ही कितने लोगों की इहलोक लीला को विराम दे दिया है। परन्तु पुनः इस विश्वविजय में न जाने कितने लोग मृत्यु के घाट उतरेंगे। उनके आश्रित रोते-बिलखते भूखों मरेंगे तो किसको कोसेंगे? अशोक सुशर्मा की बातों पर विचार करता है, तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। हिंसात्मक रूप से सम्पन्न होने वाले युद्ध को सभी पापों से बे प्रजा का कार्य तथा समस्या शीघ्र बताई जाए। मैं उसे अतिशीघ्र सम्पन्न करूँगा। इतना कार्य करने पर भी मुझे सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती कि सम्यक् रूप से लोकहित कर पा रहा हूँ। इस प्रकार अशोक ने सम्पूर्ण मानवों के

समक्ष प्रजाधर्म का प्रवर्तन किया। जिसका किसी भी धर्म या सम्प्रदाय से विरोध नहीं था। वहीं सभी धर्मों के प्रति समान रूप से दृष्टि रखने वाला तथा सम्मान करने वाला अद्वितीय व्यक्ति था। नाटक के अनुसार निःशस्त्र होकर शासन संचालन की सामर्थ्य-प्राप्ति हेतु अशोक हिमालय पर तपोसाधना करते हैं। इनकी तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवगण प्रसन्न होकर अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान करते हैं तथा प्रियदर्शी की उपाधि से विभूषित करते हैं। ब्रह्मा अशोक को लक्ष्य करके कहते हैं कि देवताओं ने तुमको अपना अभीष्ट सम्पादन का पूर्ण सामर्थ्य प्रदान किया है। उनकी अभिलाषा है कि धर्मविजय से तुम सभी राजाओं, सम्प्रदायों और जनपदों को यह प्रतीत कराओ कि हम सभी परस्पर आदर भाव की वृद्धि करते हुए अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकेंगे। इस प्रवृत्ति को आत्मसात् करके न केवल प्रजाऋण से अपितु देवऋण से भी विमुक्त हो जाओगे। अशोक आजीवन विश्वकल्याण के व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। राजधानी आने के उपरान्त वह विश्वविजय की पूर्व योजना को धर्म विजय में परिवर्तित करके तथा उसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री से देश-विदेश के राजाओं को निमन्त्रित करने को कहते हैं तथा घोषणा करते हैं कि अब मैं स्वयं को राजराजेश्वर नहीं अपितु प्रजा को परमेश्वर मानता हूँ। सभी देश-विदेश के राजाओं के उपस्थिति होने पर एक बैठक सम्पन्न करते हैं, जिसमें वे विनम्रतापूर्वक अपने संकल्पों को अन्य शासकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे युद्ध के भयंकर परिणामों पर प्रकाश डालते हुए भीषण नरसंहार तथा कारुणिक विपन्नता का पाप राजाओं तथा सैनिकों पर पड़ने की बात उजागर करते हैं। वे अपने शपथ को लोगों के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि न तो मैं युद्ध करूँगा और न ही औरों को करने दूँगा। युद्ध करने से अधिक शक्ति युद्ध रोकने के लिए चाहिए। वह शक्ति मुझे तपोसाधना से हिमालय पर प्राप्त हो चुकी है। सभी राजा उसके इस विचार से सहमत होते हैं। अशोक उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को केवल एक ही कार्य करते रहना है कि आप सदा इस भावना से पवित्र बने रहें कि मैं जो कुछ करता हूँ वह लोकहित के लिए करता हूँ, अशोक के लिए करता हूँ। अशोक जो कुछ करते हैं वह मेरे लिए करते हैं। हमारी सारी प्रवृत्तियाँ आपको तथा समग्र चराचर के लाभ के लिए हैं। आप ऐसा न सोचें कि आप अकेले हैं। मैं सोते-जागते आपको सहारा देते हुए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से आपके साथ हूँ। मुझे अपने विचार सौरभ से विश्व को सुवासित करना है, यही हमारी विश्वविजय है तथा विश्वशान्ति और सर्वोदय का मूल-मन्त्र है। इस नाटक की सम्पूर्ण घटनाएँ अशोक के माध्यम से सम्पन्न हुई हैं। अशोक ने देश-विदेश के समकालीन राजाओं को एकमत किया। परस्पर सभी में मैत्रीभाव का संवर्धन किया तथा विश्वमानवता को साच्चारित्र्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक की शिक्षाओं की महत्ता सदैव रहेगी। उसके आदर्श समाज के समक्ष सदैव शिक्षाप्रद रहेंगे। प्रजापालन की उत्कृष्ट प्रवृत्ति तथा विश्वमानवता के विकास की दृष्टि से अशोक का व्यक्तित्व प्रेरणाप्रद है। इस नाटक में वसुधैव कुटुम्बकम्, अहिंसा, लोकहित तथा सम्पूर्ण चराचर की सुख-शान्ति जैसे जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है।

अशोकविजयम् नाटक में विवेचित मानव मूल्यों की प्रासंगिकता

भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का आदि स्रोत वेद है। जो मानव को किस प्रकार से मानवता युक्त रहें तथा कैसा आचरण करें? जैसे असंख्य तथ्यों का अद्वितीय मार्गदर्शक है, जिसमें मानवीय मूल्यों, नैतिक आदर्शों, कर्तव्यों जैसी धारणाएँ समाहित हैं, जो वर्तमान सन्दर्भ में भी अत्यन्त प्रासंगिक है। वेदों से आरम्भ होकर मानव कल्याण की यह भावना अद्यावधि संस्कृत साहित्य में देश काल के सापेक्ष सतत् निरूपित होती आ रही है।

समस्त मानव कल्याण के लिए -

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्॥

अर्थात् सभी प्राणी सुखी रहें का मूल्य विकसित हुआ। जहाँ ये भी प्रश्न उठा कि मानव कल्याण के इस लक्ष्य में जो शक्तियाँ विशेषकर मानव मूल्य या व्यक्ति विशेष जब क्या किया जाय? सम्भवतः इसी समस्या का समाधान गीता में इस प्रकार दिया गया है -

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे॥

अर्थात् सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग से धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। यहाँ यह वाक्य कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, जो विष्णु के अवतारों में समस्त सोलह कला वाला अवतार था, बल्कि उनके लिए ये भी कहा गया कि वो अवतार नहीं स्वयं भगवान ही थे। मानव मूल्य की अवधारणाएं धर्म को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती हैं। अशोकविजयम्, नाट्य-ग्रन्थ से अनेक मानवीय मूल्य उभरकर सामने आए हैं, जैसे - अहिंसा, सौहार्द, राष्ट्रप्रेम, मानव कल्याण आदि वर्तमान समय में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रारम्भ में थे। लोकसमस्यापरक (उत्पाद्य या कल्पित) नाटकों को विवेचित करते हुए समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों, विसंगतियों तथा सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए नाट्यानुरूप उनके समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रकार मानव मूल्य एक विशद् और ग्राह्य विषय है जो मानव समाज के समक्ष उच्च आदर्श के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। ये मानव जीवन के प्रगति के आश्रय हैं एवं इनमें लोक कल्याण की भावना निहित है। मूल्य मानव जीवन के बहुमूल्य धरोहर हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की अस्मिता के लिए इनकी रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। सम्पूर्ण मानव जाति को इन मूल्यों को अपने व्यवहार में क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके। इस विषय पर अथक प्रयत्न करने के उपरान्त मैं यही आशा करती हूँ कि मानव मूल्य की दिशा में यह शोध समाज का अल्पाधिक मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा।

सन्दर्भ, सहायक ग्रन्थ सूची

- डॉ. रामजी उपाध्याय, *अशोकविजयम्*, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण वि.सं. 2057
- डॉ. कमलेश रानी, *अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्य परम्परा में रेवाप्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य*, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2016
- डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, *आधुनिक संस्कृत साहित्यश्री*, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2001
- डॉ. देव कुमार यादव (सम्पादक), *भारतीय दर्शन में मानवतावादी अवधारणा*, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, 2009
- भरत कुमार तिवारी, *मानवीय चेतना के आयाम*, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2014
- गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, *मूल्य मीमांसा*, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, 2005
- ग्रोवर, बी.एल., *आधुनिक भारत का इतिहास*, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., 2001
- पाण्डेय, रामशकल, *भारतीय शिक्षा दर्शन की रूपरेखा*, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2, 2005
- मिश्र, हृदय नारायण, *सामाजिक राजनीतिक दर्शन के नये आयाम*, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद, 2005



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

ATTITUDE TOWARDS THE EXISTING EVALUATION STRATEGIES AT THE ELEMENTARY LEVEL SCALE VALIDATION

Prof. Mehnaz Ansari* and Lama Ramadan**

*IASE, F/O Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi

**Research Scholar at IASE, F/O Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi

Received: 8 August 2019, **Revised:** 22 August 2019, **Accepted:** 28 August 2019

Abstract

Evaluating the psychometric properties of a certain research instrument endows the researcher with the opportunity to utilize the instrument confidently so that it gives reliable, valid, and meaningful information which the researcher can use in making decisions. In this paper the researcher aims at studying validity and reliability of an attitude scale which tests the teachers' attitude towards the existing evaluation strategies adapted by schools at the elementary level in New Delhi. After studying the related literature of the history of evaluation system at the elementary level in India and reviewing the latest circulars of CBSE regarding the reformations of the evaluation system at the target educational level, the researcher found a need to conduct a tool which studies the teachers' attitudes towards the existing evaluation strategies concerning the unavailability of such a tool. Conducting this tool made studying its psychometric properties, which are represented by the different types of validity and reliability, a practical need for implementing the tool on the target sample. For this purpose, the researcher tested the content validity and the face validity of the scale. Moreover, the reliability was tested by calculating the Cronbach's Alpha coefficient with the value of (0.945), Spearman-Brown Coefficient with the value of (0.919) and Guttman Split-Half Coefficient with the value of (0.918). Moreover, the researcher tested the internal consistency by calculating Pearson Correlation coefficient, and it was significant at the 0.01 level (2-tailed) and the 0.05 level (2-tailed). The paper shows that the attitude scale has good psychometric properties, which makes it ready to be implemented on the final sample.

Keywords: Psychometric properties, validity, reliability, attitude, evaluation strategies, elementary level

INTRODUCTION

Evaluation refers to the process that deals with students' achievement at school where the evidences concerning the changes which occur in students' behavior is collected and analyzed. This is an essential need for making decisions in the teaching-learning process.

India aimed at preparing its generation to be efficient citizens through enhancing its educational system. As a result, the changes and development in the educational practices and policies in India have directly influenced students' evaluation practices and strategies so that they fulfill the goals of the system which aimed at improving students' evaluation to be a continuous, comprehensive, remedial, diagnostic, and child-centered process where every student is responsible for his learning and achievement. This is achieved through endowing students with the chance to be an active member in the teaching-learning process as well as in the process of evaluation. This development has gone through many stages. In the last decade, in 2009-2010, Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) was implemented as an attempt to enable children of becoming responsible, productive, and useful individuals who can contribute to their respective society.

Although the majority of the States and UTs implemented CCE as mandated by the RTE Act-2009, there have been some opinions that have opposed CCE, no detention policy, abolition of public examination till elementary stage under RTE Act in some sectors over the past years. According to the review studies on CCE conducted by the NCERT and organizations like the UNICEF, the system is deeply influenced by any inappropriately conceptualized curricular reform. According to the formative evaluations, the CCE programme of the States and UTs, the CCE models that are implemented share many similar points with some variations concerning the duration, frequency and weight age of formative and summative assessments, recording, reporting, etc.

On the other hand, there seems to be a common point among all of them which is departing from the genuine spirit and purpose of assessment. Obviously, there exists a misunderstanding and inadequacy in the implementation of CCE since various CCE frameworks showed issues that affected the implementation of CCE in addition to having important implications for inclusive and equitable education. Therefore, it is not correct to ascribe the decline in quality to CCE. Rather, it is more useful to utilize the rationally designed school-based evaluation, i.e. CCE and external evaluations (NAS/SLAS) judiciously.

The document stresses the importance of a few points:

1. In addition to being continuous and comprehensive, assessment under CCE needs to be non-threatening especially for children with special needs. It should oppose and discourage irrational comparison, labeling, and fear of examination.
2. Both children and parents should be active participants in children's learning and development.
3. The system must give the opportunity of self-assessments and peer-assessments at every level. This is because they encourage children to participate in their learning and develop the ability of self-learning.
4. There is an urgent need for timely feedback and constructive suggestions throughout the teaching-learning process quarterly PTMs since sharing children's progress reports gives

the opportunity for various stakeholders, i.e. parents or guardians, teachers and students themselves to take notice of the level of accomplishment and for the additional efforts that are required to be done.

5. There is a need for pre-planning the rational division of the syllabus quarterly for the yearly academic calendars while taking into consideration teachers' suggestions and participation in the development of such plans. This kind of planning needs to be done at the school level.
6. As teachers should be provided the liberty to select or devise new learning aids or strategies, resources and activities have the role of being only suggestive.
7. Instead of assessing rote memory of children, there is a need for assessment questions, exercises, and assignments to be process-based and endow children with the opportunity to think critically and explore.
8. In case the written tests are evaluated based on marks or grades, they should be fortified with qualitative descriptions. Although marks or grades facilitate deciding the learning level, remarks give the chance to uncover the gaps and suggest how they could be improved.
9. The levels which are allotted for various learning outcomes under diverse curricular areas give teachers important information regarding the number of children lagging behind incertain learning outcome(s).
10. The data which result from the quarterly progress reports give glimpses to both students and teachers concerning the way to review their teaching-learning in order to take steps (assessment for learning) for the next quarter.
11. Analyzing children's yearly progress reports makes known the progress of children in a particular class or stage or school.

NEED AND SIGNIFICANCE OF THE STUDY

Evaluation is essential for the teaching-learning process as it gives teachers and learners the opportunity to promote teaching and learning. Being an incessant process and a periodic exercise, evaluation facilitates the formulation of judgment values, educational status, or students' achievement. Since judgments need to be made in the different fields of activity of evaluation, evaluation in its various forms is indispensable in the teaching-learning process.

As a result to the various studies conducted on the old scheme of evaluation of CCE and revealing its advantages and disadvantages, there exists an urge to enhance students' evaluation at schools. Still, this is insufficient as there is a sore need to examine the alternatives and their function to improve the quality of the teaching-learning process.

Apart from the CBSE aforementioned circular and the new guideline by NCERT, no study was found concerning the existing evaluation strategies at the elementary level. Consequently, the researcher formulated an attitude scale of teachers' attitude towards the existing evaluation strategies adapted by schools at the elementary level based on her conviction that there exists an urgency to delineate the situation at schools. Hence, the need of this paper is to find the psychometric properties of an attitude scale in order to examine the teachers' attitude towards

the existing evaluation strategies adapted by schools at the elementary level in New Delhi. The researcher formulated this attitude scale basically based on the guideline published by NCERT in 2019 since it is the sole official document the researcher found on the relevant topic after the CBSE decided to reform the system. In addition, it takes into account her reading and examining of the relevant literature.

STATEMENT OF THE PROBLEM

What are Psychometric properties of an attitude scale of teachers' attitude towards the existing evaluation strategies adapted by schools at the elementary level in New Delhi?

OPERATIONAL DEFINITIONS OF TERMS

Psychometric properties are utilized to delineate the validity and reliability of a research instrument through giving proof concerning the appropriateness, meaningfulness, and usefulness of a certain research instrument.

Validity is used to demonstrate to what extent the collected data can provide information regarding the area of research (Ghauri and Gronhaug, 2005). Thus, validity means to “measure what is intended to be measured” (Field, 2005). The kinds of validity; namely, face validity, content validity, and construct validity.

The operational definition of attitude is the personal degree of agreement or disagreement of each item that is part of an attitude scale based on Likert's scale and which is built by the investigator herself or other researchers.

Elementary Education in India: It consists of two levels: the first is the primary education from 6 up to 11 years old and the second one is the upper primary education from 11 up to 14 years old. Based on the Indian constitution, the Indian government is responsible for providing free and compulsory education for all children whose age is between 6 and 14. The system does not include only the book, classroom and the teacher, but it is an environment that encompasses nutrition, clothes, activities, and health where children have the advantage of widening their scope by constant learning.

Strategy of Evaluating Students: This includes collecting data in addition to the evidence of the changes which occur to the student's behaviour before, during, and after the teaching-learning process. It also comprises analyzing data to benefit its findings in enhancing the educational process as a whole. The strategy must be comprehensive and continuous, and it should comprise everything that can be evaluated like remedial, child-centered and multiple aspects process.

OBJECTIVES

The paper objective is studying the Psychometric Properties of an Attitude Scale of Teachers' Attitude towards the Existing Evaluation Strategies Adapted by Schools at the Elementary Level in New Delhi.

RESEARCH METHODOLOGY

This paper is categorized as a ‘descriptive survey method’. A descriptive research delineates a population, situation, or phenomenon which is under study, and it examines the connection between variables.

POPULATION AND SAMPLE

In this study the sample is a smaller group of elements drawn from an accessible population, the researcher chose the population of KVS in New Delhi and as a sample she selected three major KVS in Delhi which are:

KVS in JNU campus

KVS R.K Puram sector 2

KVS R.K Puram sector 4

A sample of 100 teachers teaching (Hindi, English, Social Science, math and Science) has been selected through random sampling method.

RESEARCH TOOLS

This paper is studying the psychometric properties of the following tool:

Attitude Scale to measure Teachers’ attitude towards the Existing Evaluation Strategies adapted by schools at the elementary level in New Delhi.

In an attempt to measure the attitude of the group sample on certain key points/objectives, an attitude scale was developed. 39 items were constructed to know teachers’ attitude towards the objectives. The scale was structured in Likert fashion that is on five points scale which ranges from “Strongly Agree (SA)”, “Agree (A)”, “Undecided (U)”, “Disagree (D)”, and “Strongly Disagree (DS)”. After that, respondents were asked to answer to the extent on which they agree with the statements of the scale. The attitude scale comprised five main classifications relating to the existing evaluation strategies at schools as the following:

Section 1: Nature of learning

Section 2: Assessment for Learning

Section 3: Assessment as learning

Section 4: Assessment of learning

Section 5: The Existing Concept of Continuous and Comprehensive evaluation

As a result of the pilot study the 39 questions scale was reduced to 31 items, the final distribution of the attitude scale items is as the following:

<i>Aspect</i>	<i>Statement No.</i>
Nature of Learning (4)	1, 2, 3, 4
Assessment for Learning(7)	5,6,7,8,9 ,10, 11
Assessment as Learning(2)	12,13
Assessment of Learning(3)	14, 15, 16
The new Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation(15).....	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31
What is to be assessed?(2)	
Ensuring a child-friendly environment(2)	17 ,18
Child centered teaching- learning(11)	19, 20
Recording and reporting	21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Scoring was done for each item as per the following formula:

SAX5 + AX4 + UX3 + DX2 + SDX1 (all the items were positive statements)

As mentioned above: Strongly Agree (SA)", "Agree (A)", "Undecided (U)", "Disagree (D)", and "Strongly Disagree (DS)"

The result is that for every item the highest score was 5 and the lowest one was 1; so the highest score for the scale was 155 and the lowest one was 31.

Norms

<i>Range of Raw Score</i>	<i>Classification</i>
113 to 155	Positive
72 to 112	Neutral
31 to 71	negative

DELIMITATIONS

The delimitations of the study are:

- The study is delimited to the schools affiliated to CBSE
- The study is delimited to the schools which follow NCERT curriculum.
- The research is limited to KVS
- The research sample is delimited to teacher of 6th to 8th grade only

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE DATA

The researcher has analyzed the psychometric properties of the above-mentioned attitude scale as the following:

VALIDITY

CONTENT VALIDITY

The researcher has utilized the judgmental approach by reviewing the related literature and then following up with the evaluation by expert judges. Before implementing the tool, the researcher distributed copies of the scale to a number of professional experts in order to test whether the scale measures what it should measure. Here, it should be noted that some statements were edited so that they become unambiguous and more specific. The majority of experts agreed on the statements which were edited.

FACE VALIDITY

For studying this kind of validity, a pilot study was conducted on 30 teachers who were willing to respond to the scale without complaining about any of the statements.

Reliability was tested after entering the resulting data of the pilot study to SPSS Ver. 26.

RELIABILITY

The method used here for the total scale and its classifications is Cronbach Alpha Coefficient in addition to split half reliability method.

Table 1

<i>Axes and total</i>	<i>No. of Items</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Spearman-Brown Coefficient</i>	<i>Guttman Split-Half Coefficient</i>
Nature of Learning	4	.752	.653	.650
Assessment for Learning	6	.823	.704	.703
Assessment as Learning	3	.588	.507	.440
Assessment of Learning	3	.663	.658	.565
Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation	15	.913	.838	.824
Total Scale	31	0.945	0.919	0.918

Based on the table above, it is clear that the value of the calculated reliability coefficients for the total scale and its classification are big in comparison to the number of items that represent these classifications.

TESTING THE INTERNAL CONSISTENCY

The researcher found the correlation between every item and the total score of the classification that it belongs to. This is achieved by calculating the Pearson correlation coefficient. The researcher also found the correlation between the total score of the scale and the total score of each of its classifications.

Table 2: (The correlation between each item and the classification it belongs to)

Correlations									
Nature of Learning	Items	I1	I2	I3	I4				
	Pearson Correlation	.731**	.822**	.774**	.713**				
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000				
Assessment for Learning	Items	I5	I6	I7	I8	I9	I10		
	Pearson Correlation	.693**	.656**	.754**	.789**	.775**	.733**		
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Assessment as Learning	Items	I11	I12	I13					
	Pearson Correlation	.462**	.885**	.639**					
	Sig. (2-tailed)	0.006	0.000	0.000					
Assessment of Learning	Items	I14	I15	I16					
	Pearson Correlation	.746**	.826**	.754**					
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000					
Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation	Items	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24
	Pearson Correlation	.732**	.665**	.525**	.678**	.709**	.832**	.760**	.750**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Items	I25	I26	I27	I28	I29	I30	I31	
	Pearson Correlation	.789**	.470**	.719**	.545**	.715**	.578**	.616**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

Based on the table above, it can be noted that there exists a significant correlation between the items and their classifications.

Table 3: The correlation between each classification and the total score of the scale

Correlations						
		<i>Nature of Learning</i>	<i>Assessment for Learning</i>	<i>Assessment as Learning</i>	<i>Assessment of Learning</i>	<i>Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation</i>
Total Scale	Pearson Correlation	.795**	.792**	.749**	.816**	.960**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Nature of Learning	Pearson Correlation	1	.556**	.564**	.591**	.705**
	Sig. (2-tailed)		0.001	0.001	0.000	0.000
Assessment for Learning	Pearson Correlation		1	.575**	.503**	.637**
	Sig. (2-tailed)			0.000	0.002	0.000
Assessment as Learning	Pearson Correlation			1	.464**	.683**
	Sig. (2-tailed)				0.006	0.000
Assessment of Learning	Pearson Correlation				1	.820**
	Sig. (2-tailed)					0.000
**Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).						

Based on the table above, it is clear that there is significant correlation between each classification and the total score of the scale.

RESULTS AND DISCUSSION

As a result of testing the validity and reliability of the attitude scale by using the various above-mention methods, it is clear that the scale has good psychometric properties, and it can be implemented on the final sample of 100 teachers.

REFERENCES

1. Boudreau, M., Gefen, D., & Straub, D. (2001). Validation in IS Research: a state-of-the-Art Assessment. *MIS Quarterly*, 25, 1-24.
2. Carmines, E.G., & Zeller, R.A. (1979). *Reliability and Validity Assessment*, Newbury Park, CA, SAGE.
3. Eagly, A.H., & Chaiken, S. (1993). *The Psychology of Attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
4. Field, a. P. (2005). *Discovering Statistics Using SPSS*, Sage Publications Inc.
5. Ghauri, P., & Gronhaug, K. (2005). *Research Methods in Business Studies*. Harlow, FT/Prentic Hall.

6. Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). *Social Psychology* (4th edition). London: Prentice-Hall.
7. Huck, S.W. (2007). Reading Statistics and Research, *United States of America*. Allyn & Bacon
8. Katz, D. (1960). *Public Opinion Quarterly*, 24, 163-204.
9. LaPiere, R.T. (1934). Attitude vs. Action. *Social Forces*, 13, 230-237.
10. Lewis, B.R., Snyder, C.A., & Rainer, K.R. (1995). An Empirical Assessment of the Information Resources Management Construct. *Journal of Management Information Systems*, 12, 199-223.
11. Moser, C.A., & Kalton, G. (1989). *Survey Methods in Social Investigation*. Aldershot, Gower.
12. Oluwatayo, J. (2012). Validity and Reliability Issues in educational Research. *Journal of Educational and Social Research*, 2, 391-400.
13. Robinson, J. (2009). *Triandis Theory of Interpersonal Behaviour in Understanding Software Privacy Behaviour in the South African Context*. Masters Degree, University of the Witwatersrand.
14. Straub, D., Boudreau, M.C., & Gefen, D. (2004). Validation Guidelines for IS Positivist Research. *Communications of the Association for Information System*, 13, 380-427.
15. Whitley, B.E. (2002). *Principals of Research and Behavioural Science*. McGraw-Hill.
16. CBSE Central Board of Secondary Education. (2010). *Manual for Teachers on School Based Assessment Classes VI to VII* (1sted.). The Secretary, Central Board of Secondary Education.
17. NCERT National Council of Educational Research and Training. (2019). *Continuous and Comprehensive evaluation Guidelines* (1st ed.). Offices of The Publication Division, NCERT.



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 46-49



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

कॉकबरक लोकोक्तियों की विशेषता

चमिता जमातिया

शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान

प्राप्ति - 08 अगस्त, 2019; संशोधन - 17 अगस्त, 2019; स्वीकृति - 25 अगस्त, 2019

सारांश

कॉकबरक भारत के पूर्वोत्तर राज्य के बरक जनजातियों की भाषा है। जो आठ जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। कॉकबरक भी अन्य भाषाओं की तरह विकसित है, लेकिन इसका लिखित रूप अन्य भाषाओं की तुलना से कम होने के कारण लोगों के नजर में कम है। कॉकबरक लोकोक्तियों की विशेषता से पूर्व मैं कॉकबरक भाषा में लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट करना चाहूँगी। लोकोक्ति को कॉकबरक में कॉकबरखरी, कॉकमूलू आदि भी कहते हैं। अर्थात् कॉक का अर्थ भाषा और बखरी का अर्थ भाषा का सार या केन्द्र भी कहा जा सकता है। अतः लोकोक्ति में गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति कार्य करती है। इसमें जीवन का सत्य परिलक्षित होता है। लोकोक्ति मानव स्वभाव तथा व्यवहार कुशलता की ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली आ रही है। वैसे भी दैनिक जीवन में प्रत्येक समस्या पर विचार करने की जितनी बड़ी दलील लोकोक्ति देती है, वैसी दूसरी कोई नहीं। इसी प्रकार कॉकबरक लोकोक्तियों के माध्यम से ही सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। क्योंकि अगर किसी को भी सीधे-सीधे कोई भी बात समझाते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है। इसी कारण लोकोक्तियों का प्रयोग दिन-प्रति-दिन प्रयोग होते चले गए हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से हम किसी भी बात को संक्षेप में कह सकते हैं। समाज में इनका प्रयोग हमेशा से ही होता आया है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए लोगों के साथ उठना-बैठना भी होता है। इसमें अगर किसी को भी बुरा-भला कहना है और सीधे-सीधे कह देंगे, तो लोगों को बुरा लगेगा जिससे समाज में मन-मुटाव होगा। इन सबसे बचने के लिए भी लोकोक्तियों का प्रयोग हमेशा से ही होता आया है। लेकिन बस समाज के लिए ही नहीं बरक जनजातियाँ इसे अपने घर में, संस्थाओं में या हर क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। जैसे - सूई खिंटँग वासूँग दा फानु पेंगया।

शब्दार्थ - कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आते या जितना भी समझाओ वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त **करई बूमूल चा** अर्थात् गलतियाँ भी कभी-कभी अच्छे के लिए होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक काम करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी कोई दूसरा काम हो जाता है। लेकिन वो भी काम तो काम ही है, तब इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये लोकोक्ति मनुष्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है।

त्रिपुरा के लोग पहले खेती पर निर्भर थे और साथ में पशुओं को भी पालते थे, जिसमें कुत्ता, गाय, बिल्ली आदि। इस प्रकार पशु-पक्षियों के माध्यम से भी बहुत-सी लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं। जैसे - **सुईमा सूँगनाई वारना रूँगया** अर्थात् जो भौंकता है वह काटता नहीं। ये लोकोक्ति भी समाज में उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं। वे लोग डरपोक भी होते हैं। इसलिए दूर-दूर से ही बोलते हैं सामने बोलने की साहस नहीं करते।

सिनजो नी मायूँग खामानी, शब्दार्थ - **चूहा से हाथी का बनना**। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि जब छोटा मनुष्य बड़ा आदमी बन जाता है, तब उसे रहना नहीं आता और अपनी वास्तविकता को भूल जाता है तथा उल्टा-सीधा काम करने लगता है। तब समाज में ऐसे लोगों के लिए इस लोकोक्ति के माध्यम से सम्बोधित किया जाता है।

मेरा ले बानसी अर्थात् **भेड़ की आवाज भी बाँसुरी के समान होना**। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुत ही बेसुरा गाता है, तो उसकी आवाज के लिए मेरा ले बानसी लोकोक्ति के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसे सीधा-सीधा तुम्हारा आवाज बेसुरा है बोलेंगे तो बुरा लगेगा। इसी कारण बातों की सुन्दरता के लिए इस लोकोक्ति को बोला जाता है।

सूकूरू सूरईमा बाई मूसूक थूईया अर्थात् **गिद्ध पक्षी के शाप देने से ही बैल नहीं मरते**। इस लोकोक्ति के अर्थ से पहले मैं यह बात बता देना चाहूँगी कि सूकूरू पक्षी जो है वह माँसाहारी है और बैल या गाय उसका पसन्दीदा भोजन माना जाता है और इसी कारण वह हमेशा सोचता है कि बैल मर जाए ताकि वे उसे खा सकें। ऐसा बरक जनजाति के लोगों में प्रचलित है। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि चाहने मात्र से ही नहीं होते। अर्थात् इसमें यह भी है कि कोई कितना भी बुरा सोचे, कुछ नहीं होता हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए।

बुबरा कॉलॉक अर्थात् **कमर लम्बा**। लेकिन इसका शब्दार्थ से मतलब नहीं है। इसका मतलब आलसी लोगों से है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या इंसान अगर बहुत आलसी है, तो लोग उसे आलसी न कहकर **बुबरा कॉलॉक** लोकोक्ति के माध्यम से संबोधित करते हैं, क्योंकि अगर किसी को सीधे-सीधे आलसी बोलेंगे तो बुरा भी लग सकता है। इसी कारण लोकोक्ति के माध्यम से स्पष्ट किए जाते हैं।

हा बाई मारे अर्थात् **मिट्टी से दोस्ती**। ये तो शब्दार्थ है लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सामान्य लोगों की भाँति विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को भी सीधे-सीधे बोलेंगे कि तुम बढ़ नहीं रहे हो, तो किसी-किसी व्यक्ति को बुरा लगता है। इन सब बातों से बचने के लिए ही समाज में लोकोक्तियों का प्रयोग सदियों से होता चला आ रहा है।

गाती बू थाँगतुई री बू सुतुई अर्थात् **एक के साथ-साथ दूसरा काम का भी हो जाना**। इस लोकोक्ति का प्रयोग सदियों से होता चला आ रहा है। क्योंकि पहले झूम की खेती करने के साथ-साथ अन्य काम भी करते थे और पानी भी दूर होता था। इस कारण भी यह लोकोक्ति हर किसी के मुँह से सुनने को मिल जाती है। क्योंकि व्यक्ति जब दूर से पानी भरने जाते हैं, तो पानी भरने के साथ-साथ वे नहाकर आ जाते हैं या कपड़े, बर्तन

बौरह-बौरह धोकर आ जाते हैं। इससे समय की बचत भी हो जाती है। लेकिन आज मनुष्य जितना विकसित हो गए है पहले से ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। अतः यह लोकोक्ति और भी प्रचलित हो गई है। क्योंकि आज कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं।

तुई तूँग काफ़ूँग जाक, शब्दार्थ - गरम पानी में पैर रखने जैसा अर्थात् इसका मतलब है बहुत जल्दबाजी में जो काम करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जो जल्दबाजी के चक्कर में गलत काम भी कर जाते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी-कभी गलत हो जाता है। अतः किसी भी काम को धीरे-धीरे करने से काम अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग जल्दी के चक्कर में काम को बिगाड़ते हैं। तब इस प्रकार के लोगों के लिए ही **तुई तूँग काफ़ूँग जाक** लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।

सिकॉक बिहिक काराक्या, शब्दार्थ - चोर की पत्नी रो नहीं पाती अर्थात् अगर कोई व्यक्ति समाज में चोरी करता है और अगर पकड़ा जाता है फिर सजा भी अगर दी जाए तो उसके घर वाले खुलकर रो भी नहीं पाते क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, जिससे समाज में और भी बदनामी होगी। तब ऐसे लोगों की मजबूरी को इस लोकोक्ति के माध्यम से बोला जाता है।

इस प्रकार हमने बहुत सारे कौकबरक लोकोक्तियों को देखा है जो बरक जनजातियों की एक विशेष प्रवृत्तियों को दिखाता है। लोकोक्तियों को बरक जनजाति के लोग अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोकोक्तियों के माध्यम से यह जाना है कि कौकबरक लोकोक्ति भी अन्य भाषा के लोकोक्तियों से कम नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

कुमुद कुन्द चौधरी, *कौकबरक प्रवाद*, अगरतला, प्रथम संस्करण, 2002

कुमुद कुन्द चौधरी, *कौकबरक भाषा उ साहित्य*, अक्षर पब्लिकेशन, अगरतला, प्रथम संस्करण, 1999

रविन्द्रकिशोर देववर्मा, *कौकबरक धाँधौ*, त्रिपुरा रिसर्च एंड कल्चर इन स्तीत्यूत, अगरतला, 2005

रविन्द्रकिशोर देववर्मा, *त्रिपुरा जनजाति समाज संस्कृति*, जरा पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, अगरतला, 2006

हरिहर देबनाथ, *त्रिपुरा आदिवासी देर सामाजिक आचार-आचरण*, अगरतला, प्रथम संस्करण, 2008

डॉ. रजित दे, *त्रिपुरा लोक साहित्य संस्कृति समाज जिंग्यासादू* नव चन्द्रक प्रकाशन, अगरतला, प्रथम संस्करण, 2008

श्यामलाल देववर्मा, *कौकबरक साहित्य उ संस्कृति*, प्रथम संस्करण, 2015

कुमुदकुन्द चौधरी, *कौकबरक भाषा शिक्षा आसार*, जर पब्लिकेशन, अगरतला, 2008

नरेन्द्र देववर्मा, *प्राचीन त्रिपुरा लोक संगीत संकलन*, अधिकता उपजाति गवेषणा केन्द्र, अगरतला, 1983

डॉ. बदरीनाथ कपूर, *हिन्दी मुहावरे और लोकोक्ति*, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2000

डॉ. वेदव्रत, *संस्कृत सूक्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण*, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1986

डॉ. शिवकुमार, *कौरीवी लोकोक्तियाँ भाषिक सांस्कृतिक विवेचन*, हिन्दी विभाग अलीगढ़, प्रथम संस्करण 1983

डॉ. शशिशेखर तिवारी, *भोजपुरी लोकोक्तियाँ*, हिन्दुस्तान प्रेस, पटना, प्रथम संस्करण, 2000

डॉ. वेंकट शर्मा, *हिन्दी मुहावरे और लोकोक्तियाँ अर्थ और प्रयोग*, सूर्य नगरी प्रकाशन, जोधपुर, प्रथम संस्करण, 2000

- सोमेश्वर सिंह, व्यावहारिक हिन्दी, साहित्य रत्नालय, कानपुर प्रकाशन, 1993
- तेजपाल चौधरी, हिन्दी व्याकरण विमर्श, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 1994
- डॉ. उमेरा चन्द्र शुक्ल, हिन्दी व्याकरण, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2000
- यग्यदत्त शर्मा, हिन्दी भाषा का रचनात्मक व्याकरण
- डॉ. एन.एस., हिन्दी और तेलगु कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकाशक लेखक विजयनिवास, प्रथम संस्करण, 1966
- पूणिमा श्रीवास्तव, लोक-कथा विज्ञान, प्रथम संस्करण, 1975
- श्याम परमार, भारतीय लोक साहित्य



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 50-55



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

भावी शिक्षक शिक्षा - एक मधुर स्वप्न

डॉ. प्रदीप कुमार गुप्त

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ.प्र.)

प्राप्ति - 04 अगस्त, 2019; संशोधन - 17 अगस्त, 2019; स्वीकृति - 25 अगस्त, 2019

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों एवं अध्यापकों पर उदार आर्थिक व्यवस्था का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र गति से गतिमान आर्थिक चक्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा किए गए प्रयासों की अपेक्षा उदारीकरण, शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित एवं अनपेक्षित परिवर्तन लाने में समर्थ है। शिक्षा संस्थाओं में अपेक्षित मानकों एवं प्रतिमानों के अवमूल्यन के साथ-साथ नई प्रकार की व्यवस्था से जुड़े महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का वर्चस्व बढ़ रहा है। यह परिवर्तन इतना सशक्त है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति में पिछड़ चुकी राजनैतिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न छोड़ रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय, विद्यार्थियों को सतत अधिगमकर्ता बनाने के इतर अस्वस्थ प्रतियोगिता की भावना से ओतप्रोत सूचनाओं का ग्रहणकर्ता मात्र बना रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि विद्यार्थियों को अभिभावकों के सहयोग से वर्तमान व्यवस्था में समायोजित करने के लिए किसी मशीनी पुर्जे की भाँति ढाला जा रहा है। विद्यार्थियों में निहित स्वाभाविक समझ, निर्णय, क्षमता, आकांक्षा, अपेक्षा एवं इच्छाशक्ति को भविष्य की वेदी पर चढ़ाकर, उसकी बलि दी जाती है। अधिगम के नाम पर जो दिया जाता है, वह नई जानकारी व ज्ञानोत्कर्ष के मानवीय सामर्थ्य के महत्वपूर्ण आयाम को अनदेखा कर रही है, और पाठ्यचर्या का बोझ दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप हमारे शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षा की गुणवत्ता में अवनति हो रही है। विद्यालयों में अध्ययन तब तक एक आनन्दपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता, जब तक बच्चों के सम्बन्ध में हम अपनी इस समझ को न बदल लें कि बच्चे ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र हैं एवं पाठ्य-पुस्तकें ही परीक्षा का आधार हैं। विद्यार्थियों की स्वयं के अनुभवों से उपजी रचनात्मकता के सामर्थ्य में हमारी आस्था कम है। अतः हम उन्हें प्रत्येक विषयवस्तु सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। ज्ञान, अनुभव एवं आचरण में स्वाभाविकता को नकार दिया गया है एवं कृत्रिम परिवेश को इसका स्थान प्रदान कर दिया गया है।

सारा विवाद एक ही बिन्दु पर है कि हम छात्र के व्यक्तित्व के साथ कितनी छेड़छाड़ करना चाहते हैं? पाठ्यचर्या निर्धारण में शैक्षिक दर्शन का महत्व छात्र को समझने में है। शिक्षा दर्शन हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था को

नियंत्रित व निर्देशित करता है। यहाँ सामान्यतः स्वीकार किए जा सकने योग्य पाठ्यचर्या के तत्वों के लिए भविष्य में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था निम्नवत् की जा सकती है।

शिक्षा व्यवस्था के विकल्प एवं शिक्षक शिक्षा

भविष्य में शिक्षा कैसी होगी? ये शिक्षक शिक्षा के नियोजन पर निर्भर करेगी। हमें शिक्षक-शिक्षा में विशिष्ट व्यवस्था से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पृथक्-पृथक् उपलब्ध कराने होंगे। शिक्षक-शिक्षा सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपलब्ध कराएगी।

- (1) औपचारिक शिक्षा व्यवस्था एवं सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षा।
- (2) खुली अधिगम व्यवस्था एवं सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षा।
- (3) पत्राचार आधारित शिक्षा व्यवस्था एवं सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षा।
- (4) इण्टरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक-शिक्षा।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित शिक्षक-शिक्षा।
- (6) जीवन से सम्बन्धित शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक-शिक्षा।
- (7) मिश्रित बहुमाध्यम शिक्षा व्यवस्था शिक्षक-शिक्षा।
- (8) शिक्षक विहीन शिक्षा व्यवस्था एवं जीवन अनुभव से प्राप्त ज्ञान का संग्रहण।

कक्षा-कक्ष के विकल्प

भविष्य में सीखने वाला क्या सीखेगा? कहाँ सीखेगा? कैसे सीखेगा? हम अधिकाधिक रूप से शिक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर सुलभ करा सकेंगे। हमारी शिक्षक-शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रत्येक व्यवस्था के लिए पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने में समर्थ होगा। कक्षा-कक्ष की सीमाएं विश्वव्यापी हो सकेंगी। व्यवस्थाएं अवसर उपलब्ध कराएंगी और व्यक्ति को चुनने का अधिकार होगा।

शिक्षण विकल्प बनाम शिक्षक विकल्प

भविष्य में शिक्षा व्यवस्था छात्र को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराएगी, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बहुत से सीखने के अवसर उपलब्ध करा सके। विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित व्यवस्था में हमारी सोच यह भी है कि हम शिक्षक के विकल्प खोजते रहेंगे। इस सन्दर्भ में विभिन्न शोध निष्कर्ष यह प्रमाणित कर रहे हैं एवं उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन भी पुष्ट प्रमाण दे रहा है कि विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुखाभिमुख शिक्षण के अन्य विकल्पों का प्रयोग बेहतर है। आज शैक्षिक तकनीकी कृत्रिम शिक्षण व्यवस्था के सन्दर्भ में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। अधिगम की सुनिश्चित उत्पत्ति में कृत्रिम शिक्षण एवं शिक्षण के विभिन्न विकल्पों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। शिक्षक शिक्षा में ऐसे शैक्षिक तकनीकी के विशेषज्ञ ही आधारभूत पाठ्यक्रम (orientation course) के माध्यम से अपने जैसे शिक्षक तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।

पाठ्य-पुस्तक विकल्प - पाठ्य सामग्री विकल्प

भविष्य में बहुविकल्पीय शिक्षा व्यवस्था में कक्षा-कक्ष के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाने के कारण शिक्षक-शिक्षा बदल जाएगी। हमें अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित संसाधन चुनने के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच सामंजस्य बैठाने में शैक्षिक तकनीकी ने काफी सहयोग किया है। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकरणों पर कई प्रकार की पाठ्य सामग्री की व्यापक रूप में व्यवस्था हेतु हम भविष्य में शैक्षिक तकनीशियनों/शैक्षिक अभियन्ताओं को पृथक् रूप से विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा व्यवस्था में मानव संसाधन की आपूर्ति कर सकेंगे। आज पत्राचार शिक्षा व्यवस्था में अधिगम सामग्री (Learning Material Special Package) का चलन बढ़ गया है। हम ऐसे विशिष्ट सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर पाठ्य-पुस्तकों के विकल्पों की आपूर्ति कर सकते हैं। पाठ्य-पुस्तकों के विकल्पों में सी.डी., इण्टरनेट, कम्प्यूटर आधारित अधिगम इत्यादि सम्मिलित किए जाएंगे।

विद्यालय विकल्प

बिना शिक्षक, बिना भवन, असीमित कार्यक्षेत्र, 24 घण्टे शिक्षण सेवाएं, शिक्षक का संरक्षण (युगों तक), सजीव प्रसारण, दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों का संरक्षण व प्रसारण इत्यादि विशेषताओं से युक्त नई शिक्षण व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के विकल्प उपलब्ध हैं। शिक्षा जगत में क्रान्ति ऐसे संसाधनों के उपयोग से संभव हो सकेगी।

भविष्य में शिक्षक-शिक्षा में ऐसे प्रबन्धन (शिक्षक एवं शिक्षण कर्मियों) की आवश्यकता होगी, जो सूचना तकनीकी का प्रयोग कर सकें। दूर शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बहुविकल्पीय शिक्षण व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। शिक्षक-शिक्षा ऐसे नवीन विश्वस्तरीय, सार्वभौमिक नियोजन एवं क्रियान्वयन का प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी। इस प्रकार के प्रशिक्षण में पाठ्य सामग्री का सम्पादन एवं विभिन्न शैक्षिक व्यवस्थाओं के बीच समन्वय भी उपलब्ध कराना होगा।

अतीत के निष्कर्ष, वर्तमान की समस्याएं एवं भविष्य के स्वप्न

किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था विश्लेषण एक व्यवस्था सुधार की एक प्रक्रिया है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक हम समीक्षा के आधार पर यह सुनिश्चित करने में समर्थ हैं कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए हम कौन-कौन से परिवर्तन स्वीकार करें। शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जा सकता है -

- (1) शिक्षा में स्वायत्ता (नीति एवं व्यवस्था)
- (2) शास्त्रार्थ (परीक्षा प्रणाली)
- (3) शिक्षण में चिन्तन एवं मनन (अध्ययन पद्धति)
- (4) ज्ञान के साथ अनुभव को महत्व (अध्ययन प्रक्रिया)
- (5) शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध (उपयोगिता)
- (6) स्वचित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था (एक प्रायोगिक विकल्प)

मनोरंजन के साधन

भविष्य में मनोरंजन के साधनों को शैक्षिक उद्देश्यों की कसौटी पर रखा जाएगा। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की मनोरंजन से सम्बन्धित सामग्री को शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से ही परखा जाएगा। यहाँ तक संभव है कि भविष्य में शिक्षा जगत् में शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पादन (नाटक, कहानी, संवाद) स्वयं ही तैयार किए जाएं।

छात्र के व्यक्तित्व का विकास

छात्र के व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है कि हम उसे जानें। भविष्य में शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसी में छिपा होगा। चयनात्मक सिद्धान्त के आधार पर व्यवस्था में सभी अवसर उपलब्ध रहेंगे, परन्तु जबर्दस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे।

मूल्यांकन के विकल्प

भविष्य में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु मूल्यांकन ही है। इसी कारण शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से हम मूल्यांकन में अपेक्षित परिवर्तन चाहेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में हम भावात्मक पक्ष के मापन हेतु व्यवहारिक तरीकों का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। शिक्षक-शिक्षा में मूल्यांकन के सन्दर्भ में भारी परिवर्तन की अपेक्षा है। जिसमें अधिकाधिक विकल्पों के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

शिक्षक के स्वरूप

भविष्य में शिक्षक-शिक्षा के नियोजन में शिक्षा दर्शन का कोई भी स्वरूप चयनित किया जाय, किन्तु अब शिक्षक का दायित्व निर्वहन केवल कक्षा-कक्ष का सूचना प्रदाता शिक्षक नहीं कर सकता। हमें शिक्षक-शिक्षा के नियोजन में विशिष्ट शिक्षकों की तैयारी पर ध्यान देना होगा, जैसे - कवि, लेखक, कलाकार, राजनेता, चिकित्सक, मूर्तिकार, संगीतकार, शिल्पकार, अभियन्ता, व्यवसायी, कथावाचक, वैज्ञानिक, योग प्रशिक्षक, न्यायाधीश, दार्शनिक, खिलाड़ी, भाषा वैज्ञानिक, सम्प्रेषण वैज्ञानिक, विभिन्न सेवा क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्ति (कार्यानुभव विशेषज्ञ) अन्तरिक्ष यात्री, मधुमक्खी पालक।

शिक्षा व्यवस्था कारपोरेट जगत के अधीन

समय का अन्तर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन त्वरित गति से स्थान ग्रहण करता है। प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षा व्यवस्था औद्योगिक जगत के अधीन होगी। शिक्षण हेतु शिक्षकों को जटिल प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। जटिल प्रतियोगिताओं से गुजरने के बाद शिक्षक अपने वेतन बाजार की शक्तियों के आधार पर सुनिश्चित करा सकेंगे। परिवर्तन के इस दौर में ईमानदार एवं नैतिक व्यक्ति भी सहयोग करते दिखाई देंगे, क्योंकि वे व्यवस्था परिवर्तन के विरोध में खड़े नहीं हो सकेंगे। कारपोरेट जगत से जुड़ जाने के कारण शिक्षक-शिक्षा भी विभिन्न विशिष्टताओं से युक्त होगी। शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। मानसिक क्षमताओं के साथ आर्थिक

क्षमतायुक्त व्यक्ति शिक्षक-शिक्षा से जुड़ सकेगा। कारपोरेट जगत शिक्षक प्रशिक्षण का रूप ही बदल देगा। पूर्व में जिन तत्वों की चर्चा की जा चुकी है, शिक्षक-शिक्षा उन सभी विशेषताओं से युक्त शिक्षक तैयार करेगी, जिनकी बाजार में माँग है। शिक्षक-शिक्षा सभी भाषाओं में, सभी वर्गों के लिए, सभी स्थानों के लिए उपयुक्त व विशिष्ट शिक्षक तैयार करेगी।

निष्कर्ष

ज्ञानी समाज बनाने के लिए कल के शिक्षक कैसे हों? विस्तृत चर्चा के बाद कुछ तथ्य स्पष्ट हुए हैं, वे निम्नवत् हैं -

1. शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शिक्षक-शिक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षक को भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित मानदण्डों के माध्यम से किसी भी अपेक्षित समाज के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ - किसी भी समाज में अपेक्षित व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ मानक बनाने पड़ते हैं। व्यक्तियों का समूह अपेक्षित लाभ लेने के लिए उस दिशा में प्रयास करता है। यह व्यवस्था माँग और पूर्ति के अन्तर को मिटाने के लिए निरन्तर जारी रहती है। अध्यापक चयन बोर्ड जैसे शिक्षक चुनेगा, वे ही शिक्षक समाज को नियोजित कर सकेंगे।
2. शिक्षक को यह आभास हो जाना चाहिए कि वह छात्र के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने का प्रयास करे। खण्डित व्यक्तित्व से समाज का हित नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ -
 - (क) एक वैज्ञानिक नहीं, जन कल्याण से प्रेरित वैज्ञानिक
 - (ख) एक चिकित्सक नहीं, सभी को स्वस्थ रखने की प्रेरणायुक्त चिकित्सक।
 इसी प्रकार अन्य भी।
3. एक विषयी अनुशासन पर जोर नहीं, अन्तर्विषयक अनुशासन पर जोर - उदाहरणार्थ - एक राष्ट्र को विज्ञान के साथ कला एवं वाणिज्य को महत्व प्रदान करना है। राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति में विभिन्न कार्य आते हैं। इनकी पूर्ति कलाकार, प्रबन्धक, न्यायाधीश, लोक सेवक इत्यादि के रूप में हो सकती है।
4. छात्र कम महत्वपूर्ण नहीं है, अतीत से वर्तमान तक सफर करने के बाद अब यह स्वीकार किए जाने वाली बात है कि छात्र के स्वाभाविक विकास में हम सहयोग करें। वह अपने में अनुपम है। उसके आत्मतत्त्व को विकसित होने दें। हम दकियानूसी होकर उसके विकास को अवरुद्ध न करें। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अपनाएं।
5. छात्र को समझने के लिए सम्प्रेषण विज्ञान में महारथ हासिल होना आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं में लिखने, पढ़ने व बोलने की क्षमता इसमें सहायता करेगी, सूचना तकनीक भी ज्ञान ग्रहण करने व ज्ञान को दूर तक पहुँचाने में सहायक है। भावी शिक्षकों की तैयारी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि सम्प्रेषण में अभिनय अभिव्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है।
6. प्राचीन भारत में लोक कथाएँ, लोकगीत, लोककलाएँ, शिक्षा का सशक्त माध्यम रहे हैं। इनका महत्व समझते हुए पाठ्यचर्या में इन्हें उचित महत्व प्रदान करें। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ - शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। अब समय की माँग है कि हम कक्षा-कक्ष शिक्षण से अधिक महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रदान करें। छात्रों को समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं

का आयोजन शिक्षक द्वारा ही संभव है। शिक्षक शिक्षा में शिक्षक की सकारात्मक सोच बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

7. निरपेक्ष शिक्षक - शिक्षक किसी भी स्तर का हो? शिक्षक किसी भी क्षेत्र का हो? शिक्षक किसी भी व्यवस्था से सम्बन्धित हो? उसे स्वस्थ दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। शिक्षक-शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि हम शिक्षक-शिक्षा से जुड़ने वाले छात्राध्यापकों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकें।
8. शिक्षक-शिक्षा की बिक्री पर रोक - सरकार की नीतियाँ, उदार आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव, व्यक्ति की किसी भी प्रकार लाभ ले लेने की प्रवृत्ति ने शिक्षक-शिक्षा की उपाधियों को पर्दे के पीछे (औपचारिक या कानूनी व्यवस्थाएं) खरीदने व बेचने की परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी सरकार ने कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया है।
9. शिक्षक शिक्षा में नवीन प्रत्ययों का समावेश - शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसके लिए आवश्यकता है शिक्षक-शिक्षा में नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकार व शिक्षा, शिक्षा में प्रबन्धन व अभियन्त्रण, सम्प्रेषण कला, योग व स्वास्थ्य विज्ञान, भ्रूण हत्या के अनौचित्यपूर्ण कृत्य को रोकने के उपाय, आपदा निवारण के गुरु मन्त्र जैसे उपयोगी प्रत्ययों को सम्मिलित किया जाय।
10. समन्वय की समझ - किसी भी राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति बहुमुखी नेतृत्व से हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ/अधिकारी परस्पर समझ विकसित कर सकें, तो राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से यह कार्य अनवरत होता रहेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- कृष्ण कुमार, 'स्वतन्त्र भारत में शिक्षा और समाज', परिप्रेक्ष्य, दिसम्बर 2000, पृष्ठ 1
- शेण्डे हरिदास रामजी (2006). *मानव अधिकार और शिक्षा*, जयपुर साहित्य, चन्द्रिका प्रकाशन
- कृष्ण कुमार, 'शिक्षा का उद्देश्य और आज की व्यवस्था', भारतीय आधुनिक शिक्षा, अप्रैल 2005
- अरोरा रंजना, 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और इसके विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के सुझाव', भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाई 2005
- मेहरोत्रा आर.एन. 'टीचर एजुकेशन इन माई ड्रीम्स', एम.ई.आर.आई. जर्नल ऑफ एजुकेशन, अक्टूबर 2006
- राजपूत जे.एस. (2007). 'उच्च शिक्षा की दुविधाएं', आगरा दैनिक जागरण 8 अप्रैल
- राय पारसनाथ (2003), *अनुसंधान परिचय*, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ 205
- मालवीय डॉ. राजीव एवं जोशी, डॉ. रजनी, *शैक्षिक संगठन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षण तकनीकी*, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2011
- लाल, प्रो. रमन बिहारी एवं पलौड, सुनीता, *शिक्षा दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ-25001, संस्करण 2010



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 56-60



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

WOOD CUT PRINTMAKING IN INDIA: A BRIEF HISTORY

Dr. Jyoti Agnihotri

Printmaker, H.O.D. & Associate Prof. {Painting}, Juhari Devi Girl's P.G. College, Kanpur (UP)

Received: 3 August 2019, **Revised:** 22 August 2019, **Accepted:** 28 August 2019

Abstract

In this article, the brief survey of the history of printmaking – beginning of woodcut medium in India and its development as an artistic medium is discussed.

Keywords: *Printmaking, Gutenberg Bible, Bat-tala prints, Relief process, Ukiyo-e prints, Onodh-Mangal, Kalighat painting, Print Council of America, Illustration, Balbodh Muktavali*

Printmaking is a unique art form that mingles creativity and technical skill. The advantage of printmaking is that many same pictures can be printed because it comes from the same source; each print is not a copy, but an original. It allowed societies to circulate information through mass produced books, religious-illustrations and maps. In a way it served many practical purposes in past but today an original print from any talented artist is considered a thing of aesthetic beauty and holds value to art enthusiast and collectors.

This process was revolutionary because it made it easier for artist to express their art more to the spectators. We can express our feeling by using different art techniques, it depend much on choices and the inclination towards that artist has for each technique. There are many different printing mediums. Among these methods woodcut printing process stands at the top in the history of arts. Gradually it has broken the traditional myth and has acquired an important place among the different art form it is happily accepted as a powerful medium of expression. Woodcut Printing developed in china around 5th cen. and later adopted in japan. Firstly woodcuts were to print texts like Buddhist Scriptures

The invention of printing technique during 15th century was the revolution in Europe. In 1452 the first bible was printed with 42 lines, known as the 'GUTENBERG BIBLE'. Later woodcut

prints were also printed which played an important role in the development of this technique.¹ The oldest form of printmaking, woodcut is a relief process in which knives and other tools are used to carve a design into the surface of a wooden block. The raised area that remains after the block has been cut are inked and printed on another surface like paper or fabric. Woodcuts were a popular medium for making illustrations because books became available in greater numbers. Many artists created woodcuts of scenes from bible, of landscape and famous works they painted. In Europe it was during 16th cen. other printing methods had been developed using metal plates instead of wood, though woodcut printing method didn't disappear completely it continued to be used for inexpensive posters and leaflet. In Japan during 17th cen. woodcuts were used to create images in style of art called ukiyo-e-prints which means 'pictures of the floating world'.² In short the process came to Europe from Asia.

It was in Germany when a group of few artists used woodcut block printing massively to express their own feelings these artists created many woodcut prints. They tried to create the depth of their feelings and emotions. They expressed their own soul. Printmaking as a new medium of self expression for all of them the spontaneity of feeling religiosity of the fantastic kind of mystic meditation were not the source but the aims.

In India it reached exactly hundred year after the appearance of the Guttenberg Bible when printing press was set up by Christian Missionaries in Goa on 6 September 1556.³ Though some studies reveal that the use of the concept of mass duplication by woodblock was already popular in India since ancient times and it was used as state stamps, and on fabrics.⁴ It is generally assumed that the Indian printmakers learnt printmaking by being associated with European artists in their work in India but there is hardly any evidence especially in so far as woodcuts and engravings are concerned directly.

It was about two hundred and fifty years after the first wood engraving in goa.⁵ The earliest printed illustration {a woodcut print} can be found in the book entitled Balbodha Muktavali ,printed in Tanjore in 1806.⁶ However the first example of an illustration printed by an Indian artist was part of Bengali book 'onoodah Mongal 'published in 1816 {compilation of tales of biddha and soondar} in which two signed engraved illustrations by Ramchand Roy.⁷ Thus it can be said that the history of Indian printmaker started with the name of Ramchand Roy. In the early 19th century prints which typically had a religious or mystical theme made their first appearance in the 1820s as book illustrations. When around 1818 Bishwanath Dev set up the first printing press in Shobhabazar of Calcutta. They were known as Bat-tala Print. Bat-tala is a name derived from a giant banyan tree in the shobhabazar and chitpur areas of Kolkata.⁸ The bat-tala prints were printed on a very cheap newsprint like paper to keep the cost of these prints low. Because of the short run,cheap paper and humid conditions of the region very few of these prints have survived.⁹ The Bat-tala prints that developed here were a variation of the Kalighat paintings made on contemporary themes and gave a distinctively modern feel.¹⁰ However printmaking as a media for artistic expression as it is acknowledged today emerged in India less than eighty years ago. It was in 1964 when Print Council of America¹¹ restricted the definition of an original print,the difference between printing and printmaking began to become clearer and creating an identity of its own.

Nand lal bose, Binod Bihari Mukherjee, Ramendranath, Manindra Bhushan, and Biswarup Bose created a number of woodcuts to create interest in creative printing. Among them Ramendranath excelled in colour woodcut printing. They were great experimentalist, their research attitude towards printmaking created an atmosphere of creative experimentation. Artist like Nandlal Bose, Gaganedranath Tagore started using printmaking for its own sake and not as a mean to reproduce This was the turning point for printmaking in India, as artists were more concerned in creating an art work.¹² Some of Eminent artist also who explored the wood cut printing are Lalit Mohan Sen, Ramkinker Baij ,Maniklal Banerjee, Haren Das, Gemini Roy, Chittoprosad, Indu Rakshit and Abindranath Chakaravarty. Chitta Prosad's work are based on Indian approach. Haren Das was influenced by Ukiyo-e-Prints he experimented with multi coloured prints.



¹Woodcut print by Chittoprosad

Though Somenath Hore worked mainly in lithography and intaglio but significantly experimented with various methods in printmaking – pulp print technique.

In 1968 Sujan Basu's big sized woodcut prints were quite interesting. Santi Dave has done a great many woodcuts and was probably the first to work in large sizes. Jayant Parikh has shown his brilliance in woodcut process and his emphasis was on texture.¹³



Printmaking, Gutenberg Bible, Bat-tala prints, Relief process, Ukiyo-e prints, Onoodh-Mangal, Kalighat painting, Print Council of America, Illustration, Balbodh Muktavali² Wood cutprint by Padamshree Prof. Shyam Sharma Presently Radha Charan Bagchi, Shyam Sharma, Jayanti rabadiya, Rajesh Deb, Koustav Nag, Tarun Sharna, Shubhika Lal shukhal, Sourav Nandi, Poonam Kumara, Portia Roy, Hemvati Guha, Danesh Thakkar, Nirali Lunagaria, Champa Sharath, Ravi Kumar Kashi¹⁴ and many other printmakers who find this medium suitable for expressing their feelings through it are busy in printing their inner abstract ideas on paper.

These days printmaking has become very experimental where artists are using mix media.

REFERENCES

1. <https://www.britannica.com/topic/Gutenberg-bible>
2. Complete Printmaker p. 4 –john ross,tim ross,Claire romano
3. Print Journalism :a complete book of journalism – p. 47 Charanjeet Ahuja and Bharat Hiteshi
4. Lalit Kala Contemporary 39 p.11
5. The Early Indian Printmakers :an approach to social science ,ethical and technical study p. 8 Das
6. <https://www.saffronart.com>sitepages>history.aspx>
7. Graphic Art in India 1850 to 1950 a brief background and history –p. 8 –Mukhopadhyay and Das
8. [https://www.akarprakar.com/shows/19th cen swadeshi-art in Bengal/](https://www.akarprakar.com/shows/19th%20cen%20swadeshi-art%20in%20Bengal/)
9. [https://artinprint.org/article/a-rare-kali woodcut from the era of the battala printers](https://artinprint.org/article/a-rare-kali-woodcut-from-the-era-of-the-battala-printers)
10. Under the Banyan tree :the wood cut prints of 19th cen. culcutta -Sen Gupta

11. Graphic art in India 1880 to 1950 : a brief background and history p. 5- by Mukhopadhyay and Das
12. The making of New Indian Art – p. 192 Tapati, Guha Thakurta
13. Graphic Art in India since 1850 p. 24 – Parimoo.
14. My own sources
15. Wood cut print photo(1), (2) searched by internet



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 61-66



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

INDIA AND RIGHT TO FOOD

Dr. S.K. Rai

Associate Professor, Faculty of Law, B.S.A. College, Mathura

Received: 3 August 2019, **Revised:** 22 August 2019, **Accepted:** 28 August 2019

Abstract

Every creature who is born on earth has the right to live happily on this earth but can he live only if he is worth leaving or can he live only then when he has the means to live. If a man born on this earth so it the natural right to live on the earth it needs some basic facilities, the first requirement in that basic need is right to food. I believe that in one word society, all the people of the society have their fundamental right to get food and it is in that word that it is the responsibility of the nation to provide proper food to its citizens. In this paper I would like to discuss specially about Indian laws. India is an old democratic and values believing country. In ancient Indian religious scriptures, it has been told that it is the pious duty of the king to take care of his subjects. India become independent in 1947 and a democratic republic was established in 26 January 1950. I will make a new effort through this paper that what are the legal provisions in the Indian legal system to provide the natural right to food for every person. Is the Indian constitution and Indian law and order successful in ensuring the right to food of a person? Has the Indian judiciary been successful in making this right conferred on individuals come to fruition?

INTRODUCTION

“Without food it is difficult to remember God and hunger eats into the ethos of culture”– In India there is a deeply rooted tradition of reflecting of the fundamental right to food of human beings and on consequences of violating the right to food.¹ The Indian concept of Dharma stresses the importance of growing and sharing food. Atharva Veda states: “All have equal rights in articles of food and water. “India is a huge country. India is a country full of different diversity and in terms of population India is also a very big country. India has been non-standard since ancient time that the duty of the king to feed his countrymen. Whenever the yield of crops was less due to divine

1. Mahatma Gandhi.

calamity so it was the duty of the king to make arrangements for the food of his countrymen. The right to food is one of the most basic human rights, closely linked to the right to life. No government practice or action can be allowed to deny this right to people. Human Rights are indivisible and inalienable. The denial of one right inevitably affects the enjoyment of other rights, but also the inherent relationship between the rule of law and the protection of all human rights, including the right to food. Effective rule of law does not include only legal provisions on paper, but their adequate implementation and room for redress. The right to food in particular, must be made justiciable in courts of law. All those suffering from the pangs of hunger is also being denied other basic human rights, be they civil and political rights, or economic, social and cultural rights. And in all the cases, these rights are not affected by natural causes or a lack of resources, but rather by systemic negligence and ineffective distribution. The objective of this paper is to see that the Right to Food is legally recognized as a fundamental right in India thereby putting an end to death due to hunger, malnutrition and starvation. Although right to food has been a much talked and discussed about topic among the intelligentsia of the country, the most innovative thing about my paper related to Right to food in India is that in my paper I have tried to discuss the constitutional mandates and role of judiciary to provide adequate food to its citizens. It has to make the paradigm shift from the domain of benevolence to that of the right of a citizen. It would imply that the beneficiaries of relief measures should be recognized as claim holders. Viewed from this perspective, the prevalence of distress-conditions threatening starvation constitutes an injury requiring the imposition of a penalty on the State. The penalty would be claimed for the affected groups as a whole rather than on the basis of individual claims. The Right to Food implies the right to food at appropriate nutritional levels. It also implies that the quantum of relief to those in distress must meet those levels in order to ensure that the Right to Food is actually secured, and does not remain a theoretical concept. I am a strong supporter of the formation of the fundamental right of Right to Food. The Right to Food is a basic human right and it is closely connected to other rights, such as the right to life and the right to health and fulfilments of these rights to certain extent depends on the fulfilment of the right to food. To enjoy the right to food fully, people need access to health care and education, respect for their cultural values, the right to access and possess property and the right to organize themselves economically and politically. Without adequate food, people cannot lead healthy and active lives. They are not employable, cannot care for their children, and their children cannot learn to read and write

RIGHT TO FOOD UNDER INTERNATIONAL LAW

The right to food is recognized in the Universal Declaration of Human Rights, 1948, as part of the right to an adequate standard of living. “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food.”² The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which is part of the International Bill of Human Rights, recognizes the Right to Adequate Food as an

2. ICESCR (Art. 25)

essential part of the right to an adequate standard of living.³ It also explicitly recognizes “the fundamental right of everyone to be free from hunger.”⁴

RIGHT TO FOOD UNDER CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA

The Constitution of India expressly does not guarantee the right to food of the people. However, there are various provisions in the Constitution which indicate the intention of the Constituent Assembly to provide to the people a guarantee of protection of the nutritional health of the people. The concept of democratic socialism aims to put an end to poverty in India. The principle of socialism is also embodied in the various provisions of the Part III and Part IV of the Constitution.⁵ The right to food is defined in Part IV of the Indian Constitution as Directive Principles of State Policy, which are guidelines to the Central and State Governments of India for framing laws and policies. The provisions are not enforceable by any court, but the principles laid down therein are considered as fundamental in the governance of the country, making it the duty of the state to apply these principles in making laws to establish a just society in the country. According to Article 37 of the Constitution of India, it is the duty of State to apply the principles laid down in Directive Principles in making laws although the provisions contained in the Directive Principles (Part IV) shall not be enforceable by any court.⁶ States take various steps to minimize the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities under Article 38(2) of the Constitution. Article 39 provides for right to an adequate means of livelihood equally to men and women and according to Article 47 it is the duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The expression Life mean a life with human dignity and not mere survival or animal existence. In the light of this, the State is obliged to provide for all those minimum requirements which must be satisfied in order to enable a person to live with human dignity, such as education, health care, just and humane conditions of work, protection against exploitation etc. Right to Food is inherent to a life with dignity, and Article 21 should be read with Articles 39(a) and 47 to understand the nature of the obligations of the State in order to ensure the effective realisation of this right. Article 39(a) of the Constitution, enunciated as one of the Directive Principles, fundamental in the governance of the country, requires the State to direct its policy towards securing that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means to livelihood. Article 47 spells out the duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living of its people as a primary responsibility. The citizen’s right to be free from hunger enshrined in Article 21 is to be ensured by the fulfilment of the obligations of the State set out in Articles 39(a) and 47. The reading of Article 21 together with Articles 39(a) and 47, places the issue of food security in the correct perspective, thus making the Right to Food a guaranteed Fundamental Right which is enforceable by virtue of the constitutional remedy provided under Article 32 of the Constitution. The requirements of the Constitution preceded, and are consonant

3. Article 11(1) of the ICESCR 1966

4. Article 11(2) of the ICESCR 1966

5. Part 3rd Fundamental Rights and Part 4th Directives Principal of the State Policy (The Constitution of India 1950)

6. Article 37 of the constitution of India.

with, the obligations of the State under the 1966 International Covenant of the Economic, Social and Cultural Rights to which India is a party. That Covenant, in Article 11, expressly recognises the right of everyone to an adequate standard of living, including adequate food.

JUDICIARY VIEW ON RIGHT TO FOOD IN INDIA

According to the Supreme Court of India, “Right to life guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter”. These are basic human rights known to any civilized society. All civil, political, social, and cultural rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the Convention or under the Constitution of India cannot be exercised without these basic human rights. This progressive interpretation of the right to life by the Supreme Court means that in India the Government has a constitutional obligation to take steps to ensure to all individuals a dignified life, with adequate food. The Constitution guarantees the fundamental right to a dignified life. The right to life under the Constitution does not merely means animal existence. Life guaranteed under this Constitution does not only include physical existence. It includes the right to live with human dignity.⁷ Since the need for food to satisfy hunger is the basic necessity of life and without food life becomes impossible, the right to food is thus protected under the right to life.⁸ In a number of judgments, the judiciary has recognised the right to food as a right flowing from the right to life guaranteed under the Constitution of India. The right to life imposes upon the Nation State the Constitutional obligation to ensure that there is no violation of the right to food.⁹ The Constitution consists of certain basic features or framework which cannot be altered through the process of amendment. Freedom from hunger is one of the most elementary needs for human existence, therefore the right to food is an integral part of the basic feature of the Constitution and is protected from all legislative interference that aims to dilute or abrogates the right. The mandate of the Constitution to build a welfare state and an egalitarian society is another basic feature of the Constitution. An egalitarian society ensures equality in distribution of the food produced in the country as well as the equal distribution of the wealth of the country therefore, its mandate protects the right to food of the people.¹⁰ The rights guaranteed under the golden triangle consisting of the right to equality, right to freedom, and right to life, is the basic feature of the Constitution as the provisions stands for equality and rule of law. The rights flowing from the fundamental right to life constitute the core value and if such rights are allowed to be abrogated it shall alter the very nature of the Constitution. The right to food is one of the rights flowing from the bundle of rights guaranteed under the right to life.¹¹ In *Kesavananda Bharati vs. State of Kerala*¹² a landmark judgment, the

7. *Francis Coralie vs. Union territory of Delhi*, AIR 1967

8. *People's Union for Democratic Rights vs. Union of India*, AIR 1982.

9. *Olga Telis vs. Bombay Municipal Corporation*, AIR 1986

10. *People's Union for Civil Liberties vs. Union of India and Others*. PIL Petition (Civil) No. 196/2001.

11. Article 21 of the Indian Constitution

12. AIR 1973 SC. 1461

larger Bench discussed the concept of the inviolable basic structure of the Constitution which cannot be amended. In this case, Mathew J. observed that the object of the people in establishing the Constitution was to promote justice (social and economic), liberty and equality. The modus operandi to achieve these objectives is set out in Parts III and IV of the Constitution. While discussing the other aspects, he observed that freedom from starvation is as important as the right to life. In *Kishen Pattnayak vs. State of Orissa*¹³ the petitioner wrote a letter to the Supreme Court bringing to the Court's notice the extreme poverty of the people of Kalahandi in Orissa where hundreds were dying due to starvation and where several people were forced to sell their children. The letter prayed that the State Government should be directed to take immediate steps in order to ameliorate this miserable condition of the people of Kalahandi. This was the first case specifically taking up the issue of starvation and lack of food. In this judgment, the Supreme Court took a very pro-government approach and gave directions to take macro level measures to address the starvation problem such as implementing irrigation projects in the State so as to reduce the drought in the region, measures to ensure fair selling price of paddy and appointing of a Natural Calamities Committee. None of these measures actually directly affected the immediate needs of the petitioner, i.e. to prevent people from dying of hunger. More importantly, the Supreme Court did not recognize the specific right to food within this context of starvation. In *Shantisar Builders vs. Narayanan Khimala*¹⁴ the Court held that basic needs of man have traditionally been accepted to be three – food, clothing and shelter. The right to life is guaranteed in any civilized society. That would take within its sweep, the right to food, the right to clothing, the right to a decent environment and reasonable accommodation to live. In *Public Union for Civil Liberty vs. Union of India*¹⁵ the Court held that right to food is a fundamental right of all citizens, and ordered that the country's gigantic food stocks should be used without any delay to prevent hunger and starvation. Writ Petition (Civil) No. 196 of 2001 was filed as a Public Interest Litigation under Article 32¹⁶ contending violation of Articles 21.¹⁷ In this case, the Supreme Court has made it the duty of every State and Union Territory to ensure that no one dies from starvation or malnutrition. This implies that people who are too poor to buy food should be guaranteed a minimum means of subsistence by the government, either through direct food aid or access to employment. The Court directed the States to ensure that all shops linked to the Public Distribution System are functioning. It also ordered the States to implement food-for-work programmes, a Mid-day Meal Scheme and the Integrated Child Development Services within a definite time-frame.

13. AIR 1989 SC. 677

14. 1990 1SCC. 520.

15. AIR 2003 SC. 2363.

16. Article 32 Constitutional Law of India.

17. Part 3rd of the Indian Constitution.

NATIONAL FOOD SECURITY BILL 2013

The National Food Security Act, 2013 is a law enacted by Parliament to provide for subsidized food and nutritional security to the people, in human life cycle approach, by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity. This law aims to provide subsidized food grains to approximately two-thirds of India's population. Some important features of this Act are as follows:

1. The government will provide food entitlement to 75% of the population in rural India and 50% of the population in cities.
2. Each eligible household will get 5 kg of food grain per person per month.
3. The grains will be available at Rs. 3/2/1 per kg of rice/wheat/coarse grains.
4. Entitlement of the existing Antyodaya Anna Yojana Households to be protected at 35 kg per household per month.
5. Anganwadis to provide age-appropriate meals to children aged between 6 months and 6 years.
6. Mid-day meal scheme will provide food to children aged between 6 years and 14 years.
7. Breastfeeding to be promoted for children below 6 months.
8. State Food Commissions to be created that will monitor and evaluate the implementation of the Act as well as redress grievances.
9. Central and State Governments will undertake PDS reforms.
10. The Central Government will provide food grains (or, failing that, funds) to State Governments, at prices specified, to eligible households.
11. Provision for penalty on public servant or authority, to be imposed by the State Food Commission, in case of failure to comply with the relief recommended by the District Grievance Redressal Officer.

CONCLUSION

India is a very big country and its population is also one- six of the word. The makers of the constitution of India thought that hunger had to be eliminate from India and due to this thinking, in part third and fourth of the constitution, a system was made that how everyone should be given the right to food? Indian judiciary has also made a lot of efforts to get this important right of human the result was that in 2013, the National Food Security Bill was passed by the Parliament of India. Now this Act is being implemented in all the states and union territories and about 75 crore population is being covered by it. The right to food is an integral part of a vision of a world without hunger, where every child, woman and man can feed himself or herself in dignity. It is a human right formally recognized by the great majority of States. While there is consensus about the vision, States have been slow inputting this human right into practice. For any right to food action to be taken at country level, one basic requirement is adequate information and assessment of the right to food situation. If the government does not know which people are food insecure and vulnerable, and why they are deprived of their right to food, no remedial action can be determined and effectively implemented to deal with the situation. In short, we can say that the Indian system seems to be successful in protecting the right to food of the individuals.

भारत में साइबर आतंकवाद

डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय

एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, के.जी.के. कॉलेज, मुरादाबाद

प्राप्ति - 05 अगस्त 2019; संशोधन - 19 अगस्त 2019; स्वीकृति - 27 अगस्त 2019

सारांश

यह आश्चर्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनियाँ की अगुआई करने वाला भारत उस आधुनिक ई-आतंकवाद से निपटने में अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, जो हमारी एकता एवं अखण्डता के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने कई समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। इंटरनेट ने गंभीर सुरक्षा चिन्ताओं के अलावा सांस्कृतिक और नैतिक खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। ई-आतंकवाद के रूप में आतंक का एक नया चेहरा सामने आया है। यह न केवल सीमा पार के आतंकवाद से अधिक भयानक है, बल्कि उन सभी आतंकवाद के स्वरूपों से अधिक गंभीर व चिंताजनक है जिसका अब तक हम सामना कर चुके हैं। ऑनलाइन सुविधाएं जहाँ आज चरम सीमा पर पहुँच गई हैं, वहीं ऑनलाइन अपराध की घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आतंकवादी वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग कई प्रकार से करने लगे हैं। चूँकि इंटरनेट विश्वव्यापी है और उस पर अपनी पहचान छिपाना मुश्किल नहीं है, इसीलिए वह किसी भी आपराधिक नेटवर्क के लिए आन्तरिक सूचनाओं के आदान-प्रदान का सबसे अनुकूल माध्यम है। आतंकी अपनी पहचान छोड़ें बिना एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। कई आतंकवादी संगठनों की अपनी वेबसाइट भी है, जिन पर वे अपने वीडियो और आतंकवादी सामग्री डालते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट माध्यमों का प्रयोग आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती साइबर आतंकवाद या इंटरनेट आधारित आतंकवाद है, जो सूचना विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिन्ता है। दुनियाँ के किसी कोने में अज्ञान स्थान पर बैठा आतंकवादी वहीं से किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आतंकवादी हमला कर सकता है।

दूरसंचार के आधुनिक तौर तरीकों एवं इंटरनेट के आगमन ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का दायरा बढ़ा दिया है। यह लड़ाई मात्र हथियार व हथगोलों की लड़ाई न रहते हुए सूचना तंत्र की लड़ाई बन गई है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि आज का आतंकवादी आधुनिक तरीके से परिचित है और मोबाइल फोन, ई-मेल तथा इंटरनेट जैसे साधनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने में सक्षम है। भले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ

तकनीकी से अभी तक पूरी तरह से तालमेल न बिठा पाई हो, परन्तु आतंकवादी तेजी से प्रौद्योगिकी का प्रयोग युद्ध में हथियार के तौर पर कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने अनेक देशों के बन्धकों के सिर कलम करने के वीडियो को प्रचार का माध्यम बनाया। ऐसे वीडियो इन्टरनेट के माध्यम से रातोंरात दुनियां भर में फैल गए। अलकायदा भी ऐसा करता रहा है। अबू मुसाब अल-जरकाबी ने ईराक में अलकायदा प्रमुख के तौर पर प्रचार और मान्यता पाने के लिए इन्टरनेट का इस्तेमाल किया था। एक अमेरिकी व्यापारी निकोलस वर्ग का सिर कलम कर उसका वीडियो इन्टरनेट पर डाला। अमेरिकी व्यापारी की हत्या केवल इसीलिए की गई कि इस घटना का वीडियो बनाकर इन्टरनेट व टीवी चैनलों पर डाला जाए। इसी प्रकार पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का मकसद वीडियो बनाकर इन्टरनेट पर प्रचारित करना था। ऐसे वीडियो प्रचार के साथ-साथ नए जिहादियों को भी प्रेरित करते हैं। भारत के अनेक युवक इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित होकर ईराक और सीरिया जाने की कोशिश कर चुके हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं।²

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काफिले को तथाकथित प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने के कुछ घंटे बाद ही यू-ट्यूब पर खालिस्तानी तत्वों द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व डाला गया एक वीडियो सामने आया। जिसमें नरेन्द्र मोदी जैसे दिखनेवाले एक नेता के काफिले को एक पुल पर ठीक वैसे ही रोका जाता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया था। फिर उस मोदी जैसे दिखनेवाले व्यक्ति पर हमला होते दिखाया गया। इस वीडियो को एक समय पर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेरर मैनुअल की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें अपने अनुयायियों को आतंकी हमलों को अंजाम देने के नए-नए तरीकों को बताया जाता है।³

सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन का हिस्सा बनने तथा कंप्यूटरीकरण तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी कामकाजी तंत्र की अनिवार्यता बनने के कारण इन्टरनेट के माध्यमों से हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों में भी वृद्धि होती जा रही है।

साइबर माध्यमों से विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश ने अब गंभीर रूप धारण कर लिया है। आतंकवादी संगठन एवं दूसरे शत्रु राष्ट्र साइबर हमला करने की क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। साइबर अपराध वर्तमान में एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। लगातार साइबर आतंकवादी गतिविधियों एवं साइबर सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन्टरनेट के माध्यम से ISI की भर्तियाँ, मुंबई हमलों व चीनी हैकरों की हरकतों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा के प्रति साइबर चुनौती कितनी गंभीर एवं वास्तविक है। साइबर अपराध इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि कम्प्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी भी राष्ट्र या बड़े औद्योगिक तथा सैनिक प्रतिष्ठानों के कामकाज को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है।

साइबर हमलों पर CERT-In की रिपोर्ट

साइबर हमलों पर इंडियन कम्प्यूटर इमरजेन्सी रেস्पॉन्स टीम CERT-In ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार – “भारत के ऑफिसियल वेबसाइटों पर सबसे अधिक साइबर हमले चीन, अमेरिका और रूस से हुए हैं।”⁴ यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी भेजी गई। रिपोर्ट के अनुसार-चीन भारतीय साइबर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है।

भारतीय साइबर, स्पेस पर हमला करने वाले देशों की सूची निम्न है -

1. चीन 35, 2. सं. रा. अमेरिका 17, 3. रूस 15, 4. पाकिस्तान 9, 5. कनाडा 7, 6. नीदरलैण्ड 5, 7. उ. कोरिया 2, 8. फ्रांस 2, 9. अन्य 4।

क्या है CERT-In?

CERT-In (The Indian Computer Emergency Response Team) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर) सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी है। CERT-In को वर्ष 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा स्थापित किया गया था और इसी विभाग के तत्वाधान में संचालित होता है। इसका उद्देश्य कम्प्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, संवेदनशीलता पर रिपोर्ट करना एवं पूरे देश में प्रभावी आई.टी. सुरक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना है।⁶

साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर सुरक्षा नेटवर्क, उपकरण, कार्यक्रमों और डेटा को हमले, क्षति या अनाधिकृत उपयोग से बचाने के लिए तैयार की गई तकनीक, प्रक्रियाओं और प्रयासों को संदर्भित करता है। इसे प्रौद्योगिक सुरक्षा भी कहा जा सकता है।

साइबर सुरक्षा के जोखिम

- खतरे - जो लोग वास्तविक या संभावित रूप से साइबर आक्रमणों की गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनके अपराधिक इरादे मौद्रिक लाभ पर होते हैं। इनमें चोरी या जबर्न वसूली जैसे अपराध शामिल हैं। सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जानेवाली वर्गीकृत संरचना या इनके स्वामित्व वाली सूचना की चोरी करने या जासूसी का इरादा शामिल है। आतंकवादी या तो गैर राज्य अभिरुचि के रूप में या राज्य प्रायोजित युद्ध कर्म के रूप में साइबर हमलों को अंजाम देते हैं।
- भेदधता - कई बार साइबर हमले आक्रमणकारियों और रक्षकों के मध्य शस्त्रों की दौड़ के समान होते हैं। ICT सिस्टम बहुत जटिल होते हैं और साइबर आक्रान्ता निरन्तर कमजोरियों को खोजते रहते हैं। रक्षक अकसर कमजोरियों से रक्षा करते हैं।
- प्रभाव - साइबर हमले से ICT सिस्टम तथा इसके द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं की गोपनीयता, अखण्डता और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। साइबर चोरी अथवा जासूसी से स्वामित्वाधिकार वाली या व्यक्तिगत सूचनाएं हैकरों के पास पहुँच सकती हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तिगत नागरिकों की जीविका और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- साइबर अपराध से कोई भी देश अछूता नहीं रहा है चाहे वो बैंकिंग हो या रक्षा अथवा अनुसंधान। साइबर आतंकी कम्प्यूटर आधारित हमलों से किसी भी सत्ता को भयभीत करने के या उसे अपनी विचारधारा के अनुसार चलने को बाध्य कर सकता है।

सरकार के प्रयास

1. नेटवर्क यातायात विश्लेषण (Network Traffic Analysis) NETRA

नेत्र एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है जो भारत के सेन्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एनालिसिस विंग (RAW) जैसी खुफिया एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेत्र स्काइप और गूगल टॉक जैसे ऐप के माध्यम से गुजरने वाली ध्वनियों का विश्लेषण कर सकता है। यह वास्तविक समय में इंटरनेट पर ट्वीट, स्टेट्स, ई-मेल, इंटरनेट कॉल, ब्लॉक आदि की जाँच कर सकता है।

2. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (National Cyber Coordination Center) NCCC

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र भारत में एक परिचालन साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी एजेंसी है। इसका उद्देश्य संचार मेटाडेटा की जाँच करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया जानकारी एकत्र करना है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र के घटकों में साइबर अपराध रोकथाम तकनीकी आदि शामिल हैं।

3. रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) DCA

यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है। इस एजेंसी को देश के साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने का काम सौंपा गया है। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के जरिए साइबर सुरक्षा के दायरे का विस्तार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विंग डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा सोशल मीडिया से उत्पन्न आन्तरिक खतरों का मुकाबला किया जा सकता है।

समाधान

- नेटवर्क सुरक्षा विश्वसनीयता, अखण्डता और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शामिल करती है।
- डेटा और सूचना सुरक्षा अनाधिकृत पहुँच से सूचना की सुरक्षा करती है जिससे पहचान चोरी से बचा जा सके।
- डेटावेस और भौतिक उपकरण आदि को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इन उपकरणों की सुरक्षा भी आवश्यक है।
- किसी नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल शिष्टाचार जैसे समय-समय पर पासवर्ड बदलना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आदि सिखाना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. ए.के. सिंह, *आधुनिक स्त्रातेजिक विचारधारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा*, प्रकाश बुक डिपो संस्करण 2014, पृ. 647
2. दृष्टि करेंट अफेयर टुडे, फरवरी 2016, पृ. 34
3. पाठक, अरूण कुमार, *साइबर क्राइम एवं साइबर लॉज*, पुस्तक सदन प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष - 2014।

4. शर्मा, नरेद्रं कुमार, *साइबर अपराध: चुनौतियाँ और प्रबन्धन*, महेन्द्र बुक कम्पनी, गुड़गांव (हरियाणा), वर्ष (2013), आई.एस.बी.एन.-978-81-924884-9-3।
5. ठाकुर, अमिताभ (आई.पी.एस.) तथा जैदी, मो. हसन, *साइबर क्राइम*, एलिया लॉ एजेंन्सी इलाहाबाद, लखनऊ, वर्ष-2015।
6. सिंह, डॉ. निशान्त, *अपराध और प्रौद्योगिकी: अपराधों की रोकधाम एवं अन्वेषण*, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, आई.एस.बी.एन.-81-7487-621-9।
7. सेंगर, डॉ. (मेजर) एस.के.एस. तथा तिवारी, डॉ. अशोक कुमार, *साइबर आतंकवाद: चुनौतियाँ एवं विकल्प*, चन्द्रान्ती पब्लिकेशन कानपुर वर्ष 2012, आई.एस.बी.एन.-978-81-910749-2-1।
8. कुमार, अशोक (आई.पी.एस.) तथा विपुल, *भारत की आन्तरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ*, टाटा मैक्ग्राहिल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष (2015), आई.एस.बी.एन.-978-93-392-1909-3।

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता – उच्च शिक्षा प्रणाली की सार्थकता का प्रमुख कारक

डॉ. कुसुम शर्मा

ऐसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग (बी.एड.), श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति – 08 अगस्त 2019, संशोधन – 22 अगस्त 2019, स्वीकृति – 28 अगस्त 2019

सारांश

पहुँच, समता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता उच्च शिक्षा प्रणाली की कसौटियाँ हैं। कोई भी शिक्षा प्रणाली संख्यात्मक दृष्टि से कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, समाज और देश के लिए उसकी सार्थकता उस समय तक नहीं होती, जब तक कि वह गुणात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट न हो। उत्कृष्टता का आकलन इस बात से होता है कि शिक्षण संस्थानों से डिग्री/डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करके जो युवक और युवतियाँ बाहर निकलें उनमें अपने विषय के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं अनुप्रयोगात्मक ज्ञान का उच्च स्तर हो। ज्ञान और कौशल का उच्चतम स्तर ही व्यक्ति की रोजगारनीयता को बढ़ाता है। उत्कृष्ट कौशल युक्त व्यक्ति ही समाज और देश के विकास में योगदान देते हैं।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को – कृषि, उद्योग एवं सेवाओं और इनके उपक्षेत्रों – चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अन्तरिक्ष, ऊर्जा आदि के लिए योग्यतम कार्मिकों की आपूर्ति उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान ही पूरी करने में सक्षम होते हैं।

उच्च शिक्षा के संस्थानों – विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की उत्कृष्टता को परखने के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कतिपय कसौटियाँ निर्धारित की गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा पर मिडिल स्टेट्स आयोग ने निम्नलिखित कसौटियाँ निर्धारित की हैं।¹

संस्थान का ध्येय उच्च शिक्षा के अनुरूप है।

1. विद्यार्थियों के सीखने के लक्ष्य के तहत सुपरिभाषित और उचित लक्ष्यों से निर्देशित है।
2. संस्थान ने ऐसी शर्तें और प्रक्रिया स्थापित की है जिसके भीतर इसके ध्येय और लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।
3. संस्थानिक प्रभावशीलता और विद्यार्थियों के सीखने जैसी दोनों उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है और उन्नयन हेतु परिणामों को प्रयुक्त करता है।

4. संस्थान अपने ध्येयों और लक्ष्यों को अच्छे ढंग से प्राप्त करता है।
5. संस्थान संगठित, आवश्यक संकाययुक्त और संसाधनों से युक्त है, और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ध्येयों और लक्ष्यों को सतत् रूप से प्राप्त करते रहने के प्रति प्रयत्नशील है।
6. संस्थान अर्ह आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करता है।

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता कोई स्थैतिक विचार नहीं है, बल्कि एक गत्यात्मक आवेश है जो सतत् रूप से चलते रहना चाहिए। उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित किए बिना कोई भी संस्थान समाज और राष्ट्र में स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता।² उत्कृष्टता में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं -

1. क्या संस्थान उत्कृष्टता की संस्कृति को महत्त्व प्रदान करता है? और क्या संस्थान में मानव संसाधन विभाग से इतर उत्कृष्टता की संस्कृति के सृजन हेतु कोई प्रतिबद्धता है?
2. उत्कृष्टता के उच्च मानकों के प्रति संस्थान का दृष्टिकोण क्या है?
3. उत्कृष्टता की संस्कृति क्या है? और एक गुणात्मक अवधारणा के रूप में इसका मापन किस प्रकार किया जा सकता है?
4. क्या उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित कर पाना संभव है?
5. उत्कृष्टता प्राप्त करने में विद्यमान बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
6. उत्कृष्टता की संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ सम्मिलित होता है जिसे उच्च शिक्षा की नीतियों और व्यवहारों में शब्दों की परिधि में बाँधा नहीं जा सकता।
7. उच्च शिक्षा के संस्थानों में उत्कृष्टता की संस्कृति का सम्बन्ध वरिष्ठ स्तरों और शीर्ष नेतृत्व से है।
8. संस्था और उसमें संचालित पाठ्यक्रम की उत्कृष्टता के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
9. उत्कृष्टता का प्रश्न “केवल कार्मिकों के लिए एक पहलमात्र नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध संकाय सदस्यों से है।”
10. आदर्श रूप में उत्कृष्टता सार्वजनिक रूप से घोषित संस्थान की रणनीतिक प्राथमिकता है।
11. उत्कृष्टता प्राप्त करने के लक्ष्य और लाभ स्पष्ट साझेदारी युक्त सबकी समझ में आने वाले होने चाहिए।
12. उत्कृष्टता में शिक्षण कक्ष, व्याख्यान, प्रयोगशाला में सुसंगत प्रयोग और प्रदर्शन तथा व्यावहारिक जीवन में ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग आदि सभी महत्वपूर्ण हैं।
13. सर्वाधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ संकाय सदस्यों तथा अन्य कर्मियों की भर्ती तथा योग्यतम् विद्यार्थियों का प्रवेश उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
14. किसी संस्थान के लिए जितना महत्वपूर्ण श्रेष्ठतर संकाय सदस्यों की भर्ती करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उन्हें लम्बे समय तक संस्थान में बनाए रखना भी है।
15. सहयोग के उच्च स्तर और शिक्षण अनुसंधान तथा सेवा में सतत् अभिनवीकरण तथा उत्पादकता उत्कृष्टता के उच्च स्तर प्राप्त करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
16. संकाय सदस्यों और कार्मिकों की उत्पादकता और दक्षता के उच्च स्तर।
17. संकाय सदस्यों और कार्मिकों की उपलब्धियों के उच्च स्तर तथा संस्थान के दृष्टिकोण, लक्ष्यों, और रणनीतियों

के प्रति कार्य करते रहने के प्रति प्रतिबद्धता।

18. उत्कृष्टता संस्थान की प्रतिष्ठा, पहचान और बाह्य स्वीकार्यता बढ़ाती है।

समग्र रूप से शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठान की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का अन्तिम और सर्वमान्य मानक यह है कि उस संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त करके उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अपनी-अपनी रुचि और कौशल के अनुसार किस सीमा तक रोजगार प्राप्त हो पाता है अथवा वे अपने स्वयं के निर्धारित लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर पाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो युवा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में उतरते हैं, तो वे किस सीमा तक स्वयं को उन विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार ढाल पाते हैं। प्रारम्भिक तौर पर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, अच्छे अंकों के साथ उच्च श्रेणी प्राप्त कर लेना, डिग्री या प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना, मेडल या पुरस्कार प्राप्त कर लेना एक ध्येय और लक्ष्य हो सकता है। लेकिन अन्तिम रूप से किसी परीक्षा में उच्च प्रतिशतता एवं डिग्री विभिन्न व्यवसायों और पेशों में उतरने का एक साधन मात्र है। वास्तविक सफलता तो उस ज्ञान और कौशल से प्राप्त होती है जिसे कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के दौरान किसी संस्थान में अर्जित करता है। भारत और अनेक विकासशील देशों में लाखों युवा डिग्री प्राप्त करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। येन-केन-प्रकारेण जिन्हें रोजगार प्राप्त हो भी जाता है वे अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते।

सैद्धान्तिक रूप से व्यवसाय और उद्योग में गुणवत्ता की अवधारणा का उद्भव 20वीं शताब्दी में हुआ। तथापि सृष्टि के सृजन से लेकर आज तक व्यक्ति गुणवत्ता के प्रति सजग रहा है और गुणवत्ता व्यक्तिगत कार्मिकों के लिए स्वयं का उत्तरदायित्व रही है। लेकिन मशीनीकरण की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास के साथ निरीक्षण, नियन्त्रण और गुणवत्ता के आश्वासन के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हुए। डब्लू एडवार्ड्स डेमिंग, जोसफ ज्यूरान, और फिलिप बी क्रोसबी ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कतिपय दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उच्च शिक्षा के संस्थान डेमिंग, ज्यूरान और क्रोसबी के विचारों से ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं जिससे संस्थान की गुणवत्ता और उसमें संचालित पाठ्यक्रमों की उत्कृष्टता सुनिश्चित हो जाए। ये तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं -

1. नेतृत्व और शीर्ष प्रबन्धन की प्रतिबद्धता गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2. प्रत्येक समय उचित कार्य करने के लिए सीखने और सिखाने के वातावरण का सृजन संकाय सदस्यों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विकास महत्वपूर्ण है।
3. ऐसे दर्शन और प्रौद्योगिकियों को अपनाना जो गुणवत्ता में सुधार ला सकती है।
4. सहभागितापूर्ण प्रबन्धन और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना।
5. प्रगति और परिणामों की आख्या देने के लिए सम्प्रेषण रणनीति को विकसित करना।
6. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बिना कार्मिकों के प्रयासों की सराहना करना।
7. विभिन्न पणधारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप यथोचित प्रणालियों और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करना।
8. संस्थान में गुणवत्तावृत्त तथा गुणवत्ता की संस्कृति को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में पहुँच, समता, उपादेयता तथा उत्कृष्टता यूँ तो पृथक-पृथक प्रकोष्ठीय अवधारणाएँ प्रतीत होती हैं। लेकिन ये सभी अति निकटता के साथ एक-दूसरे से अवगुंठित हैं। व्यक्ति, समाज, समुदाय और राष्ट्र की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का स्वरूप और ढाँचा ऐसा होना चाहिए जो भावी पीढ़ी के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाए। उच्च शिक्षा के विकास में समाज के सभी वर्गों तक पहुँच को बढ़ाना जहाँ पहला सोपान है और इसका निर्धारण सकल नामांकन अनुपात के स्तर से होता है, वहीं उच्च शिक्षा में समता का प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है कि उच्च शिक्षा समान रूप से समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हो। अर्थात् उच्च शिक्षा में लैंगिक अन्तराल और सामाजिक अन्तराल न के बराबर हो। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से उच्च शिक्षा अर्थपूर्ण और रोजगारपरक होनी चाहिए। यह तभी संभव है, जब उच्च शिक्षा के संस्थानों और पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता के उच्च मानक प्राप्त किए जाते हों और जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकले उनकी रोजगारपरकता उच्च स्तरीय हो।

सन्दर्भ

1. मिडिल स्टेट्स कमीशन ऑन हायर एजुकेशन (2002). करैक्टरिस्टिक्स ऑफ़ एक्सीलेन्स इन हायर एजुकेशन : एलिजीविलिटी रिकवाइरमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स फॉर एक्सीलेंस, फिलेडोल्फिया, पृ. 4
2. ECELCOR (2009). क्रियेटिंग कल्चर्स ऑफ़ एक्सीलेन्स इन हायर एजुकेशन बीकमिंग ए ग्रेट कॉलेज और यूनीवर्सिटी टु वर्क फॉर, यूनिवर्सिटी ऑफ़ बफलो, पृ. 2-6
3. कुमार, संजीव; *कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन इन इलेमेंट्री एजुकेशन*, न्यूडेली: इंडियन पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2005.
4. कोठारी, रजनी; *पॉलिटिक्स इन इंडिया*, नई दिल्ली, ओरियेंट लांगमैन, 1956
5. अग्रवाल, डी.डी.; *हिस्टरी एण्ड डेवलपमेन्ट ऑफ़ एलीमेंट एजुकेशन इन इंडिया*, न्यूडेली: सरुप एण्ड सन्स, 2002.
6. आजिम, प्रेमजी, *सोशल कान्टेस्ट ऑफ़ एलीमेंट्री एजुकेशन इन रुरल इंडिया*, बेंगलूर, 2004



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 76-81



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

WEANING PATTERN IN AN URBAN SLUM OF VARANASI

Dr. Kiran Singh

Associate Professor, Faculty of Home Science, Smt. B.D. Jain Girls P.G. College Agra

Received: 8 August 2019, **Revised:** 22 August 2019, **Accepted:** 26 August 2019

Abstract

The importance of adequate nutritional love of the children from their early infancy to help them grow strong and healthy. Child is often not given sufficient amount of food in addition to insufficient quantity of milk during the weaning period. Apart from the nutritional aspect of weaning foods the correct time of weaning period is not observed by the poor and ignorant population as our country. This is the cause of malnutrition in younger children. Rural community that semisolids were generally introduced later or between 6-18 months. In the present cross sectional study and investigation of weaning pattern of children in 0-2 years age group was done by community survey in a slum community using tools of social sciences.

Keywords: Weaning, Top feeding.

INTRODUCTION

Protein energy malnutrition (PEM) is the commonest nutritional problem in the country. Judged by growth failure, almost 80% of rural children of poor socioeconomic group are suffering from PEM (Gopalan et al. 1984) and the situation is not better in urban slums. These malnourished children have higher risk of mortality and those who survive have poor chances of optimum growth and development. The initial phase (i.e. 6-24 months) of life constitute the critical period for growth of children particularly in the disadvantaged groups (Mishra et al. 1986). Thus ensuring adequate nutrition to infants and younger children should receive highest priority in any Nation building programme because the progress and prosperity of the Nation depends on the care bestowed upon its children. Faulty feeding habits arising from ignorance, superstitions and wrong food beliefs are important factors for aggravating malnutrition. P.E.M. is essentially a disease that occurs during the crucial transition phase of a child's life from breast milk to other types of foods. Thus solution to

the problem lies in educating communities to wean children at correct age and to utilise inexpensive locally available foods within their economic reach so that the required nutrients are supplied to the child (Gopalan et al., 1984). Even under favourable condition with an adequate flow of breast milk an infant will grow satisfactorily upto 4-6 months only. After this, if supplementary feeding is not started, growth velocities of children tend to decline. In most societies, supplementary feeding is not started till at a much later date one of the main reasons being the mothers belief that as long as the child is receiving some breast milk, there is no need for additional food (Gopalan et al., 1984, Rutishauser, 1972). Even when supplementary foods are introduced relatively early. Both the quantity and quality of the supplements are far from satisfactory. Thus weaning practices contributes largely to unsatisfactory rate of growth beyond six months of age. Proper understandings of the community itself, its weaning habits and practices and opinion of mothers/ family members regarding use of common food items as weaning food are desirable in designing any Nutrition Education Programme. These points were explored in the present study conducted in a slum community of Varanasi city.

OBJECTIVES

The aim of the study was to know the weaning pattern of children in a slum community of Varanasi city. The specific objectives of the study were as follows:

1. To obtain a background information (viz. socioeconomic and demographic characteristics) of children in the study.
2. To know weaning pattern in the study area.
3. To study opinion of mothers/ family members regarding use of some common food items as weaning food.

METHODOLOGY

The study subjects were drawn from Sunderpur. Keeping operational feasibility (distance time factor etc.) in mind all the children in the age group 0-2 years in sectors A and C of Sunderpur were enlisted for the present study. Ages of children were assessed either on the basis of available evidences (i.e. Birth certificates, Horoscope) or by using a Calendar of local events. Out of eighty children enlisted, informations pertaining to seventy children could be obtained. Informations for the remaining children could not be obtained either by maternal refusal or no-availability of study subjects and their mothers/family members in two consecutive visits. Mothers/family members were interviewed to elicit informations pertaining to children under study.

The informations as stated above were collected by interviewing mothers and were recorded on the 'Individual Schedule'. In case of no-availability of mothers, close family members were interviewed.

Data thus collected was analysed manually using tally marks method. The findings have been presented in the form of appropriate tables.

RESULT AND DISCUSSIONS

Out of 80 children enlisted, informations of seventy children (87.5%) could be obtained. This is likely to happen in any community study of this kind. The sex ratio (1000:892) as observed in the present study is lower to the general sex ratio of 1000:928 for males and females, respectively as reported by (Satish Kumar et al., 1982). Religion and caste distributions of children are where it was 27.26 \pm 8.82 months.

Out of 70 children in study, top milk was introduced in 61 (87.14%) at one time or other. As much as 28 (45.90%) children were given top milk at or before 6 months and 9 (14.76%) were given top milk after 9 months of age. Corresponding figures in a study (Mishra et al., 1985) conducted in a backward community were 27.61% and 17.17% respectively. The mean age of introduction of top milk was 6.62 \pm 4.04 months and this was 7.13 \pm 2.03 months in the other study by (Mishra et al., 1985). In urban Bombay weaning was started by mothers as early as one month, 3 months and 6 months. Only about 4% of children near about the age of one year, continued to be completely depending on mother's milk (Karkel, 1975). Cow's milk was given by majority of mothers. In a multicentric study carried at Coimbatore, Gandhigram, Hyderabad, New Delhi, Poona and West Bengal, although cow's milk was mentioned by majority of mothers in all the regions as the most desirable supplement to be given to children, in practice, however, buffalo's milk was more frequently given (Gopalan et al., 1984). In the present series, milk was diluted predominantly on economic grounds to increase the volume of water and/or to make it more digestible. In the present study 10 (16.39%) children were given commercial milk primarily. This figure is less than those of multicentric study carried in urban areas figures varied from 52.1% to 29.8% (Agarwal et al., 1986). In the latter higher figures from the present study could be because of inclusion of all cases where commercial milk was introduced for a shorter period of time. In case of majority (62.86%) of children, frequency of either breast feeding/top milk alone or in combination was up to five times a day. Only 26 (37.14%) children were given 6-10 feeds a day. This analysis includes either breast feeding/top milk alone or in combination. As much as 59 (84.29%) children were breast fed on demand and remaining 11 (15.71%) were given feeds on fixed schedules. In the multicentric study (Agarwal et al., 1986). Fixed schedules were observed in urban areas between 18.8 to 38.6% cases. Out of 70 children, 52 (74.29%) and 48 (68.57%) children were introduced to liquid (except milk)/semi solid foods and solid foods, respectively. Mean age of introduction of liquid food was 9.37 \pm 3.16 months and majority of them were introduced to liquid foods between 7-12 months. These figures are in agreement with the observations of (Mishra et al., 1985) undertaken in a backward community where average as well as modal age of introductions was 9 months with a standard deviation of 1.75 months. Majority (89.58%) of children given solid foods were between 7-12 months of age. Proportion of children up to one year and where solids were introduced was 89.55% in the present study corresponding values were 66.4% (Coimbatore), 88.03% (Gandhigram), 5.0% (Hyderabad), 2.0% (Poona) and 96.9% (West Bengal) in a multicentric study (Gopalan et al., 1984). This wide regional variations do exist in introducing semi solids/solid foods to children as reported by Camerson and Young (1971); Damodaran (1978). N.I.N. (1978) and Venkatachalam and Rebello (1978) etc. The mean age of introduction of solid foods was 11.13 \pm 2.23 months in the

present study (Table 17). These findings clearly demonstrate that the weaning pattern as observed in this community was far from satisfactory. Weaning was considerably delayed in the community. Reasons offered for introducing liquid/solid foods as presented in Tables 16 and 18 clearly reflect that such introductions were done predominantly for two reasons viz.:

Inadequacy of mother's milk and for optimum growth of the child. These findings are similar to another study (Mishra et al., 1985) conducted in a backward community where 77.92% children were introduced to top milk because breast milk was not adequate to meet the requirements of the child. Delayed and faulty weaning practices as the root cause of under nutrition has been emphasized by several reports (Ghosh, 1977, Gupta et al., 1975; Mishra et al., 1985; Mishra et al., 1986; N.I.N., 1978, Rutishauser, 1972 and Thimmayamma, 1978).

Opinion of mothers/family members regarding use of following food items for children upto 2 years of age. (N = 70)

<i>Food items to be used</i>	<i>Number</i>	<i>Percentage</i>
Suji	23	32.86
Milk	61	87.14
Egg	08	11.43
Pulse	46	65.71
Soyabean	11	15.71
Gram	33	47.14
Groundnut	10	14.29
Banana	29	41.43

COMMENTS

1. Significant proportion of mothers/family members were infavour of feeding milk (87.14%), pulse (65.71%), gram (47.14%), banana (41.43%), suji (32.86% etc. for children.
2. Egg, groundnut and soyabean as food item for smaller children were considered by 8 (11.43%), 10(14.29%) and 11(15.71%) mothers respectively.

Unfortunately food items of high nutritive values such as egg, groundnut and soyabean were considered by only a few community members. Bakery products like biscuits and bread had not been identified as food for younger children though it figured as the most commonly used solid supplement in the regions where multicentric study was conducted (Gopalan et al., 1984). Severela workers have reported wide variations in the choice of weaning foods (Devdas, 1973; Ghosh et al., 1977; Mehta et al., 1972 and Seth et al., 1971). Forty three (61.43%) mothers/family members were of opinion that certain foods should be avoided for children. According to three fourth of mothers/family members banana should not be used for younger children (Table 20). Corresponding figures for guava, curd and solid foods were 26 (60.47%), 32 (74.42%) and 21 (48.84%), respectively. Thus not only weaning was delayed in the community but also community has reservations for using some of common food items for weaning.

Most of the children under study were from large and joint families. Majority of them were Hindus and belonged to middle castes. Majority of them were from poor families (monthly per capita income less than Rs. 100). Mothers of majority of children under study were illiterate.

Majority of children were breast fed but the mean duration of breast feeding less than one year. Weaning was delayed in children under study. This is revealed by the fact that mean ages of introducing of top milk, semisolids and solid foods were 6.62 \pm 4.04, 9.37 \pm 3.16 and 11.13 \pm 2.23 months, respectively. Frequency of breast plus top feeding was considerably less in studied children and in one third of cases milk was given in diluted forms.

Community members particularly mothers had not a favourable opinion about the use of some common food items for weaning. As the majority of the family had poor income, it is desirable to give due emphasis to enhance income of these group particularly by promoting home industry (Biri making, beads making). Considering the economic status, it is recommended to check their temptation to go for costly food items for younger children. They need to be educated that locally available, seasonal items, which are likely to be cheap, are equally good for child's growth and development.

If possible adult education classes should be initiated for females. Any nutrition education programme should give due consideration to literacy status of the area. Educational materials can be given to the literate group only. In this particular area it is desirable to give emphasis on interpersonal communication. Community needs to be educated that breast feeding should be continued as long as possible. Weaning should be initiated at optimum age (4 to 6 months). Frequency of feeding to younger children should be increased. Practice of giving diluted milk should be discouraged. Opinion of community members regarding some food items as weaning food needs to be modified.

Thus there is a need to undertake and interventions study in the form of nutrition education to modify to the prevailing weaning practices and to study the impact of the same in terms of community perception and weaning practices.

REFERENCES

1. Agarwal, D.K.; Agarwal, K.N. and Khare, B.B. (1986): current status of infant and early childhood feeding practices. Report on the collaborative study sponsored by the Indian Academy of Pediatrics. Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University.
2. Camerson, M and Young H (1971): Manual on feeding infants and young children. PAG Document 1. 14/26.
3. Damodaran, M. (1978): Weaning foods. WHO under the programme Interregional training course for trainers of Primary Health Care Workers in Nutrition National Institute of Nutrition, Hyderabad. Nut/78: 42, pp-1-7.
4. Devadas, P. (1973): Nutritional status and nutrient intake of children in age group of 0-30 months in rural area. Ind. Jour. Diet. 19:173.

5. Ghosh, S (1977). The feeding and care of infants and young children. Voluntary Health Association of India. C-14 Community Centre, Delhi.
6. Gopalan, C.; Ayodhyanath, N.S.; Bagchi, K and others (1984), Studies on weaning and supplementary foods. Report of the working party of the Indian Council of Medical Research. ICMR Technical Report Series No. 27.
7. Gupta, V.M.; Tiwari I.C., Murthy, N.S. and Marwah. S.M. (1975): The influence of feeding on weight of infants. *Ind. J. Prev. Soc. Med.* 6:26-29.
8. Jelliffe, D.B. and Jelliffe E.F.P. (1971). The uniqueness of milk. *WHO Chron.*, 25, 527.
9. Karkel, M. (1975): Socio-cultural and economic aspects of Infant feeding. *Indian Red.* 12 (1):13-19.
10. Knntsson, K.E. and Meellbin, T (1969): Breast feeding in cultural context. *J. TROP. Pediatr*, 15,40
11. Mata, I.J. and Wyatt, R.G. (1971): Symposium on the uniqueness of human milk. Host resistance to infection. *Amer. J. Clin. Nutr.* 24, 976.
12. Mehta, M.J. ; Pawar, R.G. and Betherur, U.N. (1972): Infant feeding habits in Surat city (South Gujarat). *Ind. Ped.* 9(5):270-293.
13. Mishra, C.P.; Reddy, D.C.S. and Tiwari, I.C. (1985): Some dietary beliefs and practices influencing growth in preschool children of a backward community. *The Ind. J. Nutr. Dietet.* 22: 354-359.
14. National Institute of Nutrition (1978): Annual Report. Jan-dec. 1977, pp-130-131.
15. Rutishauser, I.H.E. (1972). Quoted from Protein Energy Malnutrition by G.A.O. Alleyne, R.W. Hay: D.I. Picou, J.P. stand field and R.G. Whitehead (1976). Edward Arnold (Publishers). Ltd. London. 12.
16. Satish Kumar; Arya, R.K.; Tiwari I.C. Gaur, S.D. and Srivastava, L.C. (1982): some parameters of Health and Development in a controlled urban population: changes over a period of time. *Ind. Jour. Prev. Soc. Med.* 13 (1):12-16.
17. Seth, V and Ghai O.P. (1971). Feeding habits of Infants and pre-school children in urban semi urban and rural community. *Ind. Ped.* 8 (9): 552-555.



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 82-90



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को लेकर कुछ कपोल कल्पनाएँ

डॉ. करतार सिंह

प्रोफेसर आई.ए.एस.ई., शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्राप्ति - 18 जुलाई 2019, संशोधन - 17 अगस्त 2019, स्वीकृति - 25 अगस्त 2019

सारांश

बालकों की अपने प्राप्तांकों को लेकर बहुत-सी कपोल कल्पनाएँ होती हैं। इन कपोल कल्पनाओं का प्रभाव न केवल उनके ऊपर बल्कि उनके सहपाठियों, अभिभावकों व अध्यापकों आदि पर भी पड़ता है। विद्यालय एवं घर-परिवार का वातावरण उनके प्राप्तांकों को प्रभावित करता है। उनके प्राप्तांकों के साथ-साथ उनकी सोचने, विचार करने की शक्ति भी प्रभावित होती है। यदि उनके आसपास का वातावरण सकारात्मक है, तो उनकी विचारशीलता भी सकारात्मक होगी। इन्हीं कुछ विचारों को इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द - विद्यार्थी, प्राप्तांक, विचार, शिक्षक, अभिभावक

परिचय

बालक के जन्म के उपरांत से ही वह विभिन्न प्रभावों व क्रियाओं के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। सर्वप्रथम बालक अपने घर, पास-पड़ोस से सीखना शुरू करता है। कुछ वर्षों पश्चात उसकी 'औपचारिक शिक्षा' विद्यालय में दाखिला होने के पश्चात शुरू हो जाती है। विद्यालय में बच्चों को अनन्य प्रकार के अनुभव होते रहते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसकी उन्नति होती रहती है। बालकों का सामान्य स्वभाव होता है कि वह एक-दूसरे के ग्रेड या अंकों को जानने की कोशिश करते हैं, इस विषय पर वे प्रायः चर्चा करते रहते हैं। प्राप्तांकों को लेकर विद्यार्थियों के भिन्न-भिन्न विचार होते हैं, वास्तव में - "प्राप्तांक एक प्रकार के सूचक होते हैं, जो यह बताते हैं कि छात्र ने एक निश्चित समय अवधि की परीक्षा में क्या प्रदर्शन किया तथा एक छात्र ने अध्ययनरत रहकर कितना ज्ञानार्जन किया।"

अध्यापकों तथा परीक्षकों द्वारा जो अंक प्रदान किए जाते हैं, वे बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे छात्र का ज्ञान, उसकी समझ, परीक्षा में उत्तर देने का ढंग तथा विशिष्ट विषय में उनकी योग्यता आदि। बालक अपने प्राप्तांकों को लेकर सोच-विचार करते ही रहते हैं। अपने प्राप्तांकों व अपने साथियों के प्राप्तांकों को लेकर विभिन्न बालकों की अलग-अलग कल्पनाएँ होती हैं। किसी को अपने से ज्यादा अपेक्षा होती है, तो किसी को अपने दोस्तों से। रवींद्रनाथ टैगोर ने बालकों के सम्बन्ध में इन कल्पनाओं के विषय में कुछ ऐसे कहा है - “विचार की शक्ति और कल्पना की शक्ति के वरदान हर बच्चे को मिले हुए हैं।”

रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रत्येक बालक कल्पनाशील होता है। कल्पना, गत अनुभवों से संबंधित होती है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है। बालक जब पुनःस्मरण और कल्पना करना सीख लेता है, तब उसका सामाजिक संपर्क अधिक बढ़ जाता है। इस योग्यता के प्राप्त होते ही बालक उन वस्तुओं के संबंध में भी विचार करने लग जाता है, जो उसके सामने नहीं होती है। कल्पना का महत्व बालक की विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में है। बालक में अनेक क्रियात्मक कौशलों का विकास उसकी कल्पना पर आधारित होता है।

रायबर्न के अनुसार - “कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमको अपने पूर्ण अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी।”

कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही चलती रहती है। यह कल्पनाएँ बालकों की मानसिक स्थिति के अनुरूप होती हैं।

कपोल कल्पनाओं से अभिप्राय

कपोल कल्पनाओं से तात्पर्य उन सरल और स्वाभाविक विचारों से है जो किसी दृश्य, घटना, क्रिया, घोषणा, घटक आदि को लेकर व्यक्ति के मस्तिष्क में तत्काल ही आते हैं। मस्तिष्क में इन विचारों को लेकर परस्पर द्वंद्व चलता है। इस द्वंद्व की क्रिया में कुछ विचार सहज ही कम हो जाते हैं और कुछ विचार बार-बार दोहराते रहते हैं। जो विचार बार-बार दोहराते रहते हैं। अक्सर इन्हीं को व्यक्ति मन में लेकर रहता है और इनमें से कुछ को अन्य के समक्ष प्रस्तुत अथवा प्रकट करता है। यह स्पष्ट है कि जिन विचारों को वह प्रस्तुत अथवा प्रकट करता है आवश्यकता पड़ने पर उनको लेकर विचार-विमर्श करने की शक्ति भी रखता है। वह भांति-भांति के प्रमाण अथवा तथ्य प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता है। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रमाण अथवा तथ्य सत्य है अथवा नहीं? अगर सत्य है तो कितने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? प्रस्तुत लेख में विद्यार्थी अपने प्राप्तांकों को लेकर कुछ ऐसी ही कल्पनाएँ विकसित करते हैं। यह कल्पनाएँ उसके अंकों को लेकर उसकी स्वयं की, अन्य सहपाठियों की, शिक्षकों की और माता-पिता की हो सकती है। कपोल शब्द से तात्पर्य लचीले विचारों से है। इस प्रकार कपोल कल्पनाओं की कुछ सरल विशेषताएँ उजागर होती हैं -

- यह व्यक्ति के सरल विचार होते हैं।
- इनका संबंध किसी विषय से होता है।
- यह विषय को लेकर तत्काल ही उत्पन्न होते हैं।
- यह पूर्ण रूप से सत्य है अथवा आंशिक रूप से सत्य भी हो सकते हैं।

- यह अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं।
- इनका मापन भी किया जा सकता है।
- उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है।

उपरोक्त कुछ तथ्य कपोल कल्पनाओं के अंतर्गत होते हैं। कपोल कल्पनाओं को लेकर जिस उदाहरण की हम बात करना चाहते हैं वह है – बालक की अपने प्राप्तांकों को लेकर कपोल कल्पनाएं।

कभी-कभी ऐसी स्थिति सामने आती है कि बालक के प्राप्तांक उसकी कल्पनाओं के अनुरूप नहीं होते, बालक को लगता है कि उसके प्राप्तांक अधिक होने चाहिए थे, क्योंकि उसके अनुसार उसने परीक्षा अच्छे से दी थी। परन्तु उसकी अपेक्षानुरूप उसको अंक प्राप्त नहीं हुए। उनकी इस प्रकार की कल्पनाएं उनके आसपास रहने वाले अन्य व्यक्तियों पर भी काफी प्रभाव डालती हैं। बालकों के प्राप्तांकों को लेकर उनके अभिभावक, सहपाठी, अध्यापक आदि की कल्पनाओं को लेकर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक बालक की स्वयं की कपोल कल्पना उस पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं, उसके अभिभावक, अध्यापक या सहपाठी पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं। इन सभी को जानने का प्रयास यहाँ किया गया है।

विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का महत्व

विद्यार्थियों के जीवन में उनके प्राप्तांकों का अत्यंत महत्व है। विद्यार्थी स्वयं का, दूसरे विद्यार्थी का तथा अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार प्राप्तांक माने जाते हैं। यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक कम हैं, तो उनकी सीखने की गति, शिक्षा के प्रति उनकी लगन, संज्ञानात्मक स्थिति कम ही आंकी जाती है। ऐसे बालक के प्रति, उसके साथी व अध्यापक दोनों का रवैया सामान्यतः कम सकारात्मक होता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों का आकलन उनके प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है। आकलन की स्थिति को हम निम्न तालिका के आधार पर समझने की कोशिश कर सकते हैं –

तालिका-1: श्रेणी और वर्ग अंतराल के अनुसार प्राप्तांकों का विवरण

वर्ग अंतराल	वर्ग अंतराल
सुधार की आवश्यकता	0 - <33
कमजोर	>33 - <40
औसत	>40 - <50
अच्छा	>50 - <60
बहुत अच्छा	>60 - <75
उत्तम	>75 - <90
अति उत्तम	>90 - 100

विद्यार्थियों के प्राप्तांक 33 प्रतिशत से कम होते हैं उनको सुधार की अत्यंत आवश्यकता रहती है, जबकि 33 प्रतिशत से 40 प्रतिशत प्राप्तांक वालों को मात्र आधारभूत स्थिति पर माना जाता है। 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत प्राप्तांक वालों को सामान्य स्थिति में आंका जाता है व 50 प्रतिशत से ऊपर प्राप्तांक वाले छात्रों की स्थिति

अच्छी मानी जाती है। अक्सर यह आकलन किया जाता है कि 50 प्रतिशत प्राप्तांक से ऊपर वाले विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, रचनात्मक स्थिति सामान्य होगी व कुछ प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ की श्रेणी में भी आते हैं। जिनके प्रति अत्यधिक विद्यार्थियों व अध्यापकों की सोच प्रायः काफी सकारात्मक होती है। कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के विषय में अन्य लोगों की क्या धारणा है? यह काफी हद तक विद्यार्थियों के प्राप्तांकों पर निर्भर करती है।

प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक

बालकों के प्राप्तांकों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। विद्यार्थियों के इन श्रेणियों में आने के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता होगा। यह कारण सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि हो सकते हैं। इनके अलावा प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले और भी बहुत से कारक होते हैं, जिनको हम कुछ निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे –

- विद्यालय का वातावरण
- कक्षा का वातावरण
- अध्यापकों का व्यवहार
- घर-परिवार का वातावरण।

विद्यालय का वातावरण

वर्तमान समय में अभिभावकों द्वारा विद्यालय का चयन उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है, अभिभावकों को आकर्षित करता है, तो अभिभावक अपने बालक का दाखिला उस विद्यालय में कराना चाहेंगे। विद्यालय वातावरण में अनेकों चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे – विद्यालय का बाहरी आकर्षण, विद्यालय की अवस्थिति, वहाँ पर होने वाली शैक्षिक व सह-शैक्षिक क्रियाएं आदि। विद्यालय के वातावरण के विषय में एन.ई.पी. (2020) में भी कहा गया है कि – “यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्य और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थी एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।” जिस प्रकार किसी विद्यालय के शैक्षिक स्तर का आकलन वहाँ के वातावरण से लगाया जा सकता है, वैसे ही विद्यार्थियों के प्राप्तांकों पर भी विद्यालय वातावरण का प्रभाव होता है। यदि विद्यालय का वातावरण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर केंद्रित है, तो विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों की स्थिति अच्छी होगी, परंतु यदि विद्यालय का प्रबंधन सुचारु रूप से नहीं चलता, कार्यशैली उचित नहीं है, तो इनका प्रभाव निश्चित रूप से शैक्षिक स्तर पर बच्चों के परीक्षा परिणामों पर पड़ता है। अतः विद्यालय का वातावरण सकारात्मक, समायोजन योग्य, उचित प्रशासन व उत्तम कार्यशैली पर आधारित होना चाहिए।

कक्षा का वातावरण

कक्षा के वातावरण के अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी, विषय-वस्तु, कक्षा में प्रस्तुत साज सामग्री व शिक्षण हेतु सहायक सामग्री आदि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। शिक्षक का कार्य होता है कि वह विषय-वस्तु को अधिक से अधिक

रोचक बनाएं जिससे छात्र उसे अच्छे से ग्रहण कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी सीखने-सिखाने के विभिन्न तरीकों के पक्ष में कहती है कि भविष्य में “शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा, सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होंगी, ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके।” (एन.ई.पी., 2020) अध्यापक द्वारा अधिक रचनात्मक, रुचिकर व सहयोगात्मक तरीकों से शिक्षण देने पर अधिगम प्रतिमान और अधिक प्रभावी होते हैं, साथ ही शिक्षक के अच्छे प्रदर्शन से बालकों की सीखने की स्थिति का ज्ञान भी होता है। कई बार विद्यार्थियों को ऐसे कहते सुना है कि फलां सेक्शन बहुत अच्छा है या इसकी कक्षा में तो सभी इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और इनके अंक भी अच्छे आते हैं। ऐसे सभी वक्तव्य प्रायः उन कक्षाओं के लिए सुनने में मिलते हैं जिनका वातावरण अच्छा होता है, जिनमें कुशल अध्यापक, अनुशासित विद्यार्थी होते हैं। यदि कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक, प्रोत्साहन से परिपूर्ण व जिनमें अध्यापक के रूप में कुशल व्यक्ति व मार्गदर्शक हो, तो उस कक्षा के विद्यार्थियों का प्रदर्शन संभवतः अन्य कक्षाओं की अपेक्षा अच्छा रहता है। ऐसे वातावरण में न पढ़ने वाले विद्यार्थी भी पुनर्बलित हो शिक्षा के प्रति आकृष्ट होते हैं व अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ यदि हम चलचित्र “हिचकी” का उदाहरण लें, तो इस फिल्म में अभिनेत्री ने कक्षा का वातावरण ऐसा बना दिया था कि वर्षों से फेल होने वाले विद्यार्थी भी बहुत अच्छे अंकों से पास हुए व विद्यालय में सर्वप्रथम आने वाला विद्यार्थी भी उसी कक्षा से था। अतः कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों के अंकों की प्राप्ति में बहुत अहम भूमिका निभाता है।

अध्यापकों का व्यवहार

अध्यापक किसी कक्षा के लिए उसके नेता, उसका मार्गदर्शक होता है। अध्यापकों का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार उन्हें किसी विषय के प्रति आकर्षित भी कर सकता है व दूर भी। अध्यापकों के व्यवहार से न पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं जिनकी शिक्षा के प्रति लगन, कुछ कर दिखाने की इच्छा इतनी प्रबलित हो जाती है कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखते व कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं और शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है।

अध्यापकों को सदैव सकारात्मक विचारधारा के साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित व मार्गदर्शन करते हुए उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि वह न केवल अच्छे प्राप्तांक कर ले बल्कि अपने जीवन में सफल हो सकें तथा एक अच्छा इंसान बन सकें।

घर-परिवार का वातावरण

बालकों के प्राप्तांकों पर केवल विद्यालय का ही प्रभाव नहीं अपितु उनके घर-परिवार के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। घरों में माहौल शिक्षा का हो, तो बच्चा शिक्षा के प्रति आगे बढ़ेगा यदि खाने-पीने की व्यवस्था को जुटाने में परिवार लगा है, तो बालक भी अपने परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को जुटाने में सहायता करने में लगता है। कुछ परिवार में माता-पिता निश्चित रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते, बच्चों को डांटना या घर में लड़ाई-झगड़ा करते रहना आदि कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थितियों में बालक की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती और इसका प्रभाव निश्चित ही उसकी शैक्षिक स्थिति पर पड़ता है। जिससे बालक कक्षा में, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता।

इसी प्रकार से विभिन्न शैक्षिक व गैर-शैक्षिक तत्व विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को प्रभावित करते हैं। प्राप्तांकों को लेकर इन पक्षों से संबंधित व्यक्तियों के विचार दर्शाते हैं कि वह विद्यार्थी के विषय में क्या सोच रखते हैं। स्वयं विद्यार्थी, सहपाठी, अध्यापक व अभिभावक आदि की प्राप्तांकों को लेकर क्या विचारधारा है। इन सब पक्षों के विचार कुछ इस प्रकार हैं -

प्राप्तांकों को लेकर संबंधित पक्षों के विचार

अपने प्राप्तांकों पर विद्यार्थी के विचार

अपने प्राप्तांकों को लेकर विद्यार्थियों की अनेकों कपोल-कल्पनाएँ होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी यह उम्मीद रखता है कि उसके अंक अच्छे आएंगे। सभी विद्यार्थियों का पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में, कोई कम पढ़ता है तो कोई ज्यादा। कम पढ़ने वालों की कपोल-कल्पना अधिक प्राप्तांक की भी हो सकती है और कम की भी। ऐसे ही अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी की कपोल-कल्पना अधिक प्राप्तांक की ही रहती है। परंतु कभी ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि अत्यधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी के भी प्राप्तांक कम हो जाते हैं। ऐसे में बालक यह नहीं समझ पाता कि कहाँ कमी रह गई व आक्रोशित भी हो जाता है। जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो सामान्यतः यह पाया जाता है कि विद्यार्थी को तथ्य समझ नहीं आया होता, पेपर करने का तरीका नहीं आता या जो उसने पढ़ा था वह परीक्षा में नहीं आया। अतः बालकों को महत्वपूर्ण तत्वों के साथ-साथ किस तरह से प्रश्न पत्रों को हल करें के विषय में भी जानकारी देनी चाहिए।

अन्य विद्यार्थियों के प्राप्तांकों पर परस्पर विचार

विद्यार्थी न केवल अपने प्राप्तांकों की ही कपोल-कल्पनाएँ करते हैं, अपितु अन्य विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को लेकर भी बालकों की कपोल-कल्पना होती है। कक्षा में कई बार शरारती व कम पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छे प्राप्तांक ले आता है, व ज्यादा पढ़ने वाले के भी कम अंक आ जाते हैं। कक्षागत विद्यार्थी अपने सहपाठी का या जिससे उसके प्रतिस्पर्धा है के विषय में भी कपोल-कल्पनाएँ करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे सहपाठी की परीक्षाएँ अच्छी नहीं गई तो उसके कम ही अंक आएंगे और यदि ऐसा न हो तो वह प्रशासन की कमियाँ, अध्यापकों की निष्पक्षता व जांच करने के तरीके पर सवाल खड़े कर देता है। कभी-कभी दोस्तों के ज्यादा अंक आने की उम्मीद होती है पर जरूरी नहीं ऐसा ही हो ऐसे में भी वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। ऐसी स्थितियाँ विद्यालय में होती रहती हैं व विद्यार्थियों के इनको लेकर अनन्य विचार होते हैं।

अपने प्राप्तांकों पर विद्यार्थियों के शिक्षकों के प्रति विचार

अपने प्राप्तांकों को लेकर शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों के अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं। यदि बालक ने अपने अनुसार अत्यधिक मेहनत की है और उसके अंक ज्यादा आ जाए तो ठीक है अन्यथा बालक हतोत्साहित हो जाते हैं। बालक का विचार, व्यवहार उस अध्यापक के प्रति नकारात्मक हो जाता है। बालक उस अध्यापक के प्रति नकारात्मक भावना रखने लग जाते हैं व उस विषय के प्रति हतोत्साहित रहने लगते हैं। शिक्षक के प्रति बालक आक्रोशात्मक स्थिति में रहते हैं, कभी-कभी तो उन्हें दोष भी देते हैं व अन्य विद्यार्थियों को भी अपने विचारानुसार

स्थिति से अवगत कराते हुए उस शिक्षक के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बालकों के कथन होते हैं कि मैंने तो परीक्षा अच्छे से दी थी फिर भी उस अध्यापक ने मुझे जानबूझकर कम अंक दिए या वह अध्यापक मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मुझे कम अंक दिए गए हैं। इस तरह से विद्यार्थी अपने प्राप्तांकों को लेकर शिक्षकों के प्रति भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं।

विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रति शिक्षकों के विचार

बालकों के प्राप्तांकों को लेकर कपोल-कल्पनाओं से न केवल बालक ही प्रभावित होते हैं, अपितु शिक्षकों पर भी इनका प्रभाव होता है। कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी प्रतीत होते हैं जिनके व्यवहार को देखकर स्वयं अध्यापक को भी यह लगता है कि विद्यार्थी अच्छे प्राप्तांक लेगा, परंतु ऐसा नहीं भी हो पाता। कक्षा में बालक का व्यवहार या क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनसे अध्यापक अत्यधिक अपेक्षाएं कर बैठते हैं। परंतु आवश्यक नहीं कि बालक की संज्ञानात्मक स्थिति उस स्तर की हो। या हो सकता है कि बालक की भावात्मक, संज्ञानात्मक व रचनात्मक स्थिति अच्छी हो परंतु किसी अन्य कारणवश वह उस स्तर के प्राप्तांक नहीं ले पाया। जब बार-बार इसकी जाँच की जाती है तो अध्यापकों को लगता है कि वह भी इन्हीं कपोल-कल्पनाओं का शिकार था। अतः अध्यापकों को केवल बालकों के व्यवहार या प्रतिक्रिया मात्र से नहीं बल्कि बालकों की समय-समय पर अनेकों परीक्षाओं के माध्यम से जाँच करते रहना चाहिए। वह बालकों की वास्तविक स्थिति को जाँचते हुए, उन्हें भी उस स्थिति से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन व प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को लेकर अभिभावकों के विचार

बालकों की प्राप्तांकों के प्रति कपोल-कल्पनाओं से बालकों के अभिभावक भी प्रभावित होते हैं। अभिभावक बालकों से अपेक्षाएं तो रखते ही हैं जिस कारण उनकी कपोल-कल्पनाएं अभिभावकों के लिए नई, अनेकों कल्पनाओं का रूप धारण कर लेती हैं। कभी-कभार ऐसा पाया जाता है कि जब विद्यालय में पीटीएम रखी जाती है, तो बालकों के प्राप्तांकों को लेकर अभिभावकों की अनेकों प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ अभिभावकों का कहना होता है कि हमारा बच्चा तो सारा समय पढ़ता है फिर नंबर क्यों नहीं आए? कोई कोई अभिभावक तो विद्रोही रूप धारण कर अध्यापक को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि उनके निरीक्षण अथवा पढ़ाने में ही कोई कमी रही है अन्यथा बालक तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ जाता है कि अभिभावक अपने बालकों के प्राप्तांक उनकी अपेक्षा अनुरूप न आने पर अध्यापकों से नाराजगी के साथ-साथ उनकी शिकायत करने प्रधानाध्यापक के पास चले जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ बालकों की कपोल-कल्पना व अभिभावकों का उन पर विश्वास करने के कारण सामने आती हैं। यह आवश्यक नहीं कि बालक ने पुस्तक खोल रखी है, तो वह उस विषय की पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वह कल्पना जगत में पहुँचा हुआ हो, उसे विषय-वस्तु समझ ही न आई हो या केवल अभिभावकों को दिखाने हेतु उसने पुस्तक ले रखी हो। अतः प्रत्येक अभिभावक को वास्तविकता का पता करना चाहिए। यदि प्रत्येक अभिभावक समय-समय पर यह जांचता रहे कि, उनके बालक की अधिगम स्थिति क्या है तो न तो वह स्वयं ही कपोल-कल्पना करेंगे न ही अध्यापकों को दोष देंगे।

प्राप्तांकों को लेकर मार्गदर्शन

प्राप्तांक को लेकर संबंधित व्यक्तियों के विचारों पर प्रकाश डालने के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न स्थितियों को कैसे हल किया जाए। बालकों की कपोल-कल्पनाओं के आधार पर उनके विचार, उनके अभिभावकों के विचार, शिक्षकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि बालक अपनी अपेक्षा अनुसार प्राप्तांक नहीं ला पाते, तो उनके अभिभावकों व शिक्षकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे बालक को हतोत्साहित न होने दें, उन्हें परीक्षा में किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए आदि विषयों से अवगत कराना चाहिए व समय-समय पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों का सहयोग करते हुए स्नेहपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। यदि बालक कम प्राप्तांक लाता भी है तो उसे प्रोत्साहित करें न कि हतोत्साहित तथा उसकी कमियों को खोज उनको सुधारने की सलाह दें। न कि स्वयं भी नकारात्मक हों, आक्रोश में आकर बालक या अध्यापक के साथ बुरा व्यवहार करें। प्राप्तांकों को लेकर विद्यार्थियों की कपोल-कल्पनाओं के आधार पर कुछ निम्न बिंदु हो सकते हैं -

- अपने प्राप्तांकों पर विद्यार्थियों को गहन रूप से मंथन करना चाहिए। इसके अंतर्गत उनको अपने प्रयास और प्राप्तांकों के बीच संबंध स्थापित करके सोचना चाहिए। विद्यार्थी को उन्नत करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के अनुरूप प्रयास करना चाहिए तथा अपने मंथन के विश्लेषण से अपनी भविष्य की कार्य योजना बनानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को सहयोगी और प्रतियोगी होना चाहिए। अपने प्राप्तांक और अन्य सहपाठियों के प्राप्तांकों को लेकर परस्पर चर्चा करनी चाहिए और एक-दूसरे के सुझावों को अपनाना चाहिए।
- विद्यार्थी के प्राप्तांकों पर शिक्षक के विचार अधिक तथ्यपूर्ण व मान्य हैं। शिक्षक वह घटक होता है जो विद्यार्थी के विषय को सीखने से लेकर परिणाम तक की प्रक्रिया में सहयोगी होता है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की रुचि, व्यवहार, सहभागिता, नियमितता, प्रबंधन और उपलब्धि को लेकर शिक्षक ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे में शिक्षक को समय रहते विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना चाहिए और विद्यार्थी को भी दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर अपनी प्रगति की ओर जाना चाहिए। प्रबंधन और उपलब्धि को लेकर शिक्षक ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे में शिक्षक को समय रहते विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना चाहिए और विद्यार्थी को भी दिए गए मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए।
- विद्यार्थी अपने प्राप्तांकों को लेकर सुधार के उद्देश्य से अपने शिक्षकों के प्रति अनेक अपेक्षाएं रख सकते हैं। यह अपेक्षाएं सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से लेकर अन्य पढ़ने की सामग्री को प्रदान करने, अधिक अभ्यास करने, तकनीक का उपयोग करने, कक्षा से बाहर के संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करने आदि से हो सकता है। प्रश्न पत्र और उत्तरमाला पर चर्चा करना भी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है।
- बच्चों के प्राप्तांकों को लेकर माता-पिता वह पक्ष होता है जो हमेशा अधिक अंकों की अपेक्षा रखता है। अच्छे अंक प्राप्त होने पर माता-पिता अपनी खुशी व उत्साह भी धन्यवाद सहित प्रस्तुत करते हैं। परंतु अपेक्षा से कम अंक प्राप्त होने पर अनेक प्रश्न भी उठाते हैं। यह प्रश्न चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में आवश्यकता होती है कि माता-पिता के साथ मिलकर बच्चों की प्रगति को लेकर शिक्षक समय-समय पर सभाएं करते रहें, जिससे बच्चों की प्रगति में शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता भी अपना महत्वपूर्ण योगदान, जैसे - घर का वातावरण, नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दे सकें।

कहा जा सकता है कि बालकों को समय-समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती ही है। जब भी ऐसा प्रदर्शित हो कि बालक कुसमायोजित है या परेशान है तो उसका मार्गदर्शन करें व उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करने की कोशिश करें।

उपर्युक्त बताए गए मार्गदर्शन व शिक्षकों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, अधिक से अधिक अभ्यास, कमजोर छात्रों पर या कम अंक लाने वाले छात्रों पर नियमित ध्यान दिया जाए तो बच्चों के प्राप्तांक अच्छे हो सकते हैं, जिससे अध्यापक-विद्यार्थी संबंध व शिक्षक-अभिभावक संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। यदि अध्यापक अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाए, तो कमजोर छात्र भी आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यकता है स्नेहपूर्ण वातावरण की, नियमित ध्यान देने की व निरंतर अभ्यास की। इन अपेक्षाओं के साथ-साथ कुछ अन्य अपेक्षाएं भी हैं।

अच्छे प्राप्तांक के लिए विभिन्न कारगर अपेक्षाएं निम्न प्रकार से समझी जा सकती हैं -

प्राप्तांकों पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए सोपान

1. विद्यार्थी का विद्यालय में अध्ययन
2. शिक्षकों द्वारा आकलन
3. विद्यार्थी के प्राप्तांकों पर प्रतिक्रियाएं
4. बांछित दिशा के अनुसार अध्ययन
5. प्रगति में सुधार और विकास
6. शिक्षकों द्वारा आकलन
7. विद्यार्थी के प्राप्तांकों पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं

उपरोक्त कुछ अपेक्षाओं के माध्यम से हम बालकों के प्राप्तांकों को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक अपने प्राप्तांकों को लेकर अनेकों कपोल-कल्पनाएं करते हैं। यदि उनके प्राप्तांक उनकी कल्पनाओं के आधार पर हैं, तो वे संतुष्ट रहते हैं अन्यथा उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है। वह अपने सहपाठियों, शिक्षकों के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। कभी-कभी अभिभावक भी बालकों का साथ देते हुए नकारात्मक प्रवृत्ति जाहिर करते हैं। वह अध्यापकों तथा विद्यालय को दोष देते हैं। अभिभावक व शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह बालकों का मार्गदर्शन करें, यदि उनके प्राप्तांक उनकी कल्पनाओं के आधार पर नहीं आते हैं, तो उनकी जो कमियां रही हैं उनको बताते हुए उन को प्रोत्साहित करें व मार्गदर्शन करें ताकि भविष्य में वे ऐसी गलतियां या कमियां अपनी परीक्षाओं में न छोड़ें और एक सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ें।

सन्दर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 91-95



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अनुशासनहीनता की समस्या

डॉ. शुभलेश कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति - 08 अगस्त 2019, संशोधन - 22 अगस्त 2019, स्वीकृति - 28 अगस्त 2019

भूमिका

छात्र अनुशासनहीनता की समस्या वर्तमान की ही नहीं है, अपितु यह आजादी से पूर्व की चली आ रही है। इसकी चर्चा 1948 में बने राधाकृष्णन कमीशन में भी की गई थी। उच्च शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने अनेक सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों में भी मुख्य सिफारिश उच्च शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना था। उच्च शिक्षा के लक्ष्य के अन्तर्गत आठवाँ उद्देश्य - “छात्रों में नैतिक गुणों, अनुशासन और विवेकशील व्यवहार को जन्म देना तथा विकसित करना है।”

न्यूमैन के शब्दों में - “यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है।”

न्यूमैन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षित अनुशासित छात्र ही समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है न कि अनुशासनहीन छात्र।

समस्या का स्वरूप

आखिर अनुशासनहीनता की समस्या विद्यार्थियों में उत्पन्न क्यों हो जाती है? इसके कारण अनेक हो सकते हैं। इस समस्या के कारण जानने से पूर्व मैं इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करना पसन्द करूँगी। सामान्यतः छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के नियमों का पालन न करना ही “छात्र अनुशासनहीनता” माना जाता है, परन्तु अपने वास्तविक अर्थ में इसके अन्तर्गत व्यवहार मानदण्डों और शासन के नियम एवं कानून को न मानना भी सम्मिलित होता है।

आज अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र शिक्षण संस्थाओं के नियमों का पालन नहीं करते, कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, कक्षा में शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आए दिन प्रदर्शन, अनशन,

हड़ताल, तोड़फोड़ आदि आम बात होती जा रही है। छात्रों की आपसी दलबन्दी और मारपीट भी दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छात्रों का राजनीति करना इस अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्र-छात्राओं में नशे की आदत भी दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में तो परिचय के नाम पर जिस प्रकार रैगिंग की जाती है, उससे तो आप सभी परिचित हैं। अहम बात यह है कि संस्था और प्रशासन इन सब बातों से कठोरतापूर्वक निबटने के बजाय केस को दबाने का प्रयास करते हैं। आज उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता के इतने रूप हैं जिनका यहाँ उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

अनुशासनहीनता के कारण

इस समस्या के कारण और निदान पर बहुत पहले से ही विचार होता आ रहा है, परन्तु जितने भी प्रयास किए गए वे सब विफल रहे। स्वतंत्र होने के बाद इस समस्या पर सर्वप्रथम विस्तार से विचार किया राधाकृष्णन कमीशन ने। उसने उच्च शिक्षा में छात्र अनुशासनहीनता के कारणों को चार वर्गों में अंकित किया – सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक और इसे रोकने के चार उपाय भी बताए –

1. संस्थाओं में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करना।
2. पढ़ाई एवं खेलकूद की उत्तम व्यवस्था करना।
3. छात्रों को दलगत राजनीति से अलग करना।
4. छात्रों में आत्मसम्मान की भावना विकसित करना और इस सबमें अभिभावकों, नेताओं और प्रेस का सहयोग लेना।

मुदालियर कमीशन (1952-1953) एवं कोठारी कमीशन (1964-66) ने भी इस समस्या पर विस्तार से विचार किया। कई बार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलनों में भी इस समस्या पर विचार हुआ। इन सभी ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता के जो कारण खोजे गए वे निम्न हैं –

1. प्रशासनिक कारण

1. उच्च शिक्षा के विस्तार के अनुरूप छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध न करा पाना।
2. कुलपति, प्राचार्य, शिक्षक आदि की नियुक्तियों में राजनीति का हस्तक्षेप होना।
3. लोकतन्त्र के नाम पर, सभी को प्रवेश न देना।
4. अनुशासन तोड़ने पर सजा के स्थान पर माफी दे देना।

2. शैक्षिक कारण

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं का साधन सम्पन्न न होना।
2. शिक्षकों द्वारा पूरी तैयारी के साथ शिक्षण न करना।
3. शिक्षक-छात्र अनुपात का अधिक होना।

4. शिक्षक-छात्र में (शिक्षार्थी) निकट सम्बन्धों का अभाव।
5. प्रायोगिक परीक्षाओं में जाति, धर्म आदि के नाम पर पक्षपात करना।
6. कुछ शिक्षकों द्वारा अबांछित तत्वों को बढ़ावा दिया जाना।

3. सामाजिक कारण

1. पारिवारिक वातावरण।
2. आस-पड़ोस का वातावरण।
3. अन्य कार्यालयों में भी फैला भ्रष्टाचार।

4. राजनैतिक कारण

1. राजनीतिक दबाव से जगह-जगह उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनमें सभी को प्रवेश।
2. उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्रों का सक्रिय राजनीति में दुरुपयोग।
3. लोक सभा व राज्य सभा में हंगामों की संस्कृति छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है।

5. अन्य कारण

1. छात्र संघों का निर्माण।
2. शिक्षक संघों का निर्माण।
3. मीडिया एवं मोबाइल की भूमिका।

अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं -

1. उच्च शिक्षा में खुली प्रवेश प्रणाली के स्थान पर केवल चयनात्मक प्रणाली को ही अपनाया जाए।
2. शिक्षक-छात्र अनुपात कम होना चाहिए।
3. शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच निकट सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए।
4. नियुक्ति का आधार प्रशासनिक पद पर योग्यता होना चाहिए न कि अप्रत्यक्ष रूप से पैसा।
5. उच्च शिक्षा संस्थाओं को साधन सम्पन्न किया जाना चाहिए व समय-समय पर एक विशेष टीम के द्वारा औचक निरीक्षण होना चाहिए।
6. शिक्षक की जवाबदेही निश्चित की जाए।
7. छात्रवृत्ति का आधार योग्यता व आर्थिक स्थिति होना चाहिए।
8. परीक्षाओं में होने वाला पक्षपात रोका जाए व भाई-भतीजावाद को दूर किया जाए।
9. मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को सार्वजनिक किया जाए।

10. शिक्षा संस्थाओं में प्राथमिक स्तर से ही नियमों के पालन पर जोर दिया जाए जिससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में पहुँचते-पहुँचते वे नियमों का पालन करने के अभ्यस्त हो जाएँ व आत्मअनुशासन की भावना उनमें विकसित हो जाए।
11. शिक्षक व शिक्षार्थी के सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाई जाए।
12. उच्च शिक्षा संस्थाओं में केवल छात्र परिषद् का गठन करने की अनुमति दी जाए।

निष्कर्ष

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूँगी कि प्रथम पाठशाला बच्चे के लिए परिवार है, जहाँ वह संस्कार व अनुशासन दोनों सीखता है। उसके बाद जब वह स्कूल में प्रवेश लेता है, वहाँ विद्यालय का वातावरण, उसके नियम उसे अनुशासन सिखाते हैं। “उच्च शिक्षा तक आते-आते वह परिपक्व हो चुका होता है, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद जब वह महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तो वहाँ पर उसको आजादी का वातावरण मिलता है जहाँ वह महसूस करता है कि वह अब सबकुछ अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतन्त्र है और यही स्वतन्त्रता की भावना उसके अन्दर जाने-अनजाने अनुशासनहीनता को जन्म देती है।”

यदि उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी समय की पाबन्दी के साथ-साथ महाविद्यालयों के नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया जाए और गलत आचरण करने पर, महाविद्यालयों के नियमों का उल्लंघन करने पर उनको सजा भी दी जाए, तो इस प्रकार की अनुशासनहीनता को पूर्णतया समाप्त नहीं, परन्तु काफी कम किया जा सकता है। साथ ही प्रशासक, प्राचार्य व शिक्षक भी अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे व अभिभावक भी अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, तो छात्र उनसे बाहर नहीं जा सकते और वह भी अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करेंगे क्योंकि महाविद्यालयों में कुछ ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं बाकी विद्यार्थी कुछ विद्यार्थियों की वजह से अनुशासनहीनता की श्रेणी में अनजाने में ही आ जाते हैं।

इसलिए आवश्यकता है “दृढ़ संकल्प” की। जिसके हाथ में ताकत (पावर) है सत्ता की वह उस शक्ति का प्रयोग छात्र हित में, संस्था के हित में करें तो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा व उच्च शिक्षा संस्थाओं में फैली अनुशासनहीनता को भी कम किया जा सकेगा। किसी ने ठीक ही कहा है – अनुशासन नहीं है तो जीवन नहीं है, सूरज समय से उगता है, मौसम समय से बदलते हैं। अगर ये सब अनुशासन तोड़ दें, तो यह धरती जीने लायक नहीं रह जाएगी।

सन्दर्भ पुस्तकों की सूची

पचौरी, गिरीश, *समकालीन भारत एवं शिक्षा*

वर्मा, जी.एस., *आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ*

पाठक, पी.डी., *भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ*

लाल, रमन बिहारी, *भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ*

भारत सरकार (शिक्षा विभाग) *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*

भटनागर, सुरेश, आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्याएँ
शर्मा, राजकुमारी, समकालीन भारत एवं शिक्षा
त्यागी, गुरसरन दास, भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ

ध्वनि सिद्धान्त - एक सूक्ष्मेक्षिका

डॉ. (श्रीमती) अनुपम शैरी

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति - 08 अगस्त 2019, संशोधन - 22 अगस्त 2019, स्वीकृति - 28 अगस्त 2019

सारांश

संस्कृत साहित्य का क्रियात्मक पक्ष जैसे अनन्त समृद्धियों से जाज्वल्यमान है, वैसे ही उसका सैद्धांतिक पक्ष भी विपुलतया सम्पन्न है। काव्य के जीवित भूत अन्तस्तत्त्व की गवेषणा में चिरकाल से संस्कृत के काव्यशास्त्री प्रयासरत रहे हैं। भामह, दण्डी, वामन तथा उद्भट आदि चिरन्तन आलङ्कारिकों ने अलंकार, रीति आदि को काव्यश्री का प्रयोजक तत्व (आत्मतत्व) माना, किन्तु काव्य का वस्तुगत सर्वमान्य आत्मतत्व प्रकाश में न आ सका। 9वीं शती ई. में काव्यशास्त्रीय समालोचन-प्रांगण में एक ऐसे क्रान्तिकारी मेधावी का पद-विन्यास हुआ, जो केवल अप्रतिम शास्त्रकार ही न था, अपितु सुहृदयचक्र-चक्रवर्ती कवि शिरोमणि भी था। वह थे - आचार्य आनन्दवर्धन।

आनन्दवर्धन को कविता-कामिनी का बाह्य अलंकार प्रभावित न कर सका। उन्होंने काव्य के अन्तः सार की गवेषणा में अवरिल अश्रान्त प्रयास किया और अन्ततः सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने काव्यात्म-तत्व की तुलना नारी के अंगों में व्याप्त किन्तु उनसे सर्वथा भिन्न 'लावण्य' नामक तत्व से की। इसी लावण्य-तुल्य काव्यात्म तत्व का नाम है - काव्य का प्रतीयमान अर्थ अर्थात् 'ध्वनि' जिसे उन्होंने निर्भयतापूर्वक काव्य की आत्मा माना है - 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'।

आनन्दवर्धन-प्रकाशित ध्वनि सिद्धान्त का आधार है - 'व्यंजना' व्यापार की अवधारणा। वाच्यार्थ से व्यक्तिरिक्त प्रतीयमान अर्थ को आचार्य ने 'व्यङ्ग्यार्थ' कहा है और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति 'व्यंजना' द्वारा मानी है। प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व की ओर आनन्दवर्धन के पूर्व भी अस्फुट संकेत दिए जाते रहे हैं। परन्तु इसकी निम्नान्त स्थापना का श्रेय आचार्य आनन्दवर्धन को ही मिल सका। अतएव आनन्दवर्धन ही 'ध्वनिकार' तथा 'ध्वनि-प्रवर्तनाचार्य' के रूप में विश्रुत हुए।

ध्वनिकार एवं उनका ग्रन्थ-आनन्दवर्धन के द्वारा प्रणीत 'ध्वन्यलोक' नामक ग्रन्थ ध्वनि सिद्धान्त-प्रतिष्ठापन का सर्वप्रथम ग्रन्थ रत्न है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य है - व्यंजनावृत्ति की प्रतिष्ठापना तथा प्रतीयमान अर्थ की साधना। ग्रन्थकर्ता को इस अभिनव दिशा में अपूर्व सफलता भी मिली है।

विद्वानों में ध्वन्यालोक की कारिकाओं तथा वृत्ति-विवेचनों के एक कर्तृकर्ता के विषय में मत-वैषम्य है। कुछ विद्वान कारिकाओं की रचना अन्य व्यक्ति द्वारा और वृत्ति की रचना आनन्दवर्धन द्वारा सम्पादित मानते हैं। परन्तु 'ध्वन्यालोक' का अन्तिम पद्य स्पष्ट रूप से आनन्दवर्धन को ही सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रणेता घोषित करता है।²

आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त तथा मम्मट आदि आचार्यों ने पदे-पदे सूचित किया है कि ध्वनि सिद्धान्त का मूलाधार है - वैयाकरणों का 'स्फोट' सिद्धान्त। ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में ही 'काव्यास्यात्मा ध्वनि रितिबुधैः' इस अंश के 'बुधै' इस पद से ध्वनि निरूपक पूर्ववर्ती वैयाकरणों की ओर संकेत किया गया है। ध्वनिकार कृत 'ध्वनि' का लक्षण यह है -

‘यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थे।

व्यङ्क्तः काव्य-विशेषः स ध्वनिरितिसूरिभिः कथितः॥³

‘तद्वत् सचेतसांसोऽर्थोवाच्यार्थ/विमुखात्मनाम्।

बुद्धौतत्त्वार्थदर्शिन्यांझटित्येवावभासते॥⁷

उपर्युक्त ध्वनि परिभाषा में प्रयुक्त 'सूरिभिः कथितः' के अनुसार आचार्य आनन्दवर्धन ने यह स्पष्टतया ध्वनित कर दिया है कि ध्वनि सिद्धान्त की पूर्व-पीठिका विद्वानों द्वारा बहुत पूर्व ही कही जा चुकी है, यह यथाकथञ्चित्स्थापित सिद्धान्त धारा नहीं है। वृत्ति में 'सूरि' का अर्थ वैयाकरण किया गया है।

आचार्य मम्मट ने भी 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य के विवेचन के प्रसंग में सूचित किया है कि 'ध्वनि' का प्रयोग हम जैसे आलंकारिकों की अभिनव कल्पना नहीं है, क्योंकि तत्वातत्वपर्यालोचक वैयाकरणों ने बहुत पहले ही प्रधान भूत स्फोट तथा व्यंग्य अर्थ के व्यञ्जक रूप शब्द के लिए 'ध्वनि' का प्रयोग किया है।

इस प्रकार आनन्दवर्धन की व्यञ्जना और ध्वनि का प्रेरणास्रोत है - वैयाकरणों का 'श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि का व्यवहार। अतः व्यञ्जना सम्बन्धी धारणा एवं व्यञ्जकत्व द्वारा प्रतीत व्यंग्यार्थ की प्रेरणा को भलीभाँति समझने के लिए वैयाकरणों की श्रूयमाण-वर्ण विषयक अवधारणा को प्रथमतः समझना अपेक्षित है। आनन्दवर्धन (9वीं शती ई.) के पूर्ववर्ती भर्तृहरि (450-500 ई.) ने वाक्य पदीय में स्पष्टतया ही व्यञ्जना को स्वीकारा है।

जिस आधार का संकेत ध्वनिकार ने किया है, इसका सर्वप्रथम सूत्रपात संभवतः पाणिनि पूर्ववर्ती आचार्य स्फोटायन ने किया था, 'परन्तु वह विस्तार न पा सका। उस परम्परा का निर्देश पतञ्जलि ने अपने 'महाभाष्य' में 'स्फोट' शब्द के प्रयोग द्वारा किया है।⁴ परन्तु इस सिद्धान्त की पूर्ण व्याख्या भर्तृहरि के ग्रन्थ वाक्यपदीय में प्राप्त होती है। अतः भर्तृहरि ने उसका विवेचन नहीं किया। हां वक्तुरिच्छा का विश्लेषण भर्तृहरि ने अवश्य किया है।

वाक् की उत्पत्ति के विषय में भर्तृहरि द्वारा तीन चरण माने गए हैं - पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यही 'वैखरी' वाक् श्रोता तक प्रत्यायिका के रूप में पहुँचती है। ग्रहण का क्रम उत्पत्ति के क्रम में विलोम सा है। श्रूयमाण वर्णों का अवसर इस ग्रहण के प्रसंग में ही उत्पन्न होता है। ग्रहण-प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं - नाद, स्फोट, ध्वनि और स्वरूप। इन चारों तत्वों के स्पष्टीकरण के बाद ही ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना - वैजयन्तीफ़ हर सकती है। चारों का विवेचन इस प्रकार है -

नाद - व्यक्त वर्ण-ध्वनियाँ नाद के रूप में श्रोता तक पहुँचती हैं। व्यक्त ध्वनि वायुमण्डल में तरंग रूप में प्रसार पाती है। तरंग की विशेषता वाक् के अनुरूप होती है, अर्थात् उच्चारित दीर्घ और ह्रस्व वर्ण के अनुसार ही तरंग की लम्बाई (wave length) भी होगी। यह तरंग कान के परदे से टकराकर वर्ण का पुनरुत्पादन करती है। यह पुनरुत्पादित वर्ण ही नाद है। इस प्रकार प्रत्येक उच्चारित वर्ण की तरंग उस वर्ण का नाद उत्पन्न करेगी। क्योंकि सभी उच्चारित वर्ण की तरंग एक साथ नहीं पहुँचती है, उच्चारण-क्रम से ही पहुँचती है। अतः नाद क्रम जन्मा होता है - 'नादस्य क्रम-जन्मात्वात्।'

यहीं एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि उच्चारित वर्णों की तरंगें क्रमशः पहुँचकर क्रमानुसार ही नाद को उत्पन्न करेंगी, तब शब्द की अखण्डता, पूर्णता का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि दूसरे वर्ण की तरंग पहुँचने तक प्रथम वर्ण की तरंग तिरोहित होने लगती है? इसी समस्या का समाधान स्फोट सिद्धान्त है।

स्फोट - यद्यपि स्फोट सिद्धान्त का प्रवर्तन आचार्य स्फोटायन ने ही किया होगा, ऐसी कल्पना पतंजलि आदि की है। शब्द की परिपूर्णता का अवबोध स्फोट में ही होता है। उदाहरणार्थ - 'गौः' शब्द को लें। इनमें तीन वर्ण हैं - ग, औ और : (विसर्ग)। वक्ता जब 'गौ' का उच्चारण करेगा, तब ये तीन वर्ण क्रमशः तीन ध्वनि-तरंगों के रूपों में श्रोता के कान के पर्दे से टकराकर क्रमशः नाद उत्पन्न करेंगे, परन्तु 'गोः' की प्रतीति तो तीनों वर्णों के संवलित रूप में ही हो सकती है, पृथक-पृथक नहीं।⁵ एक अथवा दो वर्णों में ही पूर्ण गौः की प्रतीति मानने पर शेष वर्ण व्यर्थ कहे जाएंगे। किन्तु तीनों वर्णों का एक काला-वच्छेदेन एकान्वित रूप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कोई भी ध्वनि दो क्षण से अधिक नहीं ठहरती है, जब तक 'औ' ध्वनि पहुँचेगी, तब तक 'ग' ध्वनि तिरोहित ही जाएगी।

स्फोट की परम्परा के अनुसार 'गौः' शब्द का अर्थबोध स्फोट द्वारा ही होता है। पूर्व-पूर्व वर्णों के संस्कार उच्चारण के साथ सम्पृक्त होकर शब्द की पूर्णता के साथ अर्थ-प्रतीति कराते हैं।⁶ यही पूर्णतता की प्रतीति 'स्फोट' है। स्फोट के आठ भेद हैं, जिनमें वाक्य स्फोट को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि एवं महाभाष्यकार पतंजलि शब्द और अर्थ, दोनों की पूर्णता की समकालिक अनुभूति मानते हैं। वाक्य की पूर्णता की प्रतीति 'वाक्य-स्फोट' कही गई है, जिसमें वाक्य-पूर्णता के साथ-साथ वाक्यार्थ-प्रतीति भी होती है।

ध्वनि-भर्तृहरि ने नाद तथा स्फोट में व्यंग्य-व्यंजक भाव माना है।⁷ नाद व्यंजक है तथा स्फोट व्यंग्य। नाद और स्फोट का यह सम्बन्ध नित्य तथा स्वभाविक है। नाद के अभाव में स्फोट की अस्तित्व सिद्धि ही असम्भव है। स्फोट में शब्द अथवा वाक्य की श्रुति पूर्ण होती है। श्रुति के पूर्ण होते ही अर्थ प्रतीति भी होती है, किन्तु स्फोट के व्यंग्य होने के कारण स्फोट में प्रतीति होनेवाले अर्थ को भी व्यंग्य कहा जा सकता है। आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा प्रतिपादित व्यंग्यार्थ का आधार यही धारणा है। व्यंजक नाद वर्ण ध्वनियों से समुद्भूत होता है। अतः नाद ध्वनि रूप ही है और ध्वनि वर्णों का गुण है।

'ध्वनि' शब्द के प्रयोग की प्रेरणा भी आनन्दवर्धन को वैयाकरणों के कतिपय प्रयोगों से मिली। नाद के कारण भूत वर्णों को वैयाकरणों ने ध्वनि कहा है तथा नाद को व्यंजक।⁸ इसी आधार पर आनन्दवर्धन ने व्यंजक (शब्द एवं अर्थ) को 'ध्वनि' कहा है। इस विवेचन के अनुसार ध्वनि की उत्पत्ति का स्वरूप होगा। 'ध्वनति यः स (व्यंजकः शब्दो) ध्वनिः।' स्फोट के अनन्तर जो अर्थ-विस्तार होता है, वह श्रोता द्वारा ग्रहण की तृतीयावस्था है।

वैयाकरण-सम्मत 'व्यक्ति' के आधार पर ही आनन्दवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ की व्यंजना को भी ध्वनि मानकर 'ध्वनि' माना है। 'लोचन' के अनुसार - 'शब्दन' शब्दः शब्द-व्यापार ... सोंऽपि ध्वननं ध्वनिः।⁹ 'व्यंजना' व्यापार को ध्वनि मानने पर 'ध्वनि' की व्युत्पत्ति होगी। 'ध्वन्यतेऽनेन इति ध्वनिः।'।

वैयाकरणों की उपर्युक्त धारणाएँ ही ध्वनि सिद्धान्त में गृहीत व्यंजना व्यापार, व्यंजक (वाच्य एवं वाचक) तथा व्यंग्य (प्रतीयमान) अर्थ का आधार है।

स्वरूप - इच्छा रूप अर्थ (स्वरूप) की प्रतीति ही अर्थ से अर्थ की व्यंजना का आधार है। आर्थी व्यंजना का मूल स्रोत यही है। वैयाकरणों ने अनेकार्थक शब्दों की समस्या को स्वीकारते हुए अर्थ विनिश्चयन के निम्न सोपान माने हैं -

‘संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।

अर्थः प्रकारंलिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥

सामर्थ्यं मौचित्यं देशः कालोव्यक्तिः स्वरादयः।

शब्दार्थं स्थानं वच्छेदे विशेषं स्मृतिं हेतवः॥¹⁰

इन संयोगादि अभिधेयार्थ नियामक तत्त्वों के द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रित होकर भी जब अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, तब वह प्रतीति ‘व्यंजना’ है। साथ ही शब्द की यह औपाधिक वृत्ति ‘व्यंजकत्व’ है, वहीं अन्य अर्थ ‘व्यंग्य’ है। इस तरह व्यंग्य-व्यंजक भाव के सम्बन्ध की अवधारणा ही व्यंजना है।

ध्वनिककार - पूर्व ध्वनि - स्थिति

आचार्य वामन ने भी व्यंजना के पर्याय शब्द ‘प्रतीति’ के अर्थ में ‘प्रतिपत्ति’ शब्द का प्रयोग किया है। ‘पुष्पमाला’ शब्द पर विचार करते हुए वामन ने बताया है कि ‘माला’ के कहने से ही ‘पुष्पमाला’ का भाव निकल सकता है, तब ‘पुष्प’ पद का प्रयोग व्यर्थ होकर माला की उत्कृष्टता की प्रतिपत्ति (व्यंजना) कराता है। इस तरह पुष्पमाला का अर्थ होगा ‘उत्कृष्ट पुष्पमाला’। ‘पुष्प’ पद में अभिधा एवं लक्षणावृत्ति द्वारा अर्थबोधन नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ‘माला’ का अभिधा गम्य अर्थ ही है ‘पुष्पमाला’। अतः ‘पुष्प’ पद व्यर्थ-सा लगता है और मुख्यार्थ वाद्य के अभाव में अन्वय या तात्पर्य की अनुपपत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है - तब ‘लक्षणा’ का प्रसंग ही कैसा?

अतः व्यंजना नामक तृतीय वृत्ति के द्वारा ही ‘पुष्प’ पद उत्कृष्टता व्यंजक सिद्ध होता है।

इस प्रकार व्यंजनावृत्ति की स्वीकृति प्राच्य एवं नव्य वैयाकरणों ने विविध स्थलों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीति से की है और व्याकरण दर्शन तो स्पष्टतया व्यंजनावृत्ति का मापदण्ड है। ध्वनिकार-पूर्ववर्ती भरत, भामह, वामन आदि के ग्रन्थों में भी बहुधा व्यंजनावृत्ति तथा ध्वनि का कहीं मन्द-मन्द परिस्पन्दन-सा प्राप्त होता है। तथापि ‘व्यंजना’ को विशिष्टतम वृत्ति तथा ‘ध्वनि’ को सर्वोत्कृष्ट काव्य के मणिमण्डित मंच पर अधिष्ठापित करके परिपोषित, परिपल्लवित करने में और सुरसरस्वती साधन में सर्वत्र प्राक् पहुँचाने में आनन्दवर्धन को ही अविश्रान्त-प्रयासजन्य कीर्ति मिली।

ध्वनि विरोधी मत - व्यंजनावृत्ति का मूल आधार तो वैयाकरणों से प्राप्त हुआ, किन्तु उसकी समीचीन स्थापना में आनन्दवर्धन को व्यंजना-लभ्य प्रतीयमानार्थ की अस्तित्व सिद्धि के लिए पर्याप्त तर्कों का आश्रय लेना पड़ा था। अब तक वृत्ति के रूप में अभिध लक्षणा एवं तात्पर्या ही मान्य रहीं। अतः अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ एवं तात्पर्यार्थ से अतिरिक्त व्यंग्यार्थ को सिद्ध करने के प्रसंग में उसकी साधिकावृत्ति ‘व्यंजना’ की निभ्रान्त विवेचना आनन्दवर्धन को ही करनी पड़ी। वस्तुतः ध्वनि सिद्धान्त का आधार ही व्यंजना है, अतः व्यंजना की सिद्धि ही ध्वनि की सिद्धि है। अतएव ध्वनि विरोधियों ने भी व्यंजना का भी विरोध किया।

ध्वनि विरोधी निम्न स्तम्भों में आबद्ध किए जा सकते हैं -

- (क) आनन्दवर्धन पूर्ववर्ती ध्वनि विरोधी
- (ख) सम्भावित ध्वनि विरोधी
- (ग) वस्तुगत ध्वनि विरोधी (मनोरथ आदि)

(घ) आनन्दवर्धन समकालिक विरोधी

(ङ) आनन्दवर्धनोत्तर ध्वनि विरोधी।

आनन्दवर्धन पूर्ववर्ती ध्वनि विरोधी तथा आनन्दवर्धन समकालिक ध्वनि विरोधी निम्नांकित तीन ध्वनि विरोधी – धाराओं के प्रसारक हैं।

(1) **अभाववाद** – इसके अन्तर्गत ध्वनि सत्ता को अस्वीकृत या अप्रमाणिक सिद्ध किया गया है। अभाववाद के तीन विकल्प पक्ष हैं –

(अ) प्रथम अभाववाद – शब्दार्थमय काव्य के अन्तर्वर्ती शब्द, शब्द चारुत्व हेतु (शब्दालंकार अनुप्रासादि एवं शब्द गुण), अर्थ-चारुत्व-हेतु (अर्थालंकार उपमादि तथा अर्थ गुण), वर्ण-संघटना धर्म (माधुर्य आदि गुण) गुणों से अव्यतिरिक्त रहने वाली उपनागरिकादि आदि वृत्तियों तथा वैदर्भी आदि रीतियों से अतिरिक्त किसी अन्य काव्य-मार्ग के रूप में ‘ध्वनि’ नामक कोई वस्तु नहीं है।

(ब) द्वितीय अभाववाद – काव्य का काव्यत्व प्रसिद्ध काव्य प्रस्थानों (शब्द, अर्थ, अलंकार, गुण आदि) में ही सम्भाव्य है, परम्परा से भिन्न (ध्वनि) मार्ग में काव्य लक्षण (सहृदय, हृदयाहृदि-शब्दार्थमयत्व) ही नहीं घटित होगा।

(स) तृतीय अभाववाद – ध्वनि नामक कोई अपूर्व, अनुल्लिखित, अलक्षित, अविवेचित काव्य-मार्ग संभाव्य ही नहीं है। यदि यह नूतन ‘ध्वनि-मार्ग’ कमनीयतानुगामी होगा, तो अनुप्रासादि चारुत्व में ही अन्तर्भूत हो जाएगा। पूर्वोक्त चारुत्व हेतुओं में जिस किसी का ‘ध्वनि’ यह नूतन नाम-स्थापन तुच्छ कार्य होगा। तीसरी बात यह है कि वाक्-विकल्पों के अनन्त होने के कारण काव्य लक्षणकारों द्वारा अप्रकाशित किसी प्रकार लेश को ही ‘ध्वनि’ का जामा पहनकर हर्षोल्लास से मुद्रित लोचन को नचाने कूदने से क्या लाभ? अतः ‘ध्वनि’ प्रवाद मात्र है।

(2) **भाक्तवाद या लक्षणावाद** – लक्षणा (भक्ति या गुणवृत्ति) में ही व्यंजना (ध्वनि) को तथा लक्ष्यार्थ में ही व्यंग्यार्थ को अन्तर्भूत मानने वाले विरोधियों का मत भाक्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है।

(3) **अनिर्वचनीयतावाद** – कुछ लोग ‘ध्वनि’ के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी से विमुख रहने के कारण ध्वनि को लक्षण शून्य (अलक्षणीय) तथा अनिर्वचनीय मानते हैं। उक्त तीनों मतों में प्रथम मत (अभाववाद) विपर्यासवादी है (ध्वनि सत्ता को नकारने वाला है), द्वितीय मत (भाक्तवाद) संदेहग्रस्त है तथा तृतीय मत (अनिर्वचनीयता वाद) अज्ञानतापूर्ण है।

(ग) आनन्दवर्धनोत्तर ध्वनि विरोधी – इन ध्वनि विरोधियों का सामान्यतया दिग्-दर्शन इस प्रकार है।

(1) मीमांसक – अभिहितान्वयवादी एवं अन्विताभिधानवादी मीमांसक (मुकुल भट्ट, कुमारिल, प्रभाकर आदि) अभिधा वृत्ति को ही सवार्थ-दर्शिनी मानकर व्यंजना को नहीं स्वीकारते हैं।

(2) अखंडार्थवादी वेदान्ती – शब्दार्थ की दूरवर्ती सीमा (व्यंजना) को भी अखण्डता के अन्तर्गत मानकर वेदान्तियों ने व्यंजना को नकार दिया।

(3) अखण्डार्थवादी वैयाकरण – वाक्य स्फोट को अखण्ड मानने वाले कतिपय वैयाकरणों ने भी व्यंजना को अपेक्षित नहीं समझा।

- (4) महिम भट्ट - आदि अनुमितिवादीनैयायि-महिम भट्ट ने 'व्यक्ति विवेक' नाम उत्कृष्टतम ध्वनि विरोध परक ग्रन्थ में ध्वनि की सारी व्यवस्था को अनुमिति में अन्तर्गणित करके व्यंग्यार्थ को अनुमेयार्थ से व्यतिरिक्त नहीं माना है। ध्वनि का अन्तर्भाव अनुमान में कर दिया है।
- (5) वक्रोक्तिवादी कुन्तक - आचार्य कुन्तक ने ध्वनि के समस्त भेदों प्रभेदों को वक्रोक्ति के भेदोपभेदों में अन्तर्भूत करके ध्वनि को वक्रोक्ति में समाहित कर लिया है। इनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम है - 'वक्रोक्ति-जीवितम्'।
- (6) औचित्यवादी क्षेमेन्द्र - व्यंजना के समग्र स्वरूप को औचित्यवाद में अन्तर्भूत करके क्षेमेन्द्र ने मानो व्यंजना तथा ध्वनि को नकार दिया है। इनका गौरव-गुम्फित ग्रन्थ है - "औचित्य-विचारचर्चा"।
- (7) भुक्तिवादी भट्टनायक - आचार्य भट्टनायक ध्वनि-विरोधी आचार्यों में अग्रसर हैं। इनका ग्रन्थ 'हृदय-दर्पण' ध्वनि-विध्वंसन के लिए सुविख्यात था। ध्वन्यालोक व्याख्या 'लोचन' में इनके ग्रन्थ के अनेक उदाहरण उद्धात किए गए हैं। दुर्भाग्यतः इनका यह ग्रन्थ आज अप्राप्य है। भट्टनायक ध्वनि को रस तक ही सीमित करके केवल वस्तु ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि ही का प्रत्याख्यान कराना चाहते थे। लोचनकार, अभिनव गुप्त ने भी यही मत संकेतित किया है।³⁰ भट्टनायक एक सुविक्षित रसवादी आचार्य हैं, वे रस ध्वनि का खण्डन नहीं प्रत्युत रस-निष्पत्ति का मण्डन करना चाहते थे। भट्टनायक कभी-कभी ध्वनि और व्यंजना को अलक्षणीय, अनिवर्चनीय कोटि में रख देते हैं, तब वे अनिवर्चनीयता समर्थक, 'अभाववादी' ध्वनि विरोधी की पंक्ति में जा बैठते हैं।³¹

इस तरह मुख्यतया ध्वनि के तीन प्रबल विरोधी हैं - भट्टनायक, कुन्तक एवं महिम भट्ट। इन तीनों की कमजोरी यह है रही है कि वे काव्य में रस की प्रधानता का विरोध न कर सके। ध्वनि-समर्थक आचार्यों (मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ व जगन्नाथ) के लिए उनकी यह कमजोरी ही ध्वनि-समर्थन का बहुत बड़ा बल एवं अवलम्ब बना।

सन्दर्भ

1. ध्वन्यालोक 1/1
2. सत् काव्यन्तत्वनयवर्त्मचिर-प्रसुप्तकल्पमनस्सुपरिपक्वधियां यदासीत्। तद्व्याकरोत् सहृदयोदयलाभद्येतोरा-नन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः (ध्वन्यालोकचतुर्थ-उद्धोत)
3. ध्वन्यालोक 1/13
4. काव्य प्रकाश वृत्ति 1/4
5. लोकेऽर्थबोधकत्वेनगृहीतोध्वनिर्वर्णात्मकः तत् समूहः शब्द।
6. स च शब्दोवस्तुत एकोऽपि तत्रद्-वर्णसंस्कारैः प्रतिबिम्बित-तत्तद् रूपोऽनन्तपद रूपतामिवापन्न इतिसर्वपद-रूपः सर्वाभिधन-शक्ति। (वै.सि.मं.पृ. 376)
7. व्यंग्य-व्यंजनभावेनतथैवस्फोट-नादयोः (वाक्यपदीय 1.97)
8. प्रतीतपदार्थकोलोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तस्माद् ध्वनिः शब्दः (महाभाष्य 1/1)
9. लोचन, पृष्ठ 142
10. वाक्यपदीय 2/317-18



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 102-106



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

वर्तमान परिवेश में योग की भूमिका

डॉ. सरोज कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग (विभागाध्यक्ष)

चौधरी शिवनाथ सिंह शाडिल्य (पी.जी.) कॉलेज, माछरा, मेरठ

प्राप्ति - 12 अगस्त 2019, संशोधन - 20 अगस्त 2019, स्वीकृति - 26 अगस्त 2019

सारांश

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। संस्कृति की धारा जहाँ अत्यन्त प्राचीन है, वहीं उसके प्रवाह में निरन्तरता भी है। दर्शन, कला, संगीत साहित्य के आधार पर यह संस्कृति श्रेष्ठतम बनी हुई है। सभ्यता और संस्कृति की अनेक विधाओं में भारत को विश्वगुरु माना जाता है, उसमें एक विधा योग भी है। सभ्यता में नैतिक पक्ष प्रधान है, तो संस्कृति में वैचारिक और योग दोनों का समीकरण है। वर्तमान युग में व्यक्ति का स्वयं के साथ वार्तालाप या सम्बन्ध खत्म हो गया है। इसका स्वयं के साथ और परिवार के साथ भी सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध प्रभावित हुआ है। यह वर्तमान परिवेश का प्रभाव है। वर्तमान में अर्थ प्रधान एवं अति व्यस्त आधुनिक जीवनशैली अपनाने के कारण आज का मानव न चाहते हुए भी मानसिक दबाव एवं तनाव, अविश्राम, अराजकता, रोगग्रस्त, अनिद्रा, निराशा, विफलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा अनेकानेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य हो गया है। जल, वायु, ध्वनि तथा अन्य प्रदूषण के साथ-साथ ऋणात्मक दुर्भावनाओं का भी वह शिकार बन गया है। परिणामस्वरूप अनेकानेक शारीरिक रोगों के साथ-साथ मानसिक असंतुलन, चिंताएँ, उदासी, सूनापन एवं दुर्भावनात्मक विचार उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिससे उसके मन की शान्ति भंग हो जाती है। लेकिन इन परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ-साथ सामना करने के लिए हमारी भारतीय पौराणिक योग पद्धति सहायता कर सकती है।

प्रस्तावना

आधुनिक जीवन में योग का बहुत महत्व है। क्योंकि आज का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। आज यह प्रदूषण धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है। ऐसे परिवेश में हम अपने शरीर को केवल योग के द्वारा ही मजबूती दे सकते हैं। यह योग ही है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। योग से शरीर में लचीलापन, ताकत तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

आज विश्व में हर साल 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। योग की महत्ता को सराहते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा साल 2015 से 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। एक सर्वे के मुताबिक विश्व में 2 अरब से भी ज्यादा लोग रोजाना योग कर रहे हैं।

प्राचीन काल से ही योग एक पूर्ण विज्ञान है। एक पूर्ण जीवनशैली है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है एवं पूर्ण अध्यात्म विद्या है। योग की लोकप्रियता का रहस्य यह है कि यह लिंग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषा-भेद की संकीर्णताओं से कभी नहीं बंधा। साधक, चिन्तक, वैरागी, अभ्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ कोई भी इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण और उत्थान में ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के चहुँमुखी विकास में भी यह उपयोगी सिद्ध हुआ है।

आधुनिक मानव समाज जिस तनाव, अशांति, आतंकवाद, अभाव एवं अज्ञान का शिकार है, उसका समाधान केवल योग है, क्योंकि योग मनुष्य की आन्तरिक शक्ति को बढ़ाता है, और सकारात्मक चिन्तन के पथ को प्रशस्त करता है। जिसे करोड़ों वर्ष पूर्व ही भारत के प्रज्ञावान ऋषि-मुनियों ने आविष्कृत कर दिया था और इसे ही योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में ग्रन्थ-बद्ध किया है।

योग का शाब्दिक अर्थ है, मिलन अर्थात् आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। गीता में समत्व को योग कहा गया है अर्थात् व्यक्ति दुःख-सुख, हानि-लाभ, जय-पराजय आदि सभी में समभाव रखता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्तवृत्ति निरोधः - अर्थात् चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है।

योग का उद्देश्य

योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र या सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग तो जीवन जीने की कला है और एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक निरोगता, अस्वस्थता व कुविचारों, कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है और सुसंस्कारिता एवं सुविचारों द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

इस प्रकार योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिनका ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक स्तर साधारण मनुष्यों की तुलना में उच्च श्रेणी का होता है। बस आवश्यकता है योग के समग्र सत्य को समझने और उसके अनुसार जीने की। किसी भी सत्य को यदि हम समग्र रूप से नहीं समझते, तो हम सत्य के आंशिक या पूर्ण रूप से वंचित रह जाते हैं।

आज विश्व समुदाय के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं - हिंसा, अपराध, आतंकवाद, युद्ध, नशा, भ्रष्ट आचरण व भ्रष्टाचार, विचारधाराओं का चरम संघर्ष, अन्याय, अमानवीय असमानता, स्वार्थपरता, अहंकार एवं अकर्मण्यता और इन सब का एकमात्र समाधान है - योग विद्या, योग दर्शन का समग्र बोध व योग का नियमित अभ्यास एवं योग मय दिव्य श्रेष्ठ आचरण। क्योंकि योग मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को दिव्य बनाता है और हमें वर्तमान में मजहबी राष्ट्र नहीं अपितु आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना है।

वैश्वीकरण के इस दौर में महर्षि पतंजलि ने सामान्यजन के सर्वांगीण विकास हेतु अष्टांग योग की साधना पद्धति दी है, क्योंकि जो लोग सांसारिक है और अपना चारित्रिक, नैतिक, मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक विकास

भी चाहते हैं, उनके लिए अष्टांग योग रामबाण है। इसके नियमित अभ्यास से साधक सांसारिक जीवन जीते हुए भी कमल के पत्ते पर पानी की तरह उससे अछूता रह सकता है। अष्टांग योग के आठ मार्ग इस प्रकार हैं -

अष्टांग योग - यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि

यम योग के पाँच मार्ग इस प्रकार हैं -

यम - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य

नियम योग के पाँच मार्ग इस प्रकार हैं -

नियम - शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान

1. यम - यम का अर्थ है संयम या नियन्त्रण/अर्थात् मन, वचन और कर्म में संयम धारण करना ही यम कहलाता है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मन, वचन और कर्म से करना आवश्यक बताया है, क्योंकि ये महाव्रत हैं। इसलिए हर परिस्थिति में इनका पालन करना आवश्यक है।
2. नियम - नियम भी पाँच हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश प्राणिधान। महर्षि पतंजलि का स्पष्ट मत है कि जब तक व्यक्ति उक्त पाँचों व्रतों और पाँचों नियमों का पालन नहीं करेगा योग साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। उक्त दो पदों के पालन के बाद ही अन्य पदों का अनुसरण संभव है।
3. आसन - पद्मासन सिद्धासन, सुखासन आदि किसी भी आसन में स्थिरतापूर्वक बैठना, सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। योगी को जप, ध्यान, उपासना आदि करने के लिए इन आसनों में बैठने का लम्बा अभ्यास करना चाहिए।
4. प्राणायाम - आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास-प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है।
5. प्रत्याहार - इन्द्रियों के अपने-अपने विषय रूप-रसादि का सन्निकर्ष न होने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप ही इन्द्रियाँ हो जाती हैं। प्रत्याहार की क्रिया में इन्द्रियाँ अपने विषयों के पीछे न चलकर मन के पीछे चलती हैं।
6. धारणा - धारणा ध्यान की नींव है। नाभिचक्र हृदय, नासिका का अग्र भाग, भृकुटि-मध्य आदि शारीरिक प्रदेशों (अंग) में से किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। प्रत्याहार द्वारा जब इन्द्रियाँ एवं मन अन्तर्मुखी होने लगते हैं, तब उनको किसी स्थान विशेष पर स्थिर करना ही धारणा है।
7. ध्यान - ध्यान के समय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करना और ईश्वर में ही मग्न हो जाना ध्यान है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को भूल समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है।
8. समाधि - ध्यान में जब केवल ध्येयमात्र (ईश्वर) के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य जैसा होता है तब उसे समाधि कहते हैं।

अष्टांग योग में प्रथम पाँच अंग बहिरंग और शेष तीन अंग अंतरंग के नाम से जाने जाते हैं।

इस प्रकार योग दर्शन यम, नियम पर ही अधिक बल देता है। क्योंकि ये नैतिकता के आधार हैं और इनका पालन करने से मनुष्य कुविचारों एवं कुसंस्कारों से स्वयं की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। योग दर्शन इस बात पर भी बल देता है कि आचारयुक्त होने के लिए हमें अपने आन्तरिक एवं बाह्य दोनों रूपों को संयमित करना

चाहिए। इस प्रकार योग मनुष्य की सम्पूर्ण जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन करके वर्तमान परिवेश में भी सुधार कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

जीवन में योग का महत्व एवं लाभ

योग से शरीर, मन और आत्मा तीनों का उपचार किया जाता है। इन्हीं से सम्पूर्ण शरीर बनता है अर्थात् इन तीनों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। योग से हमें निम्नांकित लाभ होते हैं -

1. योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है।
2. योग शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है।
3. योग मन को शान्त रखता है।
4. योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
5. योग तनाव दूर करता है।
6. योग दर्द एवं मोटापे से बचाता है।
7. योग रक्त संचार को सही करता है।
8. योग आपको स्वस्थ एवं सुन्दर बनाता है।
9. योग आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखकर सकारात्मक बनाता है।

निष्कर्ष

अन्त में यह कहा जा सकता है कि योग एक चमत्कार है। अगर इसे नियमित रूप से किया जाए, तो यह आपके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। यह हमारे लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि योग हमारे ऋषि-मुनियों का दिया हुआ वरदान है। यदि हम इसे अपनी जीवन पद्धति में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अनमोल शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। आप चाहें किसी भी धर्म या जाति से हों, यदि आप स्वयं को बदलने के लिए बचनबद्ध हैं, तो योग आपको मदद करेगा।

वर्तमान परिवेश के प्रभाव के कारण आज मनुष्य को योग की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान जीवनशैली के कारण मन और शरीर अत्यधिक तनाव एवं भाबान्भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। यदि मनुष्य को शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित बनाना है, तो वह उसे अपने रहन-सहन, खान-पान एवं अपनी गलत आदतों को सुधार कर अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

लाल, प्रो. रमन बिहारी एवं पलौड, सुनीता, *शिक्षा दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ संस्करण-2010

अयंगर, बी.के.एस. (1999). *द गिफ्ट ऑफ योगा*, हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशनस इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली

उपाध्याय, हरिओम (2013). *योग विज्ञान*, रावत प्रकाशन. दरियागंज नई दिल्ली

पचौरी, डॉ. गिरीश, *शिक्षा के दार्शनिक आधार*

सिंघानिया, नितिन, भारतीय कला एवं संस्कृति

कीर्ति, डॉ. मृदुल, पतंजलि योग दर्शन

स्वामी, रामदेव, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य

कुमार विकास, योग दर्शन भारतीय संस्कृति

शर्मा, महेश, वेदों में योग दर्शन

उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ.प्र.)

प्राप्ति - 05 अगस्त 2019, संशोधन - 16 अगस्त 2019, स्वीकृति - 26 अगस्त 2019

प्रस्तावना

भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। आज के संसार में शिक्षा ही व्यक्ति की सम्पन्नता, समृद्धि के स्तर को निर्धारित करती है। आधुनिक काल में विद्यालय व्यवस्था का कार्य जटिल हो गया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में विशेष रूप से सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ बहुत जटिल हो गई हैं। अतः ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझे तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उनमें क्षमता हो।

विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। जिसको समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए। जिस समाज में संस्था स्वयं प्रधान रहता है और उस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित ढंग से विद्यालय तथा समाज में अधिकाधिक सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

शिक्षा मानव की प्रगति की प्रक्रिया है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक से ही किसी भी कुल, समाज, राष्ट्र और विश्व का विकास हो सकता है। शिक्षा हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। जिसे हम अलग नहीं कर सकते। बालक में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा मानव सुसंस्कृत होता है। शिक्षा का गुणात्मक स्तर शिक्षकों के स्तर पर आश्रित होता है।

शिक्षा प्रशासन में कोई एक इकाई नहीं है। जिसके द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा सके। यह विभिन्न इकाइयों का एक समूह है। जिनके सामूहिक उपयोग से ही प्रभावशाली प्रशासन किया जा सकता है। इन इकाइयों की सामूहिक रूप से नियोजित करने की सफलता प्रशासन की क्षमता एवं पटुता पर ही निर्भर करती है।

समस्या औचित्य

शासकीय विद्यालयों में सारे अधिकार अधिकारियों के पास होते हैं। लेकिन वे अपने अधिकारों का उपयोग अपनी सीमा से अधिक करते हैं। शासकीय विद्यालयों में आर्थिक स्वीकृति विलम्ब से जाने पर वहीं पर समस्याएँ बढ़ जाती हैं। अशासकीय विद्यालय में सारे अधिकार प्रबन्धन के हाथ में होते हैं। इससे भी समस्या बढ़ जाती है। अशासकीय विद्यालयों में प्राचार्य और सह-अध्यापकों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विद्यालय प्रशासन की शाल्य वातावरण बनाने की अहम होती है, क्योंकि प्रशासन ही अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से विद्यालय के स्तर को उठा सकते हैं। वह समस्त अध्यापक मण्डल के लिए प्रेरणास्रोत है। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं योजनाओं का निर्माण प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। अतः प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन विद्यालय वातावरण के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों से सम्बन्धित आने वाली प्रशासनिक समस्याओं का पता लगाना।
2. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धित आने वाली प्रशासनिक समस्याओं का पता लगाना।
3. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में स्थानीय जनसमुदाय से आने वाली प्रशासनिक समस्याओं का पता लगाना।
4. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवार की निर्धनता से सम्बन्धित आने वाली शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना।
5. शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के अपव्यय व अवरोधन से सम्बन्धित आने वाली शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्थानीय जनसमुदाय से आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के परिवार की निर्धनता से सम्बन्धित आने वाली शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों से सम्बन्धित आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अपव्यय व अवरोधन से सम्बन्धित आने वाली शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

5. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धित आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध में प्रयुक्त विधि

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि सर्वेक्षण विधि के द्वारा वर्तमान स्थितियों में प्रचलित व्यवहारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और अभिवृत्तियों का अध्ययन संभव है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार सूची का उपयोग किया है।

सांख्यिकीय

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने विद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समस्याओं को जानने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया है और आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों तथा प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्थानीय जन समुदाय से आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1. अशासकीय विद्यालयों में जनसमुदाय सम्बन्धी समस्याओं का नकारात्मक प्रतिशत - 100 प्रतिशत

2. अशासकीय विद्यालयों में जनसमुदाय सम्बन्धी समस्याओं का नकारात्मक प्रतिशत - 100 प्रतिशत

इन दोनों प्रदत्त प्रतिशत से यह सिद्ध होता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में जनसमुदाय द्वारा नगण्य समस्याएं खड़ी की जाती हैं। इसका प्रमुख कारण जनसमुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति बढ़ती अवचेतना है। इस कारण वह विद्यालयों के साथ सहयोग करते हैं।

2. शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाई गई समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1. अशासकीय विद्यालय अधिकांश शासकीय अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर रहते हैं। अतः शासकीय अनुदान की ओर से नई-नई समस्याएं खड़ी करते हैं। यही कारण है कि अशासकीय विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिशत 74 आया है।

2. शासकीय विद्यालय पूर्णतः शासनाधीन, शासकीय नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। इस कारण समस्याएं न खड़ी करने का प्रतिशत 100 आया है। अब देखना है कि इन दोनों में सार्थक अन्तर है या नहीं।

अतः प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर उपस्थित समस्याओं में सार्थक अन्तर अर्थात् प्रशासनिक अधिकारी शासकीय माध्यमिक में कम समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

इस समस्या के प्रति प्रश्न क्रमांक 2 के विपरीत दस शिक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया है। अर्थात् विद्यालय में सभी शिक्षकों को योग्यतानुसार वेतन नहीं मिलता है तथा 11 शिक्षकों ने शासकीय नियमों के अनुसार वेतन न मिलना स्वीकार किया है। इसी प्रकार 11 शिक्षकों ने अनुदान प्राप्त न होना दर्शाया है।

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रबन्ध समिति से आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1. अशासकीय शिक्षकों का प्रबन्ध समिति सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिशत - 96 प्रतिशत।

2. शासकीय शिक्षकों का प्रबन्ध समिति सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिशत - 94 प्रतिशत।

CR का प्रमाणिक मान 0.5 तथा 0.1 स्तर पर CR नगण्य है। अर्थात् प्रबन्ध समितियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सामने कोई समस्या खड़ी नहीं की जाती है। यदि कोई समस्या आती है, तो इनमें कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

इस समस्या सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों में दो शिक्षकों ने हाँ पर सही का चिह्न लगाया अर्थात् उन्हें प्रबन्ध समिति अपने विचारों के अनुकूल कार्य करने हेतु बाध्य करती है। यह विशिष्ट प्रकरण हो सकते हैं।

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में परिवार की निर्धनता से आने वाली शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1. अशासकीय विद्यालयों में परिवार की निर्धनता के प्रति नकारात्मक उत्तर - 100 प्रतिशत।

2. शासकीय विद्यालयों में परिवार की निर्धनता के प्रति नकारात्मक उत्तर - 100 प्रतिशत।

इन दोनों प्रदत्त प्रतिशतों से यह सिद्ध होता है कि शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में परिवार की निर्धनता के कारण विद्यार्थियों के सामने उसके प्रकार की शैक्षिक समस्याएं आती हैं।

5. उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अपव्यय एवं अवरोधन सम्बन्धी शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

1. अशासकीय विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन सम्बन्धी समस्या का प्रतिशत - 68 प्रतिशत।

2. शासकीय विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन सम्बन्धी समस्या का प्रतिशत - 98

CR का प्रमाणिक मान 0.05 तथा 0.01 स्तर के प्रमाणिक मान से अधिक है। अर्थात् अन्तर सार्थक है। अतः अशासकीय विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन की समस्या अधिक रहती है।

विश्लेषण की व्याख्या

सामान्य रूप से व्याख्या वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्वेषक अपने विश्लेषण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्राप्त आँकड़ों का सत्य एवं निष्पक्ष अर्थ प्रस्तुत करता है। वह आँकड़ों की वास्तविक महत्ता के विषय में समुचित प्रकाश फैलाता है। अन्वेषणकर्ता अनुसंधानों एवं शिक्षाशास्त्रियों के सिद्धान्तों को भी आधार मानकर व्याख्या करता है। तथ्यमुक्त व्याख्या के बिना कोई भी शोधकर्ता सफल नहीं हो सकता। अतः विश्लेषण एवं व्याख्या एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, जो एक से तथ्यों की ओर जाती हैं, तो दूसरी तथ्यों से घटना तथा बाहर की ओर जाती है।

परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्थानीय जनसमुदाय से आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

यह परिकल्पना सत्य प्रतीत हुई। स्थानीय जनसमुदाय शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त जागृत न होकर हर प्रकार के विद्यालय को पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है।

2. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाई गई समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

दोनों प्रकार के विद्यालयों के सामने प्रशासनिक अधिकारियों सम्बन्धी समस्याएं आती हैं। परन्तु उनके प्रकार में अन्तर होता है। शासकीय विद्यालय पूर्णतः शासन के व्यय से शासन के नियमों से चलते हैं, जबकि अशासकीय विद्यालय स्वयं के व्यय से अर्द्धशासकीय नियमों से चलते हैं।

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों से सम्बन्धित आने वाली प्रशासनिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

इस परिकल्पना के सत्यापन हेतु एकत्र प्रदत्तों का प्रतिशत लगभग बराबर (96 एवं 94 प्रतिशत) है, जिनसे CR का मान नगण्य निकलता है। अर्थात् प्रबन्ध समितियों द्वारा कोई समस्या खड़ी नहीं की जाती है। यदि कोई समस्या आती है, तो दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए समान होती है।

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में परिवार की निर्धनता से आने वाली शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

यह परिकल्पना भी सत्य साबित हुई क्योंकि दोनों प्रकार के विद्यालयों में विद्यार्थियों के परिवार की निर्धनता के कारण शैक्षिक समस्या उत्पन्न होती है।

5. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के अपव्यय एवं अवरोधन सम्बन्धी शैक्षिक समस्याओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

प्रदत्तों से स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के विद्यालयों में अपव्यय व अवरोधन की समस्या रहती है। परन्तु शासकीय विद्यालयों में यह समस्या अधिक रहती है।

सुझाव

1. प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के उपयोग से शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है और शिक्षा की उपलब्धि में गुणवत्ता लाई जा सकती है।
2. अधिक शुद्ध प्रदत्त एकत्र कर विश्लेषण करने पर अधिक शुद्ध परिमार्जित एवं उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।
3. अधिक विस्तार से प्रदत्त एकत्र कर शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।
4. शैक्षिक प्रशासन शिक्षण में दक्षता लाता है। आज का बालक कल का भविष्य है। जब तक शिक्षकों का प्रशासन प्रभावशाली नहीं होगा, तब तक शिक्षक बालक को पढ़ाने में रुचि नहीं लेगा, अतः शिक्षकों के प्रकाशन पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. आज प्रत्येक राज्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि शैक्षिक प्रशासन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए लेकिन आज अन्य प्रशासनिक गतिविधियों पर अधिक बल दिया जा रहा है। अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. शैक्षिक प्रशासन को चाहिए कि शिक्षकों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करें।
7. शैक्षिक प्रशासन में सैद्धान्तिक रूप से कई बातें बताई जाती हैं। लेकिन उनको प्रयोग में कम लाया जाता है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
8. बालकों के परिवार की निर्धनता को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
9. प्राथमिक स्तर से चली आ रही अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
10. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर करना चाहिए।
11. पुरुष तथा महिला अध्यापकों की अलग-अलग शैक्षिक समस्याओं पर अलग-अलग ध्यान देना चाहिए।
12. निजी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के मालिक के ऊपर प्रशासन का जिम्मा होता है। अतः उनको चाहिए कि वे शिक्षकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें।

उपसंहार

इस अध्याय में शोधार्थी की समस्या का निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि यह बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर शैक्षिक प्रशासन के प्रति शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शोधकार्य किए जाने चाहिए। बी.एड. छात्राध्यापकों का चयन करके इस विषय पर शोधकार्य किया जा सकता है। अनुभव एवं अनुभवहीन शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति जानने हेतु तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। निजी विद्यालय जो ट्रस्ट अथवा मण्डल के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनमें तथा सामान्य निजी एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति जानने हेतु तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कपिल, एच.के. (2007). *अनुसन्धान विधियाँ*, (व्यवहारपरक विज्ञानों में) (तेहरवां संस्करण), एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- कॉल, लोकेश (2000). *शिक्षा अनुसंधान की विधियाँ*, यू.बी.एस. पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- गुप्ता, मन्जू (2008). *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास*, के.एस.के पब्लिशर्स, दिल्ली।
- गुप्ता, एस.पी., गुप्ता, अल्का (2010). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- जोहरी, पी.के. (2008) *फाऊन्डेशन ऑफ एजुकेशन*, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- पाण्डेय, के.पी. (2008) *शैक्षिक अनुसंधान*, (कामता प्रसाद पाण्डेय) (तृतीय संस्करण) विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी।

- यादव, वीरेन्द्र सिंह, (2014). *भारत में उच्च शिक्षा चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ*, अल्फा पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
- शर्मा, आर.ए. (2013). *शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
- गुप्ता, एस.पी. (2008). *सांख्यिकीय विधियाँ*, शारदा पुस्तक भवन, पब्लिशर्स, एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मई 1986।
- प्राइमरी शिक्षक*, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, जनवरी, 2008।
- सिक्सथ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन*, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1993-2000।
- एन.सी.ई.आर.टी., (2009). *पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार*, भारतीय आधुनिक शिक्षा, अक्टूबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 114-117



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा-प्रबन्धन का महत्व एवं प्रविधियाँ

डॉ. संगीता सिरोही

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग (बी.एड.), सी.एस.एस.एस. कॉलेज, माछरा, मेरठ (उ.प्र.)

प्राप्ति - 05 अगस्त 2019, संशोधन - 18 अगस्त 2019, स्वीकृति - 27 अगस्त 2019

वर्तमान युग वैश्वीकरण की अवधारणा का समर्थन करता है। आज हमारी प्रतिस्पर्धा विश्व के विकसित देशों के साथ है। भारत जो कभी विश्व गुरु रहा है, जहाँ संस्कृति और सभ्यता का विकास उस समय हो चुका था जब बाकी देश बिल्कुल अविकसित थे, जबकि आज विकसित देशों का विज्ञान तकनीकी एवं अन्य क्षेत्र में हो चुके विकास के साथ कदम मिलाने को हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में से एक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। शिक्षा की पुरानी पद्धतियाँ परम्परागत हो चुकी हैं। आज कक्षा में न केवल विषयवस्तु का ज्ञान देना आवश्यक है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु कक्षा प्रबन्धन भी बहुत आवश्यक हो गया है और इसके साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण के स्थानों के सामने कुशल एवं प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना आज एक चुनौती से कम नहीं है। इसी कारण कक्षा में शिक्षकों को व्यवस्था में बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में भावी शिक्षकों को तैयार करने में विशेष सावधानी एवं परिश्रम की आवश्यकता है।

कक्षा प्रबन्धन एक कला भी है और विज्ञान भी। शिक्षक अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए कक्षा का प्रबन्धन करता है। इस प्रतीक्षा का निखार शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में करने कार्य व अपनी पूरी क्षमता के साथ किया जाता है। शिक्षक के शिक्षण व्यवहार को बनाने या परिष्करण हेतु उक्त व्यवहार की जानकारी, समझ एवं अभ्यास आवश्यक है। एक संगीतकार या गायक भी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए गुरु के सानिध्य में रहकर नवीन ज्ञान का अर्जन एवं अभ्यास करता है। उसी प्रकार शिक्षक चाहे जन्मजात हो या निर्मित उसे शिक्षक शिक्षा संस्थान में जाकर अपनी प्रतिभा को निखारना ही होता है। शिक्षण ग्रहण करने से पूर्व वह विषय में पारंगत तो हो सकता है, किन्तु उस विषयवस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत करना है ताकि छात्रों का ध्यान व रुचि जागृत हो, छात्र अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित हों, उसे अपने ज्ञान एवं कौशलों का सही प्रकार प्रबन्धन करना पड़ता है। वास्तव में शिक्षक केवल विषयवस्तु का ज्ञाता ही नहीं, बल्कि कक्षा-कक्ष परिस्थितियों का प्रबन्धक भी होता है। कक्षा-कक्ष प्रबन्धन (Classroom Management) में शिक्षक के व्यवहार एवं क्रियाओं से सम्बन्धित छात्रों के सहयोग एवं

संलग्नता की ओर इशारा करता है। भावी शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें बालक सीखता है, बालक की क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या समस्याएँ हैं और उसकी उस आयु विशेष में क्या विशेषताएँ हैं? शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके, इसके लिए भावी शिक्षकों को छात्रों से सम्बन्धित कुछ सामान्य किन्तु महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आवश्यक है -

1. छात्र सम्पूर्ण ज्ञान केवल शिक्षकों से ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि शिक्षक तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत से स्रोतों में से मात्र एक स्रोत है।
2. सीखने के स्रोत बच्चों के साथी, परिवार, समाज, एवं जनसंचार के माध्यम भी होते हैं। हाँ, शिक्षक इन माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सही आकार देकर छात्रों के अधिगम एवं अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है।
3. छात्रों को सीखने में स्वतः अधिगम (Self-Learning) का भी योगदान होता है। जैसे - विभिन्न पुस्तकें, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, एटलस, डिक्शनरी आदि के माध्यम से छात्र बहुत कुछ सीख सकते हैं।
4. शिक्षक छात्रों को प्रारम्भिक कक्षाओं में इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

भावी शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे कुछ प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करे ताकि उनका शिक्षण प्रभावशाली बन सके और वे कक्षा प्रबन्धन में आने वाली कठिनाइयों से बच सकें।

1. क्या छात्र सीखने को तैयार है?
2. क्या कक्षा में प्रदान किए जाने वाले अधिगम के अनुभव छात्रों के लिए प्रभावशाली हैं?
3. क्या शिक्षण सामग्री छात्रों के स्तर के अनुरूप अच्छी तरह संरचित हैं?
4. क्या शिक्षक स्वयं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति जागरूक हैं?
5. क्या शिक्षक छात्रों को सीखने का यथासंभव उचित वातावरण दे पा रहा है?
6. क्या कक्षा में छात्रों का व्यवहार सहयोगपूर्ण है?
7. क्या कक्षा में छात्रों की संलग्नता पर्याप्त है?
8. क्या शिक्षक छात्र की पृष्ठभूमि से परिचित है?
9. क्या शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को जानता है?

एक अच्छे शिक्षक के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजना बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में इन सभी प्रश्नों की खोज कक्षा प्रबन्धन पर जाकर समाप्त होती है। इसके लिए भावी शिक्षकों को कक्षा प्रबन्धन की व्यूह रचनाएं जानना तो आवश्यक है ही, उससे पूर्व शिक्षण के समय आने वाली समस्याओं को भी जानना चाहिए ताकि उसे भविष्य में पढ़ते समय कुशल कक्षा प्रबन्धन में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। शिक्षण से सम्बन्धित कुछ समस्याएं निम्नवत हैं।

1. विद्यालय का वातावरण।
2. छात्र शिक्षक के बीच उचित संबंधों का अभाव।
3. शिक्षकों के बीच आपसी सम्बन्ध।
4. छात्रों में सीखने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान का अभाव।

5. छात्रों का शारीरिक या मानसिक समस्या के कारण सीखने के लिए तैयार न होना।
6. शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप।
7. शिक्षा का माध्यम।
8. पाठ्यक्रम का छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण न कर पाना।
9. मूल्यांकन की अनुपयुक्त प्रविधियाँ।
10. छात्रों में उचित अभिप्रेरणा का अभाव।
11. छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।
12. शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।

एक भावी अध्यापक उपरोक्त समस्याओं को जानकर कक्षा में आने वाली अवांछित परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। इन समस्याओं को समझने के साथ एक अच्छे प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए उसे कक्षा प्रबन्धन की व्यूह रचनाओं को जानना, समझना और उन्हें अपने व्यवहार में सम्मिलित करना आवश्यक है।

कक्षा प्रबन्धन की व्यूह रचनाएँ

कक्षा-कक्ष में प्रबन्धन की विभिन्न व्यूह रचना हमारे सामने है, किन्तु इन्हें जानने के साथ-साथ यह जानना भी आवश्यक है कि किस व्यूह रचना का किस विषय और किस परिस्थिति में प्रयोग करना चाहिए। आगे हम कुछ विशेष व्यूह रचनाओं का वर्णन कर रहे हैं जो एक अच्छे कक्षा-कक्ष प्रबन्धन के लिए उपयोगी है।

1. छात्र एवं उसके पृष्ठभूमि की जानकारी (Knowledge of student and their background) - एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए छात्रों का नाम उनके माता-पिता, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में उनकी निपुणता आदि के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है।
2. पाठ्यवस्तु का स्वामित्व (Mastery over content area) - एक अच्छे शिक्षक के लिए अपनी विषयवस्तु पर स्वामित्व होना आवश्यक है। छात्र शिक्षक के ज्ञान का स्तर पहचानने में पूर्ण निपुण होता है और वह विषयवस्तु के ज्ञाता शिक्षक की कक्षा में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करते।
3. छात्र सहयोग पर आधारित व्यूह रचनाएँ (Strategies based on student cooperation) - छात्र सहयोग पर आधारित व्यूह रचनाएँ छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छी व्यूह रचना वह होगी जिसमें शिक्षक छात्रों को सहायक के रूप में निर्देशित करे।
4. पुरस्कार एवं दण्ड का उचित प्रयोग (Appropriate use of reward and punishment) - छात्रों के अच्छे व्यवहार को पुनर्बलन देने के लिए पुरस्कार आवश्यक है। खराब व्यवहार को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार दण्ड का नकारात्मक पुनर्बलन भी आवश्यक है। किस परिस्थिति में और किस सीमा तक पुरस्कार देना है अथवा दण्ड देना है, यह निर्णय शिक्षक के अपने विवेक एवं अभ्यास पर निर्भर करता है।
5. हास्य-विनोद का प्रयोग (Use of humour) - कक्षा में एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए हास्य-विनोद सहायक होता है। यह शिक्षक छात्रों के बीच सकारात्मक संबंधों को विकसित करता है। यह छात्रों को तनाव रहित वातावरण में सृजनात्मक अधिगम में सहायक होता है, लेकिन यह सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी प्रभावशाली शिक्षक कक्षा में हास्य-विनोद का समुचित प्रयोग करते हैं।

6. प्रश्नों का प्रयोग (Use of Question) - कक्षा को सतर्क (Attentive) रखने के लिए प्रश्न बहुत आवश्यक है। एक प्रभावशाली शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है तथा छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है।
7. प्रजातांत्रिक उपागम का प्रयोग (Use of democratic approach) - एक प्रभावशाली शिक्षक कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण रखता है। वह छात्रों के साथ स्वस्थ विचार-विमर्श को महत्व देता है एवं छात्रों के विचारों को स्वीकार भी करता है।
8. जिज्ञासा (Curiosity) - कक्षा में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने के लिए जिज्ञासा बनाए रखना आवश्यक है। छात्रों को आगे जानने के लिए उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। जिज्ञासा छात्र में अधिगम के लिए आवश्यक है।
9. लक्ष्य निर्धारित शिक्षण (Goal oriented teaching) - छात्रों को दिशा का ज्ञान कक्षा में सीखने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। छात्र अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियाओं का संचालन करते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए। एवं छात्रों के जीवन, उनकी आवश्यकता एवं मनोवृत्ति से संबंधित होने चाहिए।
एक भावी शिक्षक के लिए अपने छात्रों को एवं उनसे संबंधित समस्याओं को समझने के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित व्यूह रचनाओं को जानना, समझना एवं उन्हें व्यवहार में लाना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में एक प्रभावशाली शिक्षक बन सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Regina M. Oliver, Deniel J. Reschly, 2007 - Effective Classroom Management.

James F. Nolian, James Levin, 1991 - Principles of Classroom Management.

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और गोरखपुर

डॉ. राजेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, बुद्ध पी.जी. कॉलेज, कुशीनगर (उ.प्र.)

प्राप्ति - 06 अगस्त 2019, संशोधन - 17 अगस्त 2019, स्वीकृति - 26 अगस्त 2019

1801 ई. की संधि के अनुसार गोरखपुर अवध से निकलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार में चला गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी में विलय के पश्चात, गोरखपुर पर अंग्रेजों का शासन स्थाई रूप से स्थापित हो गया। इस राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप गोरखपुर भी अंग्रेजों के शोषण का शिकार रहा। जब-जब भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष तथा आन्दोलन हुआ, उसका सीधा प्रभाव गोरखपुर पर भी पड़ा।

1856 ई. में जब लॉर्ड डलहौजी ने अन्य राज्यों के साथ अवध के नवाबी राज्य का भी अपहरण किया, तो इससे उत्तर भारत में व्यापक राजनैतिक असंतोष व्याप्त हो गया था। अब अंग्रेजों के शोषण को भारतीय सहन नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर बड़े अमानवीय ढंग से प्रहार किया। किन्तु भारतीयों ने उनका मुहतोड़ जवाब दिया और 1857 ई. तक आते-आते उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, स्वतंत्रता संघर्ष का आह्वान कर दिया।

1857 ई. के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरम्भ के पूर्व मेरठ की कई छावनियों में असंतोष की चिनगारियाँ सुलगती रही थी। बरहनपुर की 19वीं नेटिव इन्फैंट्री ने नए किस्म के इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया।¹ नतीजा यह हुआ कि इस रेजिमेंट को मार्च में भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के जवान मंगल पाण्डे ने तो इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर अपने सार्जेंट मेयर पर गोली चला दी, इसका मुख्य कारण गाय की चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से इंकार करना था। बाद में मंगल पाण्डे को फाँसी दे दी गई। इस घटना से उत्तेजित होकर सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया।

12 मई, 1857 ई. को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया।² विद्रोह सीधा ही उत्तरी तथा मध्य भारत में फैल गया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से रूहेलखण्ड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुँवर सिंह, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह, गोण्डा के

राजा देवबख्श सिंह तथा तुलसीपुर की रानी इत्यादि विद्रोह के प्रमुख नेता थे।³ अंग्रेजों के सौभाग्य से कई शासक राजभक्त बने रहे और विद्रोह के दमन में बहुमूल्य योगदान दिया। फलस्वरूप मई 1958 ई. तक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया।⁴

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भी इस समय स्थिति काफी गम्भीर थी। गोरखपुर क्षेत्र के जमींदारों तथा राजाओं ने भी विरोधी संकेत देने शुरू किए। घाघरा के किनारे बसे गाँवों के निवासियों ने नदी में नाव लूट ली। इस बीच गोरखपुर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सत्तासी और नहरपुर के राजाओं ने मिलजुलकर संघर्ष की योजना बनाई। बस्ती के अमोढ़ा के लोग भी उनके साथ थे। गोरखपुर पर नाजिम श्री मुहम्मद ने अधिकार करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सत्तासी और नहरपुर के राजाओं ने खुलकर स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया। गोरखपुर से नाजिम के बस्ती चले जाने के बाद अंग्रेजों ने 1858 ई. के जनवरी महीने में गोरखपुर पर कब्जा कर लिया। अमोढ़ा, बांसी, डुमरी, नरहरपुर, पैना जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के गढ़ धीरे-धीरे टूट गए और काफी बलिदान देने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी गोरखपुर से बाहर जाने के लिए बाध्य हुए। इसी बीच बेगम हजरत महल, नाना साहब तथा अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र में आए और उन्होंने अपनी शक्ति से इस संग्राम को आगे बढ़ाया।⁵

गोरखपुर में जिन लोगों ने 1857 ई. के विद्रोह में बलिदान दिए उनमें नरहरपुर के राजा श्री हरि प्रसाद सिंह, गढ़रामपुर से परमार राजपूत तथा श्री बन्धू सिंह का नाम उल्लेखनीय है। बन्धू सिंह के बलिदान आज भी गोरखपुर की जनता में गौरव का विषय है।⁶

1857 ई. के पश्चात स्वतंत्रता संघर्ष के प्रयासों में कुछ शिथिलता आ गई। परन्तु 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसमें नई जागृति पैदा हो गई। इस संस्था का जो उद्देश्य व स्वरूप बाद के वर्षों में सामने आया वह प्रारम्भ में नहीं था। 1885 ई. से 1905 ई. के युग में दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दीनशा वाचा, वामेश चन्द्र बनर्जी तथा सुरेन्द्र नाथ बनर्जी जैसे उदारवादी नेता कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। यह अंग्रेजी सरकार को अपना शत्रु नहीं मानते थे।⁷

ऐसी परिस्थिति में 1885 ई. से 1905 ई. के काल में राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार के लिए केवल कांग्रेस ही उत्तरदायी नहीं थी बल्कि इस समय विभिन्न समाचार पत्र भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे थे। बंगाल में *अमृत बाजार पत्रिका*, *दि इण्डियन मिरर* तथा *बंगाली*, मद्रास में *संजीवनी*, *हिन्दू*, *स्वदेश*, *मित्र* इत्यादि, बम्बई में *मराठा*, *केसरी*, *सुधारक* आदि, उत्तर प्रदेश में *एडवोकेट*, *हिन्दुस्तानी* तथा *आजाद* और पंजाब में *अखबार-ए-आम*, *कोहिनूर* तथा *ट्रिब्यून* आदि इस समय प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र थे। इनके फलस्वरूप देश की राजनीति में उग्रवाद का उदय हुआ। यह वास्तव में असंतुष्ट गरम दल था। इसके प्रमुख नेता महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चन्द्र पाल तथा पंजाब के लाला लाजपत राय थे।⁸ इसका प्रभाव गोरखपुर पर भी पड़ा।

19वीं सदी में ही मुस्लिम सम्प्रदायवाद का उदय देखने में आया। जो सर सैय्यद खां के नाम से जुड़ा है। इन्हें माध्यम बनाकर अंग्रेजी सरकार ने अपनी “फूट डालो और राज करो” की नीति को बढ़ावा दिया। इस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रभाव गोरखपुर के मुसलमानों पर भी पड़ा।

अंग्रेजों से असंतुष्ट मुसलमान वर्ग ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। अब तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधीजी का पर्दापण हो चुका था, गाँधीजी मुस्लिमों के असंतोष को हिन्दू-मुस्लिम एकता के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। अतः खिलाफत को मुद्दा बनाकर असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। अगस्त, 1920 को अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन की प्रारम्भ की बात की गई। इस आन्दोलन से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बन गई।

गोरखपुर भी इन कार्यवाहियों से अछूता न रहा। स्थान-स्थान पर सभाओं का आयोजन किया गया। 1 अगस्त को बरहज बाजार में, बाबा राघव दास की अध्यक्षता में खिलाफत की एक बड़ी सभा हुई। जिसमें हिन्दू और मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे जिले में असहयोग आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता आगे आए। बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ी, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने इस्तीफे दिए और सरकारी नौकरों ने नौकरियों का त्याग किया। 3 फरवरी, 1920 ई. को गाँधीजी जब गोरखपुर पहुँचे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गाँधीजी ने जनपद के लोगों से खिलाफत और असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने की अपील की। 17 सितम्बर, 1921 ई. को पं. जवाहर लाल नेहरू देवरिया आए। यहाँ उन पर दफा 144 लगा दी गई। उस समय गोरखपुर में “स्वदेश” एकमात्र प्रेस था, जो पूरी शक्ति से असहयोग आन्दोलन का समर्थन कर रहा था। इसके सम्पादक श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। उस समय गोरखपुर में जिन लोगों ने असहयोग आन्दोलन की सफलता की आवाज बुलंद की, उनमें बाबा राघव दास, उर्दू के प्रसिद्ध शायर श्री रघुपति सहाय “फिराक” बाबू त्रिवेणी सहाय, विन्ध्यवासिनी प्रसाद श्रीवास्तव, बाबू परसिंह दास, मौलवी सुभान अल्लाह, प्रभात कुसुम बनर्जी, डॉ. विश्वनाथ मुखर्जी, भगवती दूबे तथा दशरथ प्रसाद द्विवेदी प्रमुख थे। अप्रैल, 1921 ई. में जलियाँवाला बाग की स्मृति में गोरखपुर की सड़कों पर विशाल जुलूस निकाला गया। उसमें लगभग 15,000 व्यक्ति नंगे सिर व नंगे पाँव उपस्थित थे।

इसी समय गोरखपुर में ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन ने जोर पकड़ा। 4 फरवरी, 1922 को करीब 2,000 स्वयंसेवकों व किसानों ने चौरी-चौरा में जुलूस निकाला। इसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर गोली चलाई।

शहीद हुए कार्यकर्ताओं की स्मृति में एकत्र हुए सत्याग्रहियों ने आवेश में आकर चौरी-चौरा थाने में कुछ सिपाहियों और दरोगा समेत पूरे थाने में आग लगा दी। लगभग 23 पुलिसवाले मारे गए। चौरी-चौरा तथा गोरखपुर के बीच रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। इस घटना का समाचार श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार द्वारा गाँधीजी को दिया। इसी घटना के कारण तुरन्त असहयोग आन्दोलन को गाँधीजी द्वारा स्थगित कर दिया गया। इस घटना के कारण चौरी-चौरा के निवासियों को तरह-तरह के कष्ट और सजाएँ झेलनी पड़ी। लगभग 19 लोगों को फाँसी दे दी गई।

इसी बीच क्रांतिकारियों कई गुट पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा उत्तर भारत के कई प्रदेशों में सक्रिय हो गए थे। इनमें से एक प्रमुख संगठन “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन” था। इसके प्रमुख सदस्य शचीन्द्र नाथ सान्याल, पं. रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्लाहखाँ आदि थे। “काकोरी कांड” में बन्दी बनाए गए पं. रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखे जाने के कारण गोरखपुर भी इन क्रांतिकारी आन्दोलनों का एक केन्द्र बन गया था। पं. रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी ऐतिहासिक आत्मकथा भी गोरखपुर जेल में ही लिखी। गोरखपुर जेल में ही पं. रामप्रसाद बिस्मिल को फाँसी दी गई।

साइमन कमीशन के विरोध में जब देश में जगह-जगह “साइमन गो बैक” के नारे लग रहे थे, तब इसी दौरान लाला लाजपत राय अंग्रेजों के लाठी चार्ज से बुरी तरह घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी समय गोरखपुर में साइमन कमीशन के विरोध में की गई हड़ताल काफी सफल रही।

31 दिसम्बर, 1929 को आधी रात को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तब 26 जनवरी, 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गोरखपुर, देवरिया, बरहज, पड़रौना तथा रूद्रपुर आदि स्थानों पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जुलूस निकाले गए तथा स्थान-स्थान पर सभाएं की गई।

गाँधीजी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गोरखपुर के बरहज बाजार में 5 अप्रैल, 1930 बहुत सारे लोगों ने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई और सत्याग्रह समिति का गठन किया गया। देवरिया में बाबा राघव दास के नेतृत्व में लोगों ने नमक कानून तोड़ा। 13 अप्रैल को स्थान-स्थान पर सभाएं की गईं।

सरकार के दमन के कारण देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया गया। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए सभी प्रमुख नगरों से हाथ से लिखे अखबार प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। इसी क्रम में गोरखपुर से काशी विद्यापीठ के अध्यापक श्री राजाराम शास्त्री के निर्देशन में “बवंडर” नामक एक साइक्लोस्टाइल पत्रिका का प्रकाशन सन् 1932-33 में किया गया।

1930 ई. से 1934-35 ई. तक गोरखपुर में हर क्षेत्र से अच्छे कार्यकर्ता उभरकर सामने आ गए। 1940 ई. के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गोरखपुर का विशेष योगदान रहा।

गोरखपुर शुरू से ही राजनीति के क्षेत्र में बहुत जागरूक था। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने समय-समय पर गोरखपुर में आकर अपने विचारों से यहाँ के जनमानस को सही दिशा देने का कार्य करते रहे हैं। जिसका परिणाम यह हुआ कि गोरखपुरवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो. चन्द, विपिन, *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*, पृ. 2
2. थाम्बसन एडवर्ड, तथा गैजेट जान, *राइट एण्ड फुलफिलमेण्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया*, पृ. 12
3. एम्ब्री, एन्सली.टी., *इण्डिया इन 1857*, पृ. 10
4. मैलसेन, कर्नल जी.वी., *दि इण्डियन म्यूटिनी ऑफ 1857*, पृ. 62
5. *स्वतंत्रता संग्राम सेनानी* (संक्षिप्त परिचय), सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 3
6. *स्वतंत्रता संग्राम सेनानी* (संक्षिप्त परिचय), सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 4
7. मजुमदार, आर.सी., *एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इण्डिया*, पृ. 32
8. शर्मा, जगदीश शरन, *इण्डिया स्टगल फॉर फ्रीडम*, पृ. 40



ISSN: 2456-4583
Indexed by: I2OR
I2OR Impact Factor: 5.491

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 122-127



Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

गांधीजी के शिक्षा दर्शन के नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार

डॉ. विभ्राट चन्द कौशिक

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग (बी.एड.), बुद्ध पी.जी. कॉलेज, कुशीनगर (उ.प्र.)

प्राप्ति - 08 अगस्त 2019, संशोधन - 17 अगस्त 2019, स्वीकृति - 26 अगस्त 2019

सारांश

प्रस्तुत आलेख गांधीजी के दर्शन के नैतिक एवं आध्यात्मिक विचारों पर संकेंद्रित है। स्वयं गांधीजी को ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास था। उनका मत था कि ईश्वर पर विश्वास किए बिना, कोई व्यक्ति न तो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है और न दूसरों के ऊपर। उनका कहना था कि यद्यपि ईश्वर निराकार है, तथापि उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना संभव है। इस विषय में अपना स्वयं का अनुभव बताते हुए, गांधीजी ने लिखा है - उत्तर देने में मैंने ईश्वर को कभी भी पीछे नहीं पाया। जब-जब क्षितिज मुझे अंधकारमय दिखाई दिया, तब-तब ईश्वर मुझे निकटतम दिखाई दिया। मेरी सभी आध्यात्मिक परीक्षाओं में ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। गांधीजी, सत्य एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं मानते थे।

प्रस्तावना

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोरे ने गाँधीजी के विषय में लिखा है - “मुझे गांधीजी के विषय में महत्वपूर्ण बात यह जान पड़ती है - यद्यपि वे राजनीतिज्ञ, संगठनकर्ता, लोक-नेता एवं नैतिक सुधारक के रूप में श्रेष्ठ हैं, तथापि वे मनुष्य के रूप में इन सबसे श्रेष्ठतर हैं, क्योंकि इनका कोई भी पक्ष एवं कार्यकलाप उनकी मानवता को अमर्यादित नहीं कर पाता है। इस मनुष्य के गुण महान हैं, पर यह मनुष्य अपने गुणों से अधिक जान पड़ता है।

धर्म

गांधीजी की धर्म में अडिग आस्था थी। वे इसको मानव-जीवन एवं मानव-समाज का आधारभूत तत्त्व मानते थे, जिसके अभाव में इन दोनों का शून्य एवं निष्प्राण हो जाना अनिवार्य है। इसीलिए धर्म उनके प्रत्येक कार्य एवं शब्द का प्रधान प्रेरक था। इस सम्बन्ध में स्वयं गांधीजी ने कहा था - “जब से मैंने यह जाना है कि सार्वजनिक

जीवन क्या है? तब से मेरे प्रत्येक कार्य एवं शब्द के मूल में पूर्ण धार्मिक भावना रही है।” धर्म से गाँधीजी का अभिप्राय संकुचित, औपचारिक या सांप्रदायिक धर्म से नहीं है। धर्म से उनका जो अभिप्राय है, उसका स्पष्टीकरण स्वयं गाँधीजी के शब्दों में इस प्रकार किया जा सकता है – “धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं है, वरन उस धर्म से है, जो सब धर्मों की बुनियाद है।”

नैतिकता

गाँधीजी ने धर्म एवं नैतिकता में कोई अंतर नहीं माना है। उनका विश्वास है कि धर्म ही व्यक्ति की समस्त क्रियाओं को नैतिक आधार प्रदान करता है, जिसके अभाव में उसका जीवन एक निरर्थक चीत्कार बनकर रह जाएगा। अपने इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने चिंतन एवं आचरण को धर्म एवं नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित करते हैं। ये उनके जीवन का प्राण है।”

ईश्वर

गाँधीजी की ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए गाँधीजी ने एक स्थान पर लिखा है – “मेरी दृष्टि ईश्वर नीति एवं सदाचार है, ईश्वर निर्भीक है, ईश्वर प्रकाश एवं जीवन का श्रोत है और वह इन सबसे परे एवं ऊपर भी है।”

आत्मा

गाँधीजी का आत्मा में असीम विश्वास था। उनके विचार से आत्मा ईश्वरीय तत्व है, जिसका अस्तित्व जड़ शरीर पर निर्भर नहीं है। उनका कहना था कि आत्मा की शक्ति सबसे महान शक्ति है, जिसकी तुलना में समस्त भौतिक शक्तियाँ तुच्छ हैं। उनके सत्याग्रह का सम्पूर्ण सिद्धांत इस धारणा पर आश्रित है कि आत्मा अमर एवं अजेय है और सृष्टि के अधमतम प्राणी में भी ईश्वर का यह अंश कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य होता है, जो दयापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा प्रकट हो सकता है।

कर्म एवं पुनर्जन्म

गाँधीजी की हिन्दू धर्मशास्त्रों में वर्णित कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था थी और वे इनको नैतिकता एवं सद-आचरण के नियम मानते थे। धर्म के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति जो कर्म करता है, उनके फलों का संक्रमण पुनर्जन्म में भी होता है। गाँधीजी का कहना है कि यद्धपि कर्मानुसार फल प्राप्ति का नियम अटल है। तथापि इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति का जीवन एवं कार्य पूर्व-निर्धारित होते हैं। उनके विचार से कर्म का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे अवसर देता है। अतः गाँधीजी का मत है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है।

पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति का विकास मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, वरन एक के बाद दूसरा जन्म उसके विकास के लिए और उसे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए होता है। गाँधीजी का विश्वास था कि पुनर्जन्म, व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करने का उसे पूरा-पूरा प्रयास

करना चाहिए। अतः पुनर्जन्म के सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट करते हुए, गांधीजी ने लिखा - “मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास करता हूँ, जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में।”

आत्मानुभूति

गांधीजी के विचार से मानव-जीवन का चरम लक्ष्य आत्मानुभूति है, जिसका अर्थ है - ईश्वर से साक्षात्कार अथवा निरपेक्ष सत्य का ज्ञान। गांधीजी की धारणा है कि व्यक्ति इस लक्ष्य को समाज से पृथक् एकांत में रहकर प्राप्त नहीं कर सकता है। वह इसको समाज में रहकर इस शर्त पर प्राप्त कर सकता है कि उसमें आत्म-त्याग की भावना हो, क्योंकि यही भावना उसे समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान करने की प्रेरणा दे सकती है। इस प्रकार, गांधीजी ने समाज अथवा सब व्यक्तियों के अधिकतम हित को व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य, ध्येय या साध्य माना है।

साध्य एवं साधन की पवित्रता

गांधीजी ने साध्य एवं साधन दोनों की श्रेष्ठता अथवा पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया है। फासीवादी एवं साम्यवादी आदि व्यवहारिक राजनीतिज्ञों का विचार है - “साध्य, साधन के औचित्य को दर्शाता है।” उनके विचार का अभिप्राय यह है कि यदि साध्य उचित है, तो उसे प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला किसी भी प्रकार का साधन उचित है।

1. **सत्य** - गांधीजी ने सत्य एवं ईश्वर के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। उनके लिए सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। अतः उन्होंने अपने नैतिक व्रतों में सत्य को शीर्षस्थ स्थान दिया है। उन्होंने सत्य के निम्नलिखित दो भेद किए हैं - 1. व्रत या साधन रूप सत्य, आंशिक या सापेक्ष सत्य, और 2. साध्य रूप सत्य या निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य, देश एवं काल से परे होता है और इसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है।

गांधीजी ने निरपेक्ष सत्य को ईश्वर के साथ समीकृत किया है। उन्होंने इस सत्य की प्राप्ति को मानव-जीवन का चरम लक्ष्य बताते हुए कहा है कि इससे साक्षात्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। यह साक्षात्कार-सत्य का शोध एवं ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है। किन्तु, सत्य क्या है? यह प्रश्न बहुत कठिन है। इस प्रसंग में गांधीजी ने लिखा है - “यह प्रश्न बहुत कठिन है, पर मैंने स्वयं अपने लिए इसका समाधान कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है, वही सत्य है।”

2. **अहिंसा** - गांधीजी का संपूर्ण दर्शन, सत्य एवं अहिंसा के पवित्र स्तंभों पर टिका हुआ है। उन्होंने अहिंसा को सत्य की भांति शाश्वत, सर्वशक्तिमान और ईश्वर का पर्यायवाची माना है। अतः उन्होंने सत्य एवं अहिंसा को एक अविभाज्य जोड़ा, एक सिक्के के दो पहलू और अन्योन्याश्रित बताया है। उनका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में सत्य का अस्तित्व होता है और वह स्वयं इसकी खोज कर सकता है। किन्तु, इस खोज में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जब अहिंसा को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार, गांधीजी ने सत्य एवं अहिंसा में साध्य एवं साधन का सम्बन्ध माना है। यह उनका स्वयं का अनुभव है। इसका उल्लेख करते हुए, गांधीजी ने लिखा है - अहिंसा रूपी रत्न की खोज, सत्य के अन्वेषण एवं चिंतन की अवधि में हुई थी। “गांधीजी ने अहिंसा की व्याख्या करते समय इसके निम्नांकित तीन रूप बताए हैं - 1. वीरों की अहिंसा, 2. दुर्बलों की अहिंसा, और 3. कायरों की अहिंसा।

3. **ब्रह्मचर्य** - गांधी ने सत्याग्रही के नैतिक अनुशासन में ब्रह्मचर्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साधारणतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले से अपनी कामवासना पर नियंत्रण रखने और विवाह बंधन में बंधने की आशा की जाती है। गांधीजी ने ब्रह्मचर्य की इस धारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का विवेचन नैतिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से किया है, तथापि उन्होंने मानव दुर्बलताओं की उपेक्षा नहीं की है। उनका मत है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तथा उसके द्वारा नियमों के अनुसार आचरण किया जाना संभव नहीं है, तथापि उसके द्वारा ब्रह्मचर्य के सामान्य नियमों के अनुसार आचरण किया जाना असंभव नहीं है। अतः उन्होंने इन नियमों का पालन करने वाले के लिए विवाह का निषेध नहीं किया है। इस संबंध में उनका तर्क यह है कि यदि सब मनुष्य अविवाहित जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी।

4. **अस्तेय** - अस्तेय का अर्थ है - चोरी न करना। गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारों में इसे नैतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। उनकी धारणा है कि अस्तेय का अर्थ केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की चोरी न की जाए, वरन इसका अर्थ यह भी है कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसे अपने पास रखना चोरी है। इस प्रकार अस्तेय से गांधीजी का अभिप्राय है - आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता न होने पर भी किसी वस्तु को प्राप्त करना चोरी के समान है।

इस नैतिक नियम अथवा सिद्धांत के द्वारा गांधीजी ने केवल उन्हीं वस्तुओं पर व्यक्ति के स्वामित्व को स्वीकार किया है जिनकी उनको वास्तव में आवश्यकता है। यदि वह उनसे अधिक वस्तुओं को प्राप्त या संचय करने का प्रयास करता है, तो उसका यह प्रयास चोरी के तुल्य है। गांधीजी का विश्वास है कि अस्तेय व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को धीरे-धीरे कम कर लेता है और उसे भविष्य में प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं की चिंता नहीं रहती। उनका यह भी विश्वास है कि संसार का अधिकांश दुखदायी दरिद्र व्यक्तियों द्वारा अस्तेय व्रत का पालन न करने से उत्पन्न हुआ है।

5. **अपरिग्रह** - अपरिग्रह का अर्थ है - संग्रह न करना। गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारों में अस्तेय की ही भांति अपरिग्रह को भी नैतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। उनका कहना है कि हमें उन वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए जिनकी हम को भविष्य में आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस प्रकार का संग्रह करते हैं, तो यह सर्वथा अनुचित कार्य है।

गांधीजी ने सविश्वास कहा है कि वर्तमान समाज अपरिग्रह (भविष्य के लिए संग्रह न करना) का स्थान, परिग्रह (भविष्य के लिए संग्रह करना) ने ले लिया है। परिग्रह ने समाज में आर्थिक विषमता को जन्म दिया है। एक ओर तो धनवानों ने ऐसी वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, जिनकी उनको तनिक भी आवश्यकता नहीं है, और दूसरी ओर लाखों व्यक्ति, जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है इनके अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इस आर्थिक विषमता का निवारण करने का सरल उपाय यह है कि धनी व्यक्ति परिग्रह से अपना संबंध विच्छेद कर ले। पर क्योंकि गांधीजी जानते थे कि वे ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने संपत्ति के समान वितरण पर बल न देकर संपत्ति के औचित्यपूर्ण वितरण का अनुमोदन किया है।

6. **अस्वाद** - अस्वाद का अर्थ है - स्वाद की वृत्ति से छुटकारा पाना। गांधी ने अपने दर्शन में अस्वाद को स्वतंत्र व्रत का स्थान दिया है। उनका मत है कि अधिक और स्वादिष्ट भोजन आत्मसंयम में बाधक है। अतः व्यक्ति का भोजन कम और सादा होना चाहिए। उसे खाने के लिए नहीं जीना चाहिए जीने के लिए खाना चाहिए।

7. **निर्भीकता** - गांधीजी ने सत्य और निर्भीकता को अनिवार्य माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति निर्भय होकर ही सत्य और अहिंसा के गुणों का विकास कर सकता है। अतः उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। गांधीजी के अनुसार भय कायरता का द्योतक है और कायरता सबसे बड़ी हिंसा है।
8. **शारीरिक श्रम** - गांधीजी ने व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक माना है। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपनी रोटी के लिए शारीरिक श्रम करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए और सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। उनका विश्वास है कि यदि व्यक्तियों में कर्तव्य की यह भावना उदय हो जाएगी, तो आज के समाज में दिखाई देने वाला अन्यायपूर्ण भेदभाव समाप्त हो जाएगा। गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारों में शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
9. **सर्व धर्म समानता** - गांधीजी ने नैतिक अनुशासन में सर्व धर्म समानता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। इस सिद्धांत से उनका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को सब धर्मों को समान समझना चाहिए और सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। इस संबंध में गांधीजी का तर्क यह है कि क्योंकि ईश्वर एक है, इसलिए संपूर्ण संसार के व्यक्तियों का धर्म भी एक ही होना चाहिए। पर क्योंकि व्यवहार में सब व्यक्ति एक से नहीं होते हैं, इसलिए उनकी ईश्वर संबंधी धारणा भी एक नहीं हो सकती। यही कारण है कि संसार में विभिन्न धर्म रहे हैं, और रहेंगे।
10. **स्वदेशी का व्रत** - गांधीजी के दर्शन में स्वदेशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है - वह वस्तु जो अपने देश की हो या अपने देश में बनी हो। गांधीजी ने स्वदेशी का अर्थ बताते हुए लिखा है कि स्वदेशी हमारे अंदर वह भावना है जो हम पर यह प्रतिबंध लगाती है कि हम अधिक दूर के वातावरण के बजाय पास के वातावरण का उपयोग करें और उसकी सेवा करें। इससे गांधीजी का अभिप्राय यह है कि हमें निकटवर्ती पड़ोसी को विस्तृत करके दूर के पड़ोसी की सेवा नहीं करनी चाहिए।
11. **अस्पृश्यता का निवारण** - गांधीजी ने अपने दर्शन में अस्पृश्यता के निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हिंदू समाज में प्रचलित छुआछूत की प्रथा का घोर विरोध किया है। उन्होंने इस प्रथा को हिंदू समाज के लिए भयंकर कलंक और राष्ट्रीय एकता के लिए एक महान बाधा बताया है।

हमने उपर्युक्त पंक्तियों में गांधीजी के दर्शन के नैतिक एवं आध्यात्मिक आधारों का वर्णन किया है। गांधीजी ने इनको नैतिक नियमों अथवा सिद्धांतों की संज्ञा दी है और इनको व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बलपूर्वक कहा है कि इन नियमों के अनुसार आचरण करके ही व्यक्ति अपना सुधार करके, आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। गांधीजी ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंतरिक स्वतंत्रता को आवश्यक बताया करते थे।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह गांधीजी के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं है वर्णन उस धर्म से है जो सब धर्मों की बुनियाद है। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है, यह विश्व के व्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास है। यह हिंदुत्व इस्लाम इसाईयत आदि से परे है। यह मानव समाज का शाश्वत तत्व है जो अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को लिए तैयार रहता है।

अन्त में कहा जा सकता है कि गांधीजी के शिक्षा दर्शन में वह नवीन चेतना तथा मौलिकता है जिसमें वर्तमान में व्याप्त समस्याओं का समाधान निहित है। उनका शिक्षा दर्शन नैतिक और आध्यात्म का परस्पर मिश्रण ही नहीं बल्कि उसका दिव्य रूप है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मोहनदास करमचंद गांधी, *सत्य के प्रयोग*, साक्षी प्रकाशन दिल्ली।
2. गांधी, मोहन दास करमचंद, *मेरे सपनों का भारत*, भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी।
3. भट्टाचार्य, प्रभात, *गांधी दर्शन*, नई दिल्ली।
4. आर.के. प्रभु एवं यू.आर. राव (संपादक), *महात्मा गांधी के विचार*, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
6. आर.के. प्रभु (संपादक), *मेरे सपनों का भारत*, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।
7. *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय*, खंड-21, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1967, पृष्ठ 489।
8. *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय*, खंड-39 (आत्मकथा), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1996, पृष्ठ 109।
9. काशिनाथ त्रिवेदी (अनुवादक), *गांधीजी, रचनात्मक कार्यक्रम, उसका रहस्य और स्थान*, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2014, (पुनर्प्रकाशित)।
10. अग्रवाल, पी.के एवं शिप्रा, *गांधी विचार और हम*, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2010।
11. कक्कड़, सुधीर, *मीरा और महात्मा*, (अनुवादक - अशोक कुमार), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005।
12. राजेन्द्र प्रसाद, *गांधीजी की देन*, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2009।



GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).

6, New Tilak Nagar, Firozabad - 283203 (UP)

Contact: 09412883495; 08077700262

Website: www.gdsfzd.org

E-mail: gmdrjournal@gmail.com; dr.mishrapkgds@gmail.com

SUBSCRIPTION FORM

GLOBAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

Rate of Subscription	Annual	3 Years	5 Years	10 Years
Institutional (India)	Rs. 1000	Rs. 2000	Rs. 3000	Rs. 6000
Institutional (Foreign)	US \$16	US \$32	US \$46	US \$92
Individual (India)	Rs. 1000	Rs. 1500	Rs. 2500	Rs. 5000
Individual (Foreign)	US \$16	US \$24	US \$38	US \$77

You can deposit the Subscription amount in VIJAYA BANK, Tilak Nagar, Bypass Road, Firozabad, UP - 283203: The **Account No. is:** 711701011004322 & "IFSC CODE": VIJB0007117 OR You can also send the DD in favour of The president, of GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY, 6, New Tilak Nagar, Firozabad - 283203 (UP), payable at Vijaya Bank, Firozabad.

DD No. Name of Bank:

Type of Subscription	:	Institution/Individual ()/()	<div>Past Passport Size Photograph of Individual/ Head of the Institution here</div>
Name of Subscriber	:	
Qualification	:	
Designation	:	
Areas of interest/specialization	:	
Name of Organization	:	
Address (with Pin Code)	:	
Date of Birth	:	
Email Address	:	
Contact No.	:	
Amount & Mode of Payment	:	
Date :	

(Signature)

Note: The Life member of Global Development Society, Firozabad, U.P., India will be given 20 percent concession on each publication.

RNI No. UPBIL/04790

Publisher

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration Under Society Registration Act 21, 1860)



Owned & Published By :
Dr. Pankaj Kumar Mishra

President

Global Development Society

6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203(UP)

Mob. 09412883495/08077700262

Website: www.gdsfzd.org

E-mail: dr.mishrapkgds@gmail.com

Printed by: Victorious Publishers (India)

D-5 G/F, Ground Floor, Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home (Opposite Mother Dairy), Delhi-110092
E-mail: victoriouspublishers13@gmail.com Mo.: +91-8826941497